खण्ड-133, अंक-2
मंगलवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1876
(30 मार्च, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 133 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३० मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अपरा
श्री आत्मारामगोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३७)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अब्दुल रऊफ़ खाँ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर आइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमालअहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नगुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुजशर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुल रुम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्तमिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पत्तूलाल, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बन्तसलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव , श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र , श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री

रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां , श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश , श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्नशर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी , श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री

हरदेव सिंह, श्री
हरस ाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य की चल और अचल सम्पत्ति

*१—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके पास कितने मूल्य की चल और अचल सम्पत्तियां हैं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—सरकार के पास ऐसा कोई तखमीना मौजूद नहीं है न जल्दी से तैयार हो सकता है। और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कहां तक तैयार हो सकता है और इस पर वक्त और लागत सर्फ करना पब्लिक मफ़ाद में है भी कि नहीं।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जानना कि सरकार के पास कितनी सम्पत्ति है यह पब्लिक के हित में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब दिया जा चुका है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या जो लोग सरकार को क़र्ज़ देते हैं उनको यह जानकारी हासिल नहीं होनी चाहिये कि सरकार के पास कितनी सम्पत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप विवाद शुरू कर रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

तारांकित प्रश्न

पूर्वी जमुना नहर के लोअर डिवीजन में झालों के तोड़ने से हानि

*१—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ़्फ़रनगर)—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि पूर्वी जमुना नहर के लोअर डिवीजन के सब रजबहों की झालें तुड़वाने से बहुत से क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा है ?

सिंचाई उपमन्त्री (श्री राममूर्ति)—यह निर्मूल है कि लोअर ईस्टर्न यमुना नहर (Lower Eastern Yamuna Canal) में झाल (fall) हटाये जाने के कारण से बहुत से क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा है। झाल हटाये जाने से तो टेल (tail) में पानी पहुंचने की मात्रा तथा सींच की दशाओं में सुधार हो गया है जैसा कि पहले ५ वर्षों की सिंचाई के आंकड़ों में वृद्धि से विदित है। रबी की सिंचाई २,०३,८१३ एकड़ से अब २,५०-३५८ एकड़ हो गई है और खरीफ की सिंचाई १,६५,४५१ एकड़ से २,११,९३४ एकड़।

*२—श्री श्रीचन्द—क्या सिंचाई मंत्री फिर ऐसे क्षेत्रों में झालें लगवायेंगे जहां झालों के तोड़ने से किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो रही है ?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सिंचाई की साधारण दशा में सुधार हो गया है। फिर भी यदि कोई विशेष मामला हो जिसमें कोई खेत पानी नहीं पा रहा हो तो उसकी सूचना दिये जाने पर जांच की जा सकती है।

*३—श्री श्रीचन्द—क्या सिंचाई मंत्री के पास उपर्युक्त सम्बन्ध में किसानों की शिकायतें पहुंची हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—दो-एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें झाल के हटाये या तोड़े जाने के कारण सिंचाई तोड़ (flow) से डाल (lift) हो जाने की असुविधा दिखाई गई है। इन मामलों का निरीक्षण किया जा रहा है और उसके उपरान्त उचित कार्यवाही की जायगी। चीफ इंजीनियर को आदेश दिया गया है कि जहां सिंचाई तोड़ से होती थी वहां तोड़ से ही होने का प्रबन्ध प्रचलित रहे।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि झाल टूटने से पहले एक बार पानी नहीं पहुंचता था ?

श्री राममूर्ति—उसकी शिकायत थी।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उससे झालों के ऊपर वाले कुलाबों में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है ?

श्री राममूर्ति—मैंने आप से अर्ज किया कि जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे उनसे विदित है कि सिंचाई अब पहले से ज्यादा बढ़ गयी है और यह इस बात का सबूत है कि ऊपर नीचे सभी जगह पानी जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इंजीनियर महोदय ने आबपाशी की दृष्टि से ही झीलों का लगाया जाना पहले मुनासिब समझा था ?

श्री राममूर्ति—पहले उस वक्त के लिहाज से मुनासिब समझा होगा, लेकिन बाद में जो दिक्कतें पैदा हुईं उससे उसमें यह तब्दीली करने की जरूरत समझी गई।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ढाल नहर से उनकी जगह झाल तोड़वाने से उस इलाके के कुलाबों में से हो कर पानी कम निकलता है ?

श्री राममूर्ति—यह तो राय की बात है। वैसे जो आज तक हमारे पास आंकड़े हैं इनमें पानी सब के लिये उचित मात्रा में दिया जाता है और हर कुलाबे के ऊपर जितनी आबपाशी होती थी उससे कुछ बढ़ गयी है, घटी नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि वह आंकड़े जो बढ़ी हुई सिंचाई को बता रहे हैं उसमें किसानों को एक बार पानी मिलने के बाद फिर पानी नहीं मिलता और किसानों की फसलें बरबाद हो जाती हैं ?

श्री राममूर्ति—अगर कहीं ऐसा होता है तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उस खराबी को भी दूर करने की कोशिश करते हैं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन झालों को तोड़ने के बाद कुलाबों को फिर लगाना पड़ा पानी न जाने से ?

श्री राममूर्ति—ऐसी बात नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को स्वयं विदित है कि पहले रजबहा एक हफ्ते चलता था और एक हफ्ते मरता था। अब चार हफ्ते मरता है और एक हफ्ते चलता है। तो आबपाशी बढ़ने की वजह क्या है?

श्री अध्यक्ष—यह इससे पैदा नहीं होता। आप कहां से पैदा कर रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—प्रश्न २ से सम्बन्धित। माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े स्वयं पेश किये हैं कि आबपाशी बढ़ गयी है उसीसे मैंने प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष—बहुत सी मालूमात जो आपको हैं केवल उनकी बुनियाद पर पूरक प्रश्न पूछे जायं तो नहीं चलेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि दरों के बढ़ जाने से जो तोड़ थे अब डाल हो गये हैं और डाल होने पर भी उन पर आबपाशी तोड़ की ही ली जा रही है?

श्री राममूर्ति—मैंने अपने उत्तर में इस बात को अर्ज किया अध्यक्ष महोदय, कि अगर कहीं ऐसा हुआ है तो हमने चीफ इंजीनियर महोदय को उसके बारे में रेफरेंस दे दिया और इस बात की हिदायत दे दी है कि जहां डाल हो गये हैं उनको दुरुस्त कर के फिर तोड़ किया जाय।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि एक लाख एकड़ की सिंचाई की वद्धि कुओं की सिंचाई शामिल करने से हुई है?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न इस्टर्न यमुना कैनाल से सम्बन्धित है और उसीका मैंने जवाब दिया है। ट्यूबवेल से इसका कोई वास्ता नहीं है।

गांव हेंघना जिला आजमगढ़ के क्षेत्र में नल–कूप की आवश्यकता

*४—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को मालूम है कि घोसी तहसील के हेंघना गांव (जिला आजमगढ़) के पश्चिम ओर का पूरा क्षेत्र सूखा है, जहां कुओं तक में पानी न होने के कारण सिंचाई का अत्यन्त कष्ट है? क्या सरकार उस क्षेत्र में एक ट्यूबवेल लगवाने का विचार रखती है?

श्री राममूर्ति—हेंघना ग्राम का क्षेत्र नलकूप संख्या २०, घोसी ग्रूप के अन्तर्गत है। यह नलकूप बन चुका है और इससे शीघ्र ही सिंचाई शुरू होगी।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में नल–कूपों की आवश्यकता

*५—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार सगड़ी तहसील (जिला आजमगढ़) के मऊ-कुतुबपुर गांव के आस–पास सिंचाई के साधन न होने के कारण उस क्षेत्र में एक ट्यूबवेल लगवाने का विचार रखती है?

श्री राममूर्ति—अब तक स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत आजमगढ़ के लिये प्रस्तावित १४७ नलकूपों में से सगड़ी तहसील में २१ नलकूप बनेंगे। परन्तु इस कार्यक्रम के अधीन मऊ-कुतुबपुर में कोई नलकूप निर्माण करना निश्चित नहीं है। भविष्य के कार्यक्रम में कुतुबपुर ग्राम के आस–पास नल–कूप बनाने का ध्यान रखा जायगा।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह ३० नलकुएं, जो सगड़ी में लगने वाले हैं, वह कहां–कहां पर लगायेंगे ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस समय हर कुएं का ब्योरा नहीं है। यदि माननीय सदस्य इसको जानना चाहते हैं तो मैं सप्लाई कर दूंगा।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई की योजना में ट्यूबवेल के अलावा कोई और स्कीम भी शामिल है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—आजमगढ़ की सिंचाई की योजना के सम्बन्ध में कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिनमें मैं देखता हूं कि सभी के लिये कुछ प्रस्ताव हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में जो कुएं लगाये जा रहे हैं वे केवल सड़क के किनारे ही लगाये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—हो सकता है कि सड़क के किनारे हों, लेकिन कुएं लगाये जाने के वक्त केवल यही ध्यान में नहीं रखा जाता बल्कि बहुत सी बातों का कंसीडरेशन किया जाता है।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतलायेगी कि सगड़ी तहसील में धान के क्षेत्र में भी ट्यूबवेल्स लगेंगे ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि २१ ट्यूबवेल्स हैं। वे धान के क्षेत्र में हैं या धान के क्षेत्र के अलावा हैं यह इस वक्त मालूम नहीं।

बरुआसागर (झांसी) की मरम्मत

*६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरुआ सागर (झांसी) के तालाब से झिरने वाले पानी को रोकने के लिये तालाब की कब मरम्मत की गई थी और उसमें कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री राममूर्ति—बरुआसागर के गिरने वाले पानी को रोकने के लिये मरम्मत का कार्य जून, १९५३ में ८६४ रुपया की लागत में किया गया था।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार बतलायेगी कि मरम्मत का काम खत्म होते ही सरकार के पास इस आशय की शिकायतें पहुंची थीं कि तालाब झिर रहा है। यदि हां, तो उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—हां, इस तरह की शिकायतें आयी थीं। [मरम्मत के पहले ६ क्युलेक्स पानी झिरा करता था लेकिन मरम्मत के पश्चात् केवल आधा क्युलेक्स पानी झिरता है। यह थोड़ा सा पानी सागर की तलहटी से झिरता है जिसको बन्द करना आर्थिक दृष्टि से उचित न होगा।

श्री रामचन्द्र विकल—उस तालाब के पानी को रोकने से किस उपयोग में उसे लाया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो स्पष्ट ही है।

*७–८–श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)—[२७ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

९–११––श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)––[१३ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

बुलन्दशहर के ज़िले में बिक्रीकर से आय

*१२––श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में सेल्स टैक्स से १९५०–५१, ५१–५२ तथा ५२–५३ में कितनी आमदनी हुयी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––बुलन्दशहर जिले में सेल्स टैक्स से १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ में क्रमशः ३,१९,५८४ रु०, ३,८९,१९५ रु० और ३,८४,६०६ रु० की आमदनी (रेवेन्यू) हुयी ।

श्री धर्मसिंह––क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक सन् में अनुमानित कितना-कितना धन सेल्स टैक्स से विभाग द्वारा आया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––इन फीगर्स के अलावा और कोई फीगर्स मेरे पास नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष––कोई एस्टिमेट्स हैं या नहीं प्रश्न यह है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––एस्टिमेट्स तो मेरे पास हैं नहीं। उसे तो आफिसर्स करते हैं। हर आदमी का अलग-अलग टोटल लगाया जाय तो मालूम हो कि किस साल के क्या एस्टिमेट्स थे।

श्री धर्मसिंह––क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर के सेल्स टैक्स विभाग द्वारा जो रुपया अनुमानित किया गया था सन् ५० से लेकर सन् ५३ तक जितना रुपया जमा हुआ उसमें कितना रुपया मुकदमों और अपीलों से कम हो गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––इसका मतलब यह हुआ कि जितना टैक्स लगाया गया था उससे कितना रुपया कम हो गया। वह रकम मेरे पास है नहीं मुमकिन है कि कुछ कम वसूल हुआ हो।

*१३–१४––श्री धर्मसिंह––[२२ अप्रैल, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये गये ।]

*१५–१६––श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)––[२७ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

क्लर्कों और चपरासियों के महंगाई तथा अन्य भत्तों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*१७––श्री शिवपूजनराय (जिला गाजीपुर)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह डा० गाडगिल कमेटी की सिफारिश के अनुसार राज्य के चपरासियों व क्लर्कों की तनख्वाह में उनके मंहगाई के भत्ते का आधा भाग जोड़ने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––गाडगिल कमेटी का राज्य सरकार से कोई सरोकार नहीं और इसलिए यह सवाल पैदा नहीं होता ।

*१८—श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि छुट्टियों के दिन जब क्लर्क व चपरासियों से काम लिया जाता है तो उनको अतिरिक्त वेतन छुट्टियों का दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जो नहीं। सरकारी मुलाजिम का पूरा वक्त सरकार का होता है और इसलिए क्लर्कों और चपरासियों को छुट्टियों में काम करने के लिए कोई अतिरिक्त वेतन देने का सवाल ही नहीं उठता।

*१९—श्री शिवपूजनराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन चपरासियों को सरकारी मकान नहीं मिले हैं, उनको मकान का किराया दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं। नियमों के अधीन चपरासियों को मकान का किराया नहीं दिया जा सकता।

श्री शिवपूजनराय—क्या सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि केन्द्रीय या अन्य कुछ प्रान्तीय सरकारों की तरह कर्मचारियों का आधा मासिक भत्ता तनख्वाह में मिला दिया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—ऐसा तो कोई सवाल विचाराधीन नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि क्लर्कों और चपरासियों से होली और दीवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों की छुट्टियों में भी उनसे काम लिया जाता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, छुट्टी में आफिसरों को भी काम करना पड़ता है। यह तो वक्त की बात हो सकती है वरना सब त्योहारों में छुट्टी मिलती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी ऐसी विशेष परिस्थिति में उनको कोई स्पेशल एलाउन्स देने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—स्पेशल अलाउन्स का जवाब इसमें मौजूद है, जो कि मैं अभी दे चुका हूं।

श्री शिवपूजनराय—क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी कमेटी द्वारा जांच करायेगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

*२०–२१—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[१३ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२–२४—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—[८ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३२–३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गोरखपुर में झांसी बिजली कम्पनी के विरुद्ध शिकायत

*२५—श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में झांसी बिजली कम्पनी की रोशनी से संबंधित अनेक शिकायतें जनता ने सरकार से की हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सिर्फ दो एक शिकायतें आयी थीं ?

श्री केशव पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि वह शिकायतें क्या थीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, वह तो मेरे पास हैं अगर आपको इजाजत हो तो मैं उनको मुख्तसर में पढ़े देता हूं । एक तो शिकायत यह थी कि गोरखपुर का एक हिस्सा है जहां पर बिजली नहीं है तो वहां पर अगर कोई बिजली मांगता है तो उसको मिलती नहीं है । दूसरी यह भी शिकायत थी कि वोल्टेज कम रहता है उस हिस्से में भी जहां पर कि इस वक्त बिजली है और उस हिस्से में भी जो लोग बिजली मांगते हैं उनको मिलने में दिक्कत और तकलीफ होती है और देर होती है । उनके पास रुपया नहीं है तो वह कर्जा भी मांगते थे तो उसके खिलाफ भी शिकायत आयी थी कि उनको नहीं देना चाहिये । इनसे रुपया निकाल कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया जाय और वह लाइसेंस लेकर अपना एलेक्ट्रिफिकेशन जारी रखें । इसी किस्म की बातें उसमें थीं ।

श्री केशव पांडेय--इन शिकायतों के ऊपर सरकार ने अपना क्या विचार तय किया है, क्या सरकार इसको बताने की कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, सरकार ने इसके ऊपर विचार करके यह तय किया है कि उनको कर्जा नहीं दिया । एक दूसरा हिस्सा शहर का था जिसमें इस वक्त बिजली नहीं है उसके मुताल्लिक एक सवाल दूसरा है उसकी पूरी इन्फार्मेशन मौजूद नहीं थी । यह दो किस्म के सवाल थे । पहला तो यह मैं बता रहा हूं और दूसरे के मुताल्लिक जब अर्ज करूंगा तब उसका जवाब दूंगा । वोल्टेज वहां पर ठीक कराया गया और उसको इम्प्रूव कराया और बिजली देने की वहां पर जो रुकावट थी उन रुकावटों के मुताल्लिक भी उनको बहुत तम्बीह की गयी । लेकिन इसी के साथ यह बात भी थी कि कंट्रैक्ट के एतबार से जो लाइसेंस जिस वक्त तक का है उस वक्त वह वापस नहीं लिया जा सकता तावक्ते कि उस किस्म की बात वाकये नहो, जो कि क़ानून में है । यह बात उस किस्म की नहीं थी कि हम उनके लाइसेंस को वापस ले सकते और कोआपरेटिव सोसाइटी को देते लेकिन जो इस किस्म की तम्बीह वगैरह करने की बात थी वह की गयी ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)--इन शिकायतों को देखते हुए क्या सरकार उस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण पर विचार करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो जनरल पालिसी का सवाल है और फाइनेंसेज का सवाल है और फिर यह भी है कि इस किस्म की शिकायतें सिर्फ वहीं नहीं और जगह भी मेरे नजदीक हैं और ऐसी सूरत में एक साथ नेशनलाइज करना पड़ेगा । अभी मैं गवर्नमेंट को कमिट करने के वास्ते तैयार नहीं हूं कि नेशनलाइज करेगी या नहीं ।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके बतावेंगे कि झांसी इलैक्ट्रिक सप्लाई अपने मुआहिदे के मुताबिक बिजली नहीं दे पा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि कुछ दिक्कतें थीं और उनको रोक दिया गया है ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--इस कम्पनी का लाइसेंस अभी हाल में कब रिन्यू किया गया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उसकी मियाद ग़ालिबन सन् ७६ तक है। अभी तो उसके रिन्यू करने का सवाल पैदा नहीं होता।

*२६—श्री केशव पाण्डेय---[६ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुन्शी स्टाफ का वेतन

*२७—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला भिर्जापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग के मुन्शी स्टाफ की वेतन सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने के विषय में I.N.T.U.C. के प्रधान मंत्री के नेतृत्व में रीडर्स, एसोसियेशन, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल सिंचाई मंत्री से ४ अगस्त, सन् १९५२ को मिला था? उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया?

श्री राममूर्ति---प्रतिनिधि मंडल ४ अगस्त, १९५२ को मिला था। परन्तु वर्तमान आर्थिक स्थिति में वेतन-क्रम की वृद्धि सम्भव न होने के कारण प्रस्ताव को स्थगित करना पड़ा। वर्तमान वेतन-क्रम सन् ५१ में सरकार द्वारा पूर्ण रूप से विचार करके निर्धारित किया गया था।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुन्शी स्टाफ़ कितना है और उनकी वेतन-वृद्धि करने में कितना रुपया बढ़ जायगा?

श्री राममूर्ति---मुंशी स्टाफ की तादाद तो मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन उनकी वेतन-वृद्धि करने में ९७ हजार रुपया बढ़ जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि-यह प्रश्न-कब तक स्थगित रहेगा?

श्री राममूर्ति---जब तक राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो जाती।

श्री रमेशचन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर)---क्या यह सही है कि पे कमेटी ने मुंशियों का वेतन क्लर्कों के वेतन के समान करने की सिफारिश की थी?

श्री राममूर्ति---वैसा कर दिया गया है।

*२८-२९—श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---[२७ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०—श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)---[१३ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*३१-३३—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---[२७ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।)

कानपुर बिक्री-कर कार्यालय का हटाया जाना

*३४—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर बिक्री कर कार्यालय को वर्तमान जगह से हटाकर बाजार से दूर भेजने का क्या कारण है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कानपुर बिक्री-कर कार्यालय को पुराने स्थान से हटाने की यह वजह है कि पिछली इमारत के मुकाबिले मौजूदा इमारत में सभी तरह से जगह ज्यादा है। इसके अलावा इस तब्दीली से सरकार को ६,००० रु० की सालाना बचत होगी।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पुराने दफ्तर का क्या किराया था और नये दफ्तर का क्या किराया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मुझे जबानी ठीक रकम तो याद नहीं है शायद १८ हजार रुपया सालाना था।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधि मंडल कानपुर का इस असुविधा के सम्बन्ध में मिला था। यदि मिला था तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मुझसे मिला था। इस सिलसिले में मैं भी तीन दफा कानपुर गया था। उन साहब को लेकर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मैंने इमारतें देखीं लेकिन कोई इमारत ऐसी मौजूं नहीं मिल पायी जो सेल्स टैक्स के दफ्तर के लिये ठीक होती। जो साहबान गये थे उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो इमारतें देखी गयीं उनमें से कोई भी सेल्स टैक्स दफ्तर के लिये मौजूं और काफी नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह दफ्तर बाजार से कितनी दूर है और उस बिल्डिंग के मालिक का क्या नाम है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वह इमारत जिसमें दफ्तर है मैंने खुद तो देखी नहीं है, न सवाल में लोकेलिटी के बारे में मांग थी इसलिए उसका पता इस समय मेरे पास नहीं है। यह बिल्डिंग एक रिटायर्ड इनकमटैक्स कमिश्नर थे उनकी है जिनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि बिक्री-कर कार्यालय दूर हटा दिये जाने के कारण कर्मचारियों को असुविधा होती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, जरूर होती होगी लेकिन उसी के साथ-साथ यह भी है कि पहले जिस इमारत में वह था जब मैंने उसको देखा तो मैंने समझा कि सब जगहों से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को वहां तकलीफ होती होगी।

*३५-३७---**श्री दीनदयालु शर्मा**---[२७ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३८-३९---**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)---[२७ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०-४२---**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)---[१३ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिला बोर्ड की सड़कें

*४३---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की खास-खास जितनी लम्बी सड़कें बोर्ड को दे दी गयी थीं वे सन् १९५४ के अन्दर पुनः बोर्ड से वापिस की जाने वाली हैं ?

निर्माण मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--ऐसी कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*४४--श्री रमेशचन्द्र शर्मा---यदि हां, तो कब से ?

श्री चर्तुभुज शर्मा--यह प्रश्न नहीं उठता।

मछलीशहर-मड़ियाहू सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*४५--श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मछलीशहर से मड़ियाहू तरती जाने वाली सड़क पक्की होने वाली है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्रथम भाग जी नहीं।

द्वितीय भागः यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों को पक्की करने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी कोई लिखा पढ़ी की गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से एक सड़क की बाबत आया था लिखा हुआ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन सी सड़क है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---वही मछलीशहर से मड़ियाहू जाने वाली सड़क है जिसका जिक्र आपने प्रश्न नं० ४५ में किया है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मछलीशहर मड़ियाहू सड़क की दशा को देखते हुए उपमंत्री शर्मा जी ने भी उसे बनवाने के लिये जनता के सामने कोई वादा किया था ?

श्री चर्तुभुज शर्मा---मैंने देखा जरूर था किन्तु कोई वायदा नहीं दिया था।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सड़कों को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दिया है, उनकी मरम्मत के लिये कुछ रुपया भी दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, हर साल उनको रुपया दिया जाता है और सन्, ५२-५३ में २२,१०० और ५३-५४ में १८,२०० रुपया दिया गया।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी मील लम्बी सड़क की मरम्मत के लिये इनको रुपया दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---वैसे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ९१ मील सड़क जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस की गयी, पी०डब्ल्यू०डी० के पास थी।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जनता की तरफ से ऐसी शिकायतें भी आयी हैं कि बरसात में इन सड़कों के द्वारा तहसीलों में आना जाना बन्द हो जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसा हो सकता है लेकिन कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

*४६-४८--श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--[२७ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*४९-५१-- श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)--[२७ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५२-५४--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--[२७ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५५-५६--श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय--[७ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४४-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल की आवश्यकता

*५७-श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिर्जापुर नगर में गंगा नदी पर पक्के पुल बनाने की योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय--क्या यह सही है कि अभी हाल ही में मिर्जापुर का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मंत्री जी से मिला था और इसके औचित्य को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसको शीघ्रातिशीघ्र व्यावहारिक रूप देने का उन्हें वचन दिया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--वहां का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था, लेकिन कोई वचन इस तरह का नहीं दिया गया था ।

श्री अमरेशचन्द्र पाण्डे--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पुल न होने की वजह से, जो हर साल नाव का पुल बनता है उस पर कितना खर्च होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--हर साल पानटून ब्रिज बनता है या जो ब्रिज बनता है उसके खर्च के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, सूचना की जरूरत है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या मंत्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि पक्का पुल बनाने के लिये यह रकम केन्द्रीय सरकार के हवाले की जा सकती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस में ८० लाख रुपया लगेगा, केन्द्रीय सरकार ही इसको बना दे तो अच्छा है और वही शायद इसे बना भी सकती ह।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार से लिखापढ़ी करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिए लिखापढ़ी की गयी है कि रेलवे पुल बना दें और उस से सब काम चल जाय ।

*५८-६०--श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)--[२० अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर तथा आजमगढ़ में बिजली की प्रति यूनिट दर

*६१--श्री उमाशंकर--क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ तथा कानपुर शहर में बिजली का प्रति यनिट किराया कितना लिया जाता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--आजमगढ़ और कानपुर शहर में बिजली देने की दरों की तालिका की एक नकल माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४८-१५२ पर)

श्री उमाशंकर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ और कानपुर की बिजली की दरों में इतना फर्क क्यों है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--आजमगढ़ में बिजली डीजिल आयल से बनती है और कानपुर में स्टीम से बनती है और इन दोनों के खर्च में बहुत बड़ा फर्क होता है, दुगुना और इससे ज्यादा खर्च वहां पड़ता है और यहां कानपुर में खर्च कम पड़ता है।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कानपुर की तरह आजमगढ़ में भी सस्ती बिजली तैयार कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह एवान के इल्म में है कि मऊ-आजमगढ़ में एक स्टीम पावर स्टेशन बनना तजवीज हुआ है और वहां काम भी हुआ है और उसके मुकम्मिल होने पर यह शक्ल बदल जायगी ।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार बतायेगी कि कानपुर और आजमगढ़ के बिजली कारखानों में इंजन आदि में अलग-अलग क्या लागत लगी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जहां तक मुझे याद है कानपुर का कारखाना सरकार ने ३ करोड़ में खरीदा है, और आजमगढ़ का भी एक कम्पनी का था, उसकी खरीद की कीमत ठीक तो याद नहीं है लेकिन अन्दाजा वह भी ५-६ लाख का होगा, दोनों खरीदे हुये ही हैं।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार को पता है कि आजमगढ़ में विद्युत शक्ति से कोई उत्पादन नहीं किया जाता परन्तु विद्युत का किराया दूने से भी ज्यादा लिया जाता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पावर हाउस का उत्पादन तो सिर्फ यही है कि वह बिजली बना दे । वहां बिजली बनती है । लोग अपने पंखे और रोशनी के लिये भी लेते हैं और और कामों के लिये भी लेते हैं । जहां तक खर्चे की बात है मैंने अर्ज किया कि जितना खर्चा जहां होगा उसी के हिसाब से दर कायम की जायगी ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर बिजली का उत्पादन स्टीम के द्वारा है उन स्थानों पर रेट्स अलग-अलग हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह बात बिल्कुल सही है और होनी चाहिये ।

श्री ब्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि मऊ स्टीम पावर हाउस कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो कितनी दफा मैं अर्ज कर चुका हूं कि इस प्लान पीरियड में खत्म हो जायगा ।

*६२--श्री उमाशंकर--[८ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६३-६५--श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)--[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

रहटों का वितरण

*६६—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुछ जिलों को कुछ रहट मुफ्त और आधे दामों पर किसानों को दिये गये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, केवल गोरखपुर और आजमगढ़ के दो जिलों में १०० रहटें मुफ्त बांटने के आदेश सन् १९५२-५३ में दिये गये थे।

*६७—श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या ऐसे रहट जिला बलिया को भी सरकार द्वारा दिये गये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

*६८—श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—यदि उत्तर नहीं में है, तो क्यों और यदि हां, तो कितने दिये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चूंकि ऐसे रहटों की संख्या सीमित थी, ये केवल गोरखपुर व आजमगढ़ जिलों में ही दिये गये थे जहां कई वर्षों से वर्षा का अभाव रहा और उस साल भी वृष्टि नहीं के बराबर रही।

आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*६९—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गयी है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—आनरेरी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिये हाई स्कूल व उसी के बराबर की या उससे ऊंची परीक्षा पास होना चाहिये या कम से कम हिन्दी अथवा अंग्रेजी में गवाही तथा तजवीज लिख सकता हो और उसमें ऐसी योग्यता हो कि गवाही को समझ कर उचित निर्णय लिख सके।

*७०—श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में कार्य करने वाले आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की संख्या तथा उनकी योग्यतायें क्या हैं?

श्री सैयद अली जहीर—आगरा जिले में निम्नलिखित १३ आनरेरी मैजिस्ट्रेट कार्य करते हैं और उनकी योग्यता उनके नाम के सम्मुख लिखित है :

नाम	पद	योग्यता
१—श्री रघुराज सिंह	आनरेरी स्पेशल तथा रेलवे मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सीनियर कैम्ब्रिज (Senior Cambridge)
२—श्री रामजीलाल	आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी	बी० काम०, एल-एल० बी०
३—श्री दलीप सिंह	आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी	बी०ए०
४—श्री प्रतापनारायण अग्रवाल	आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	बी०एस-सी०, एल-एल० बी०
५—श्री बी० एन० चतुर्वेदी	आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी	एम० ए०
६—श्री गोपालदास सक्सेरिया	सदस्य, आगरा बेंच द्वितीय श्रेणी	मैट्रिक

नाम	पद	योग्यता
७—श्री बालकृष्णदास झावर	सदस्य, आगरा बेंच द्वितीय श्रेणी	एम० ए०, बी० काम०, एल०-एल० बी०
८—श्री मोहनकिशन कपूर	सदस्य, आगरा बेंच द्वितीय श्रेणी	इन्टर मीडियट
९—श्री दुर्गाप्रसाद टण्डन	आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	इन्टरमीडिएट
१०—श्री कैलाशनाथ गर्ग	सदस्य, आगरा कैन्टूनमेन्ट बेंच, प्रथम श्रेणी	बी० काम०
११—श्री ताराचन्द शिवहरे	सदस्य, आगरा कैन्टूनमेन्ट बेंच प्रथम श्रेणी	बी० ए०
१२—श्री हरीकृष्ण गुप्ता	आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	बी० ए०, एल०-एल०बी०
१३—श्री हरप्रसाद गुप्ता	आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	बी० ए०, एल०-एल० बी०

*७१—श्री पुत्तूलाल—क्या यह सच है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स को सरकार द्वारा कोई आनरेरियम दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री सैयद अली जहीर—आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को सरकार द्वारा कोई आनरेरियम नहीं दिया जाता।

श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि वेतन प्राप्त मैजिस्ट्रेटों के इतनी अधिक संख्या में होते हुये इतने ज्यादा आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख़याल में कहां काम आती है।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—क्या सरकार इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को कम से कम तांगा एलाउन्स देने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, ऐसा विचार नहीं है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले की फिरोजाबाद तहसील में जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट की बेंच बनायी गयी हैं उसके सदस्य कौन-कौन हैं और उनकी योग्यता क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—जो फेहरिस्त मैंने सवाल के साथ दी है उसमें इसकी कोई तफसील नहीं है कि कौन मैजिस्ट्रेट ऐसे हैं, जो फिरोजाबाद तहसील में काम करते हैं इसलिये मैं यह इस वक्त नहीं बता सकता।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स अगर किसी केस की इंक्वायरी करने जाते हैं तो उसका खर्चा कौन देता है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस किस्म का जब कोई खर्चा होता है तो वह सरकार की तरफ से दिया जाता है ?

श्री बाबूनन्दन---क्या आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के इजलास करने के लिये कोई टाइम निर्धारित नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर---वक्त के मुताल्लिक यह है कि वह कलेक्टर से मशविरा करके अपना एक वक्त मुअइयन कर लें कि हम फलां और फलां वक्त बैठेंगे। यह वक्त अमूमन मुकामी सहूलियतों के लिहाज से बदलता रहता है।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---क्या सरकार ने कभी आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के पुनर्संघटन के बारे में विचार किया था या कोई कमेटी बनायी थी और यदि हां तो उसकी सिफारिशें वगैरह क्या हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---रिआर्गेनाइजेशन के लिये इधर थोड़े दिनों से तो कोई गौर हुआ नहीं है लेकिन जो आखिरी रूल इसके मुताल्लिक बना था वह सन् ४६ में बना था और सन् ४७ में लागू हुआ और अब तक वही जारी है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---क्या गवर्नमेंट समझती है कि अब इन ६, ७ वर्षों के भीतर ऐसी स्थिति आ गई है कि इसके पुनर्संगठन पर विचार किया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, इस वक्त तो कोई ऐसा ख़याल नहीं है लेकिन अगर सदस्य चाहेंगे तो यह भी हो सकता है ।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)---क्या सरकार इस तरह की कोई बात सोच रही है कि उत्तर प्रदेश के समस्त आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की जगहों को समाप्त कर दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, ऐसा कोई ख़याल नहीं है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स के रखने के प्रश्न के सिलसिले में वांचू कमेटी ने कोई सिफारिश की है ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे ख़याल में वांचू कमेटी की रिपोर्ट हर सदस्य के पास भेज दी गयी है और वह खुद पढ़ करके इसको मालूम कर सकते हैं।

* ७२---श्री झारखंडे राय---[२७ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

ग्रीष्मकालीन अधिवेशन नैनीताल में करने की आवश्यकता

*७३---श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार इस वर्ष गर्मियों में असेम्बली का अधिवेशन नैनीताल में करने का विचार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं !

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कौन सी आपत्ति सरकार के सामने है जिसकी वजह से वह नैनीताल में असेम्बली का अधिवेशन नहीं कर सकती ?

श्री सैयद अली जहीर---असेम्बली के सदस्यों की तादाद अब इतनी बढ़ गई है कि वहां कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अधिवेशन हो सके।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अगर नैनीताल में मकान की आवश्यकता पूरी की जाय तो क्या सरकार इस असेम्बली का अधिवेशन नैनीताल में करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—अगर इस किस्म की कोई तजवीज पेश की जाय तो जरूर उस पर गौर किया जायगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार कोई ऐसी कमेटी बनायेगी जो इस बात पर विचार कर सके?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, कमेटी बनाने की जरूरत नहीं मालूम होती।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस साल की गर्मियों में सरकार का विचार असेम्बली करने का है या नहीं?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, अप्रैल और मई में तो मेरा खयाल है कि जरूर होगी।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को मालूम है कि गर्मियों में यहां काम करने में माननीय सदस्यों को बहुत कष्ट होता है?

श्री अध्यक्ष—यह राय का प्रश्न है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि जब असेम्बली के मेम्बरों की तादाद बहुत कम थी तब भी इस बात का विरोध किया जाता था कि नैनीताल में असेम्बली न हो?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, इसका विरोध भी होता था, और बहुत से लोग इसकी ताईद में भी होते थे।

श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर)—जिस तरह से इस साल बरसात ज्यादा हुई, जाड़ा ज्यादा हुआ, क्या सरकार समझती है कि गर्मी भी ज्यादा होगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अगर असेम्बली के मेम्बरान को जो एलाउंस यहां पर दिया जाता है वही नैनीताल में दिया जाय तो इस शर्त पर क्या सरकार असेम्बली का इजलास नैनीताल में बुलाने के लिये तैयार होगी?

श्री अध्यक्ष—न्याय मंत्री ने ऐसी अड़चन नहीं बताई थी, सिर्फ जगह की बताई थी, इसलिये प्रश्न यह उठता नहीं।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पहाड़ियों की आर्थिक दशा शोचनीय होने के नाते, सरकार असेम्बली को नैनीताल ले जाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—जो सरकार को इस वक्त दिक्कत है, वह मैंने बतला दी। वह सब बातें जो हैं वह ऐसी हैं जिन पर मुख्तलिफ़ रायें हो सकती हैं, लेकिन यह जाहिर है कि अगर वहां सेशन हो सके तो उससे कुछ न कुछ आर्थिक फायदा वहां के बाशिन्दों को जरूर होगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ने यह तय कर लिया है कि नैनीताल में असेम्बली नहीं होगी?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो मैंने सवाल ७३ का जवाब दिया है 'जी नहीं'।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह बात सही है कि सभी स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग नैनीताल में ही गर्मियों में हुआ करती हैं और ज्यादातर इस विधान सभा के मेम्बर गर्मियों में नैनीताल में ही रहते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---कुछ कमेटियों की मीटिंग वहां होती है और जो उन कमेटियों के सदस्य होते हैं वे वहां होते हैं और बाक़ी जो मेम्बर नैनीताल जाना चाहें वे भी जा सकते हैं लेकिन यह मैं नहीं बतला सकता कि कितने वहां होते हैं और कितने नहीं होते हैं।

*७४---श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)---[वापस लिया गया।]

आजमगढ़ जिले में नल-कूपों के बनवाने की योजना

*७५---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की किन-किन सी तहसीलों में कितने ट्यूबवेल बनने वाले हैं ?

श्री राममूर्ति---आजमगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में कुल १४७ सरकारी नल-कूपों को बनाने की योजना है जिनका विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	तहसील का नाम	नल-कूपों की संख्या
१	घोसी	३१
२	मोहम्मदाबाद	२८
३	सगड़ी	२१
४	आजमगढ़	३३
५	लालगंज	१२
६	फूलपुर	२२
	योग ..	१४७

*७६---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में घोसी के पूर्वी क्षेत्र में सिंचाई की क्या योजना सरकार ने बनायी है ?

श्री राममूर्ति---घोसी के पूर्वी क्षेत्र की सिंचाई के लिये निम्नलिखित दो योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं :---

(१) दोहरी घाट पम्प नहर।

(२) रतोई ताल पम्प नहर।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने को कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में १४७ नल-कूपों मे से कितने ऐसे नल-कूप हैं जिनसे सिंचाई हो रही है ?

श्री राममूर्ति---जो विभागीय ७० नल-कूप बनने वाले थे उनमें से ४५ बन गये हैं और २० चालू हो गये हैं और बाक़ी में ट्रांसमिशन लाइन बनाई जा रही है और उम्मीद की जाती है कि सन् १९५४ के अन्त तक वे भी बन जायेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि घोसी पूर्वी में जो ट्यूबवेल्स नहीं बनाये जा रहे हैं उसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र में धान ज्यादा होता है और अगर धर्नखर नहीं है तो वहां ट्यूबवेल बनाये जा सकते हैं लेकिन जितनी संख्या है उसके हिसाब से ट्यूववेल बांटे जा चुके हैं इसलिये वहां नहीं बनाये जा रहे हैं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि फूलपुर आजमगढ़ जिले की सबसे बड़ी तहसील है ?

श्री राममूर्ति---जी हां।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि मऊ में जहां बिजली घर बनाया जा रहा है और जहां आस पास सस्ती बिजली मिल सकती है वहां ट्यूबवेल नहीं लगाये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---ट्यूबवेल बनाने के लिये बिजली का सस्ता मिलना ही कारण नहीं होता, उसमें बहुत सी बातें कंसीडर की जाती हैं। गालिबन ऐसा मालूम होता है कि कुछ बातों की कमी होगी जिसकी वजह से वहां ट्यूववेल नहीं बनाये जा रहे हैं।

अर्जुन बान्ध पर एक मजदूर की मृत्यु

*७७---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अर्जुन बांध पर मशीन (ट्रैक्टर) से दब कर एक मजदूर की मृत्यु जनवरी, १९५४ में हो गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---२३ जनवरी, १९५४ को प्रातःकाल ६-३० बजे एक मिट्टी खोदने वाली भारी मशीन (Tournapull Machine) अर्जुन नदी के पार कार्य क्षेत्र में ले जाई जा रही थी। नदी के पुल के दूसरी ओर से एक बैलगाड़ी आ रही थी। बैलगाड़ी को बचाने के लिये मशीन को एक स्थान पर मोड़ा गया। ऐसा करने में मशीन का पहिया फिसल गया और वह नदी की तलहटी की ओर (जहां रामदीन नामक मजदूर हाथ-मुंह धो रहा था) तेजी से चली गयी। मजदूर मशीन के नीचे दबकर तत्काल मर गया।

*७८---श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार उस मृतक मजदूर का संक्षिप्त परिचय विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मृतक मजदूर का नाम रामदीन था। उसके पिता का नाम पूरन बेलदार है। वह ग्राम महराजपुर, जिला छत्तरपुर, विन्ध्य प्रदेश का निवासी था। वह कार्य क्षेत्र के निकट अस्थायी रूप से निर्माणित एक झोपड़ी में रहा करता था, मृतक मजदूर ने अपनी विधवा स्त्री श्यामा दुलाया, छः नाबालिग लड़कियों व एक नाबालिग पुत्र को छोड़ा है। वह गदहों की सहायता से काम करता था। उसकी आय लगभग ४ रुपये प्रति दिन थी।

*७९---श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार यह बतायेगी कि मृतक के दुखी एवं निराश्रित परिवार के भरण-पोषण का कुछ प्रबन्ध किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मृतक के परिवार की मुआवजा देने के विषय में जिलाधीश छत्तरपुर से पत्र-व्यवहार हो रहा है। जिलाधीश महोदय से प्रार्थना की गयी है कि मुआवजे को शीघ्र निश्चित करने की कृपा करेंगे और यह भी बतायेंगे कि मुआवजा के हक़दार कौन-कौन व्यक्ति हैं। मृतक मजदूर की पत्नी अर्जुन बांध में दैनिक वेतन पर कार्य कर रही है और उसको अपने तथा अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिये आवश्यक सहायता दी जा रही है।

जौनपुर-मिर्जापुर सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*८०--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर से मिर्जापुर जाने वाली सड़क रामपुर बाजार के अन्तर्गत सरकार के अधिकार में है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--रामपुर बाईपास सरकार के अधिकार में है

रामपुर बाजार के अन्तर्गत सड़क की मरम्मत का भार सरकार के स्थायी आदेशों के अनुसार जिला बोर्ड का है।

*८१--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--यदि हां, तो उसकी मरम्मत कब से नहीं हुई है ?

श्री गिरधारीलाल--जहां तक सरकार को मालूम है, इसकी मरम्मत सन् १९४२ के बाद नहीं हुई है।

मधुबन-बिलथरा रोड की अधूरी मरम्मत

*८२--श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ तथा बलिया जिले को मिलानेवाली मधुवन-बिलथरा रोड अब पक्की हो गयी है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, अभी इस सड़क में कुछ काम बाक़ी है।

*८३--श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या सरकार को मालूम है कि उक्त सड़क पर बिलथरा रोड़ रेलवे स्टेशन के पास बनने वाला रेलवे क्रासिंग तथा वहां का कलवर्ट अब तक नहीं बन सका है ? यदि हां, तो सरकार उसे बनवाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। इनका निर्माण कार्य रेलवे विभाग द्वारा किया जायेगा। इनके आगणन के सम्बन्ध में रेलवे विभाग से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

जमींदारों द्वारा किसानों तथा मल्लाहों को पीटने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव की सूचना श्री झारखंडे राय जी ने भेजी है। उसमें कुछ मारपीट का सवाल है कि जमींदारों ने कुछ मल्लाह या किसानों को पीट दिया और उससे जो गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके विषय में विचार करने के लिये उन्होंने कहा है। मैं समझता हूं कि यह रोज के इन्तजाम का मामला है और उसमें लोगों को क़ानूनी चाराजोई करनी चाहिये। परिस्थिति गम्भीर किस तरह से हो गयी एक दफा के वाक़यात से इसको स्पष्ट नहीं किया गया है, मैं इसलिये इसको महत्व नहीं देता हूं और इसलिये भी इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

कार्यक्रम के सम्बन्ध में सुझाव

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रोग्राम के बारे में राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आइटम नंबर ९ जो है वह बहुत ही महत्व-पूर्ण है.....

श्री अध्यक्ष--पहले शुरू से कार्यवाही जारी हो जाय बाद में इस पर विचार हो जायेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत दिनों में आयेगा अगर असेम्बली जल्दी खत्म हो गई और जो ऊपर बिल हैं इतने आवश्यक नहीं हैं इसलिये इसको पहले ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी जब आ जायंगे तब इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि वर्तमान सेशन कब तक चलेगा और इस हफ्ते का क्या कार्यक्रम रहेगा ?

श्री अध्यक्ष--माननीय उपनेता सदन बतला दें कि इस हफ्ते का क्या कार्यक्रम रहेगा और यह सेशन कब तक चलेगा ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जो एजेंडे पर बिल आये हैं वह चल ही रहे हैं और आगे काम दिया जायगा या नहीं, यह मैं कल सुबह अर्ज कर दूंगा।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक इस भवन में पंचायत राज्य के संशोधन का प्रस्तुत है वह हिन्दी भाषा में माननीय सस्दयों को नहीं मिला है। श्रीमन्, जब कि हिन्दी भवन की राज्य भाषा स्वीकार कर ली गयी है तो सभी सदस्यों को अपने विचारों को प्रगट करने में ठीक ठीक अवसर नहीं मिलता है जब तक कि हिन्दी में उनकी कापी उनके पास न हो। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको उस वक्त तक के लिये स्थगित कर दिया जाय जब तक कि यह हिन्दी में सदस्यों को न दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आप रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं या विधेयक के बारे में।

श्री रामजी सहाय--दोनों के लिये।

श्री अध्यक्ष--विधेयक के बारे में तो यह है कि इसका जो पहला अधिनियम है वह अंग्रेजी में है यह इसलिये संशोधन होंगे तो वह अंग्रेजी में ही होंगे जब तक कि सम्पूर्ण अधिनियम का अनुवाद कर के उसे सदन पास न कर दे तब तक यही कार्यवाही रहेगी।

श्री रामजी सहाय--अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट के बारे में भी मैंने निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष--रिपोर्ट के बारे में शायद आप जानना चाहते हैं।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद करके भेज दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--क्या अनुवाद करके भेजा जाने वाला है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, मुझे यह अर्ज करना था कि रिपोर्ट अंग्रेजी में आई है, इसलिये इसको अभी बहस में नहीं ले सकते हैं इसलिये मैं चाहता था कि मंत्री जी को रिपोर्ट हिन्दी में छपवानी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष--वह तो कह ही दिया है।

राजा वीरेन्द्रशाह--फिर तो वह बेकार हो जायगी।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि जो बहस चल रही है उसका समय निश्चित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—अभी बहस शुरू नहीं हुयी है ।

*प्राक्कलन समिति का सिंचाई विभाग से सम्बद्ध (तृतीय) प्रतिवेदन

श्री जुगल किशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति की आज्ञा के अनुसार समिति का तृतीय प्रतिवेदन जो सिंचाई विभाग से संबंधित है, सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं ।

*उत्तर प्रदेश सार्वजनिक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के इतिहास में आज यह पहला अवसर है .....

श्री अध्यक्ष—पहले रिपोर्ट तो पेश कर दीजिये ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी हां, कर रहा हूं । इस विधान सभा के इतिहास में आज यह पहला अवसर है जबकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के एक नान-आफीशियल चेयरमैन को पहली मर्तबा रिपोर्ट पेश करने का अवसर मिला है । आपने जो इस सिलसिले में व्यवस्था सदन के सामने दी थी इस कमेटी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये, उसके लिये मैं कमेटी की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं । इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रांत के लिये यह एक और बड़े सौभाग्य की बात है कि जितने प्रांत भारत में हैं यहां तक कि सेंट्रल पार्लियामेंट में जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है उनका चेयरमैन नान-आफिशियल होता है पर बृटिश पार्लियामेंट में जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है उसका चेयरमैन विरोधी पक्ष से होता है । इस ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कन्वेंशन है उसका सबसे पहले श्रीगणेश इसी हमारे उत्तर प्रदेश विधान सभा में हुआ है । इसके बाद उड़ीसा में भी उस कन्वेंशन को उन्होंने लागू किया है और हमारे देश के प्रांतों में वह चीज अभी तक नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि उसके लिए भी हम लोगों को गर्वित होना चाहिये ।

अब अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो इम्पार्टेंस डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अन्दर होती है उसका महत्व सबको मालूम है । लेकिन उसका महत्व इसलिये भी यहां कम होता जा रहा है कि हमारे सामने बहुत सी पुरानी रिपोर्ट्स आती हैं जिन पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी जांच करती है । इस साल हमें सन् १९५२-५३ की रिपोर्टेंस पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करनी चाहिये थी लेकिन हम जो आज रिपोर्ट पेश कर रहे हैं वह सन् ५०-५१ के एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स पर पेश हो रही है । इसलिये, क्योंकि देर हो जाती है । ४-५ साल की बात हो जाती है, उसका महत्व घट जाता है । कमेटी की रिपोर्ट से ही आपको पता लग जायगा कि बहुत से ऐसे मामले हो जाते हैं कि जिस अफसर के खिलाफ इरेंगुलरिटीज के लिए कार्यवाही की जा सकती थी वह ४ साल में या तो रिटायर हो जाता है या सर्विस से चला जाता है । इसलिये डेमोक्रेसी में जो महत्व इस रिपोर्ट का होना चाहिये उसमें कमी आ जाती है । इसलिये हम कोशिश कर रहे हैं कि एप्रोप्रिएशन

---

*यहां पर छापा नहीं गया ।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

एकाउन्ट हर एक साल पहले की हमारे पास पहुंच सकें जिस पर हम विचार करें और हम समझते हैं कि यदि हम इसमें सफल होंगे तो इस पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का जो महत्व है वह बराबर कायम रहेगा ।

इस साल हमारा सौभाग्य रहा कि इस कमेटी के नियंत्रण पर हमारे भारत के कंट्रोलर और आडिटर जनरल यहां आये और उनके तीन घंटे के महत्वपूर्ण भाषण से हमारी कमेटी ने पूरा फायदा उठाया । मैं कंट्रोलर और आडिटर जनरल को हृदय से धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष---आप रिपोर्ट को पेश कर दें, तब धन्यवाद दें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं इस कमेटी की रिपोर्ट को आपके सामने पेश कर रहा हूं ।

एक राय आडिटर जनरल साहब ने दी कि क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है और इस विधान सभा की कमेटी है, उसका एक अलग से सेक्रेटेरियट होना चाहिये, जोकि एक बड़ा टेक्नीकल सब्जेक्ट भी है । इस विषय में भी आपकी सहायता की इस कमेटी को पूरी आवश्यकता होगी कि एक अलग से सेक्रेटेरियट इस काम के लिए कायम किया जाय । मुझे आशा है आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा ।

इसके बाद मैं आपके जरिये उन सब कमेटी के साथियों को जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे उस कमेटी का चेयरमैन चुना धन्यवाद देता हूं । वहां पर हम लोगों ने ऐसी टीम स्पिरिट से काम किया कि यह पता नहीं चलता था कि कौन विरोधी पक्ष का है और कौन सरकारी पक्ष का है । क्योंकि हम कमेटी के महत्व को समझते थे और यह भी जानते थे कि विधान सभा से एक बजट के पास हो जाने के बाद हर एक माननीय सदस्य का फर्ज हो जाता है कि वह इस बात में पूरी दिलचस्पी ले कि हमारा हिसाब-किताब ठीक रखा जाता है या नहीं, जो रुपया हम पास कर चुके हैं वह ठीक प्रकार से खर्च होता है या नहीं । तो एक टीम स्पिरिट में सब ने काम किया । मैं सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । और साथ ही साथ अपने कंट्रोलर व आडिटर जनरल आफ इंडिया और एकाउन्टेन्ट जनरल और वित्त विभाग के सभी अफसरों व कर्मचारियों को भी, जो उन्होंने सहयोग दिया है, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार के कन्वेंशंस हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर बराबर कायम रखे जायेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं चाहता हूं कि लोक लेखा समिति की इस रिपोर्ट पर विवाद के लिए आप समय निर्धारित कर दें तो अत्यन्त उपयुक्त होगा ।

श्री अध्यक्ष---यह गवर्नमेंट से पूछ कर होगा । माननीय वित्त मंत्री जी अगर इस पर बहस करने के लिए अभी कोई समय निर्धारित करना चाहें तो बतायें ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम---अगर हाउस इस पर बहस करना चाहता है तो जरूर समय दिया जायगा । तारीख उसके लिए मुकर्रर कर दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष---तो आप बात कर लें और विरोधी दल के नेता आप से बात कर लेंगे और जो समय फिर आप बतायेंगे उसके ऊपर कार्य होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित किया था कल, उसके विषय में अगर.....

श्री अध्यक्ष---मुझे उसमें अभी जवाब उन्होंने दिया नहीं है । मुख्य सचेतक नेता सदन से इस सम्बन्ध में बात कर रहे हैं । उसके बाद वह मुझे जवाब देंगे

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब माननीय स्वशासन मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तथा श्री राजनारायण के संशोधन पर कि उपर्युक्त विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के पूर्व ३१ मई, १९५४ तक जनमत प्राप्त करने के लिये वितरित किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, कल मैं गांव सभा के प्रधान और उपप्रधान इत्यादि की योग्यता के बारे में कह रहा था। गांव सभा में जो २५ साल की या पढ़े-लिखे होने की योग्यता इस विधेयक द्वारा निर्धारित करने का विचार सरकार ने किया है वह सर्वथा न्यायपूर्ण नहीं है और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी हालत में जब कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जिसका कि वर्ण व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और जातिपांति की व्यवस्था द्वारा राजनैतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक शोषण हजारों लाखों सालों से होता आ रहा है और जो लाखों सालों से उनका दास बना हुआ है, उसके प्रति हमारे समाज में वही मनोवृत्ति आज भी विद्यमान है और यहां तक ही नहीं हमारे सरकारी कर्मचारियों में भी यह बात कहीं-कहीं दिखलायी पड़ती है, तो ऐसी हालत में उन लोगों के साथ इस तरह न्याय होना मैं बहुत ही कठिन समझता हूं। इस तरीके से हम एक बहुत बड़े तबके को, ८७ फीसदी अनपढ़ लोगों को ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को उस अधिकार से वंचित कर देंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस को अपने सदस्यों के लिए जो योग्यता निर्धारित करना पसन्द नहीं है, पार्लियामेंट के सदस्यों के लिए जो योग्यता निर्धारित करना पसन्द नहीं है, वह गांव सभा के प्रधान के ऊपर उस योग्यता को निर्धारित करना कहां तक उचित है और इससे आगे आने वाले समाज के लिए कितनी अड़चन पैदा होगी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की रुकावट उनके रास्ते में सरकार न डाले।

अब मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि गांव पंचायतों के सदस्यों और प्रधानों को उनके मारल टर्पीच्यूड के बारे में फैसला करने का अधिकार देना बहुत ही अनुचित है। आज हम जानते हैं कि देहातों के अन्दर किस तरीके के किलक्स होते हैं और ज्यादातर उन किलक्स का कारण भी जातिपांति वर्गवाद ही है। अगर कोई छोटी जाति का व्यक्ति प्रधान हो जाता है, मैं अपने यहां की बात कह सकता हूं कि दोनों ही कांग्रेस पार्टी के होते हुये भी वह एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो किसीसे दरख्वास्त दिलाकर के दो चार रुपये जुर्माना उस पर करा देते हैं, उसको सजा कर देते हैं और यह हो जाता है कि वह डिस्क्वालिफाइड हो जाता है एलेक्शन के लिये, प्रधान के पद के लिये। तो इस तरीके से जहां डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न उठता हो तो ऐसे अधिकार नहीं होने चाहिये बल्कि सिविल कोर्ट्स ऐसे केसेज में फैसले दें तो न्याय मिल सकता है और उधर यह एक चीज जो हमारे यहां है उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां गांव सभा के कोरम का सवाल है, गांव सभा के कोरम का पांचवां हिस्सा कोरम रखा गया है तो यह ऐसा है कि कोई भी वर्ग किसी दूसरी पार्टी के लोगों को इत्तिला किये बगैर ही या सरसरी तौर पर ऐसे वक्त पर इत्तिला दे दे जिस वक्त मीटिंग चल रही हो और इस तरीके को दूसरे वर्ग को दबाने के लिये एक किलक से काम करें और १/५ से रेजोल्यूशन पास करें। मैं यह निवेदन करूंगा कि कोरम १/५ न होकर १/३

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

११ मार्च, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री जयपाल सिंह]

हो रहे जिससे कि सभी लोगों को कायदे में इत्तला मिले और उस पर विचार हो सके अन्यथा इस तरीके की जो कार्यवाही होगी वह गलत होगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आगे चल कर बिल में यह भी कहा गया है कि इस तरह से जो प्रोसीडिंग आयेगी वह सही मानी जायगी। उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १/३ ही गांव सभा का कोरम होना चाहिये। इसी प्रकार मैं एक बात यह भी कह देना चाहता हूं कि जहां तक गांव सभा की लाइफ का सवाल है पहले हमारे यहां प्राविजन था कि तीन साल.....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य सिद्धांतों पर ही बोलें। अनेक धाराओं को ले कर यह कहना कि यह होना चाहिये यह इस समय नहीं कहना चाहिये।

श्री जयपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने धारा का तो जिक्र भी नहीं किया। मैंने एक उसूल की बात कही है कि इस तरीके का उसूल बनाना कि पांच साल तक उसकी लाइफ रहे ठीक नहीं है। वह तीन साल ही होना चाहिये और अगर उसके लिये इस तरीके की कोई गड़बड़ होती है तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर न्याय चाहना है तो एलेक्शन जिस समय होना चाहिये उसी वक्त होना चाहिये। अगर उस अवधि को बढ़ाया जाता है तो न्यायसंगत नहीं है। गांव सभा के लोगों को पूर्ण अधिकार होना चाहिये कि अपने संबंध में न्याय कर सकें और उन मसलों को ठीक तरीके से विचार कर सकें। सरकार ने इस तरीके में नामिनेशन का जिक्र किया है। पंचायत अदालत के बारे में ही नहीं बल्कि गांव पंचायतों के बारे में भी नामिनेशन का जिक्र किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव सभा को हम विलेज रिपब्लिक बना देना चाहते हैं। जब हम उनको विलेज रिपब्लिक के अधिकार देना चाहते हैं तो बाहर के लोगों से असर डाल कर नामजदगी करना यह अच्छा नहीं है, न्याय संगत नहीं है और न यह डेमोक्रेसी की परिपाटी है, उसके अनुकूल बैठता है। इसलिये नामिनेशन की प्रथा को हटाया जाय और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज आफिसर्स में ही नहीं बल्कि सारे साज में एक वर्ग का प्रभुत्व है और पिछड़े हुये लोगों का नामजद होना कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और मुझे यकीन नहीं है कि जिस सेटअप में हम गुजर रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व नामजदगी के बारे में ठीक तरीके से हो जायगा या नहीं। इसलिये मैं नामजदगी के बारे में सख्त मुखालिफत करता हूं। इलेक्शन का जहां तक सवाल है यह उम्मीद करता था कि पहले जो एलेक्शन हुये थे तो हाथ उठाकर हुये थे और वहां पर लोगों का प्रभुत्व होने के कारण, जिनका हमेशा प्रभुत्व रहता है चाहे जमींदारी प्रथा के कारण या समाज के विशेष स्थान के कारण। उन्होंने अपना जबरदस्त अंकुश उनके सामने रखा और छोटी जाति के लोगों को जो अपनी इच्छा से वोट देना चाहते थे जहां उनकी तरफ घूर कर देखा तो वह वहीं पर मर गये। इस तरीके से दबाव डाल कर वोट लिया जाता है। जहां ट्रावंकोर कोचीन में ९६ फीसदी वोट हो जाता हो तो इसी अवस्था में हमारी गांव सभाओं में सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हो और उनको न्याय मिल सके। इस तरीके से छोटे वर्ग जिनका स्थान सरकारी नौकरियों में भी नहीं है उनके लिये न्याय हो सकेगा। अन्यथा इस तरीके से एलेक्शन में गड़बड़ होती है। एलेक्शन के संबंध में यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं जहां पर अपील की गुंजाइश इलेक्शन में न हो और समरी हियरिंग का ही प्राविजन हो तो उससे काम नहीं चलेगा। ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें पंचायतों के इलेक्शन्स तुरन्त हुये, क्लास टू सभा के मेम्बरों के रजिस्टर में दाखिला हुआ, तुरन्त ही उम्मीदवार बन गया और तुरन्त ही उसको घोषणा कर दी गई कि वह प्रधान हो गया, वहां के डी० एम० और एस० डी० एम० भी यह कहते हैं कि ज्यादती हुई है लेकिन ढाई साल तक केस पेंडिंग पड़ा रहा और फैसला होता है कि अगर वह शख्स वोटर होने की क्वालिफिकेशन रखता है तो उसे क्वालिफाइड करार दिया जाय और दोबारा इलेक्शन करा दिया जाय। मैंने राय दी कि सिविल सूट कर दिया जाय तभी फैसला हो सकता है, मुखालिफ कैंडिटेट ने हिस्सा नहीं लिया और सिविल सूट फाइल कर दिया गया और नतीजा यह हुआ कि इलेक्शन ठीक तरह से हो गया और ढाई साल के बाद सिविल सूट के जरिये उसका फैसला हुआ। इस तरह से लोगों के साथ न्याय हो

सके बगैर सिविल सूट के, ऐसा हो नहीं सकेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारी जो केसेज को दबाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे केसेज सिविल सूट में न जा सकें और उनकी मनोकांक्षा पूरी हो सके, इसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये। वहां के लोगों ने साढ़े तीन हजार रुपये इस केस के ऊपर खर्च किये। तो ऐसी अवस्था में गरीब लोगों के साथ न्याय होना नामुमकिन है। इसलिये चुनाव का जो यह मसला है इसमें न्याय होना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां दूसरी सरकारी नौकरियों में हरिजनों के लिये सुरक्षित स्थान हैं। सरकार में ही नहीं बल्कि मुंसिफी में, डिप्टी कलेक्टरी में भी और उससे ऊंचे दर्जे के पदों पर भी हरिजनों के लिये सुरक्षित स्थान हैं। संविधान के अनुसार अगर पंचायती अदालतों में उनका सदस्य न हो तो यह उनके साथ इंसाफ न होगा। जिस तरह की क्लिक हमारे समाज में बनी हुई है उसमें उनके साथ न्याय होना कठिन होगा। तो ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करूंगा कि उनका प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिये अन्यथा उनके साथ न्याय होना बड़ा कठिन है। यह कहा जाता है कि न्याय के मामले में सुरक्षित स्थान नहीं रक्खा जा सकता लेकिन डिप्टी कलेक्टरी, मुंसिफी में संविधान के अनुसार जब सुरक्षित स्थान मिले हुये हैं तो इसमें कैसे नहीं हो सकतीं। जब तक यह तबका पिछड़ा हुआ है और उसके साथ न्याय हो सके इसके लिये यह करना ही होगा। इसलिये इस तरफ तवज्जह दी जाय।

एक बात और है। वह यह कि जहां इलेक्शंस के रूल्स हैं उनमें जहां बेईमानी होती है और जिसने बेईमानी की है अगर उसको सजा न दी गई तो बेईमानी चलती रहेगी। हर सदस्य जानता है कि इलेक्शन्स में किस तरह से बेईमानियां चलती हैं। ऐसी अवस्था में निवेदन करूंगा कि दूसरे चुनाव में से इलेक्शन्स रूल्स को बदल देना चाहिये और जो बेईमानी करे उसे सजा मिलनी चाहिये जो इलेक्शन रूल्स के विपरीत कार्य करता है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां गांव सभा को इतने अधिकार दिये गये हैं और गांव सभा के फरायज में काफी तौसी की गयी है और उनके जितने भी कार्य थे उनमें काफी ताकत देने का प्राविजन इस बिल में किया गया है वहां पर यह देखा कि इस बात को बिलकुल ही शायद सरकार भूल गयी है या हमारे पंचायत राज के अधिकारी भूल गये हैं और उसको इसमें शामिल नहीं किया है। वह यह है कि हरिजनों के लिये एग्रीकलचरिस्ट और लैंडलेस लेबरर्स के लिये और विशेषकर हरिजनों के लिये प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उनके लिये कम से कम मकानों के बनाने के लिये जमीन का प्राविजन कर देना चाहिये। वह किसी कीमत से या मुफ्त किसी तरह से भी कर देना चाहिये। चाहे वह दान किसी से लेकर, चाहे वह कीमत से लेकर ऐसे लोगों के लिये जिनको रहने की दिक्कत है उनके लिये गांव सभा को इन्तजाम करना चाहिये। अब सवाल यह रह जाता है कि उनके पास आमदनी नहीं है लेकिन आमदनी का सवाल सरकार का है कि कैसे उसको बढ़ाया जाय। सरकार रेवेन्यू से बढ़ा सकती है और उसमें से उनको हिस्सा दे सकती है। दूसरे टैक्स भी उनसे वसूल किया जाता है तो उसमें से हिस्सा देकर या जमीन उस कार्य के लिये दी जा सकती है। इसी तरीके से अगर सरकार यह चाहती है कि देहात के अन्दर, गांवों के अन्दर उद्योग-धंधे की तरक्की हो और उसके लिये अभी मैंने देखा कि वास्तव में देहात के अन्दर उद्योग-धंधों की तरक्की के लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और अगर इस तरीके से थोड़ा बहुत गांव सभा को अधिकार भी है लेकिन वह संकेत मात्र है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि गांवों की जिन्दगी को ठीक करने के लिये, गांवों में सब रहने वालों के लिये, उद्योग-धंधों की तरक्की के लिये और खासतौर से ऐसे उद्योग-धंधों के लिये जैसे कि चमड़े का रंगना है तो उसके लिये जगह का इन्तजाम किया जाय और उसके लिये जमीन उनको उपलब्ध होनी चाहिये। इसी तरीके से उनको चमड़े के निकालने के लिये जगह का प्रबन्ध होना चाहिये और रंगने का भी प्रबन्ध होना चाहिये जहां पर वह अपना कार्य काटेज इंडस्ट्री के तरीके पर स्वतंत्र रूप से कर सकें ताकि वह अपनी गांव की जिन्दगी को पूर्ण कर सकें। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उसका प्राविजन इस कानून में जरूर होना चाहिये। इसके लिये प्लानिंग कमीशन ने बार-बार अपनी रिपोर्ट में कहा है लेकिन मैंने यह देखा है कि सरकार

[श्री जयपाल सिंह]
चाहे कोई जितना भी अच्छा suggestion लाये लेकिन जहां किसी वर्ग विशेषकर हरिजनों का प्राविजन होता है उनको हमेशा टालने की कोशिश ज्यादा होती है और मदद करने की गुंजाइश कम होती है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर दूसरे पेशे करने वाले लोगों के लिये इन्कम-टैक्स लगाया गया है और उनकी ६०० रुपये की आमदनी पर टैक्स लगाया गया है तो आगे चलकर ऐसा कर दिया गया है कि ३०० रुपये वाले भी उसके अन्दर आ जायं। देहात के रहने वाले ग़रीब मजदूर जिसको कभी-कभी मजदूरी मिलती है और साल में ९ महीने बेकार पड़े रहते हैं या कभी कभी ६ महीने तक बेकार रहना पड़ता है और उनको किसी प्रकार से चन्द दिनों के लिये काम मिल गया हो तो उनकी एक दिन की मजदूरी को देख कर साल भर का हिसाब लगा कर ३०० रुपये के हिसाब से उनसे टैक्स लेने का निर्णय कर लिया जाता है जो बहुत अन्याय है। इस तरीके से मैं यह समझता हूं कि जब तक हमारी सरकार उस सुविधा के अनुसार, आर्टिकिल ४६ और ४५ के अनुसार अगर सरकार प्रबन्ध कर पाती है कि उनके इम्प्लायमेंट के लिये पूरी सुविधा दे सके, और उनको इम्प्लायमेंट मिल सके, उनका जीवन ऊंचा हो सके तब तक मैं समझता हूं कि इस तरीक़े का प्राविजन रखना उन खेतिहर मजदूरों के लिये, लैंडलैस लेबरर्स मजदूरों के लिये एक जबरदस्त रुकावट है और उनकी सामाजिक तरक्की के लिये यह बड़ी रुकावट है। ऐसी अवस्था में मैं यह कहूंगा कि सबसे पहले इस तरीके की सुविधा द्वारा दिये गये अधिकारों का उपयोग करे और सरकार उनकी आर्थिक हालत को ऊंचा करे, उनकी सामाजिक हालत को ऊंचा करे, उनके स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करे तब वह ऐसे टैक्स लगाने का अधिकार देने की बात पर विचार करे तो .....

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य के पास कई पेज का नोट है।

श्री अध्यक्ष--माननीय जयपाल सिंह जी जरा ख़याल रखें।

श्री जयपाल सिंह--अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन को पंचायतराज्य अमेंडमेंट ऐक्ट के सम्बन्ध में कमेटी की रिपोर्ट मिली है। मैंने उसे बहुत तो नहीं पढ़ा है लेकिन यह देखने की कोशिश की है कि लैंडलैस ऐग्रीकल्चर लेबर के लिये सुविधा की कोई बात सोची गई है या नहीं लेकिन ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला। उसका कारण यह हो सकता है कि इन वर्गों से सम्बन्धित कोई व्यक्ति ऐसे कमेटियों में नहीं रखा जाता है या कम से कम सूरजप्रसाद अवस्थी जी को ही, जो एक लेबर लीडर हैं, ऐसी कमेटी में रख लिया जाता तो ऐसे लेबरर्स की समस्या पर भी विचार हो सकता था। इसी प्रकार से बेगारी का प्रश्न है। महात्मा गांधी की बदौलत हमने २०, २५ साल में इस प्रथा को अगर समूल नहीं तो काफ़ी दूर कर दिया है। हमें इस प्रथा को दूर करने के लिये कुर्बानियां भी देनी पड़ी हैं। उस चीज को अगर दोबारा जिन्दा रखा जाय तो मैं समझता हूं कि यह उच्च वर्ग के लोगों की मनोकांक्षा को पूरा करने के लिये किया जाता है। मैंने अपने जिले में देखा है कि वहां उन लोगों से पोलीटिकल कारणों से, उनको एक तरह से अपनी तरफ करने के लिये, कुछ लोगों ने जबरन उनसे काम लेने की कोशिश की है। जो कार्य उन लोगों ने २०, २५ वर्ष से छोड़ रखा था उसको फिर उनसे कराना चाहते हैं केवल अपने वर्ग के फायदे के लिये। यही तक ही नहीं, बल्कि अपोजीशन को अपनी तरफ खींचने के लिये, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, ऐसा किया जाता है। तो जहां इस प्रकार की मनोवृत्ति हो वहां इस प्रकार प्राविजन लाना जमाने के अनुकूल नहीं है। यहां बेगार को कानूनन क़रार दिया गया है कि पब्लिक पर्पजेज के लिये कोई भी काम करा सकें।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य ज्यादा डिटेल में न जावें। उसूलों पर ही रहें, तो अच्छा है।

श्री जयपाल सिंह--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की धारा में हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि फोर्स्ड लेबर की डेफ़ीनीशन हमको मिल सके। मैंने रिमूवल आफ़ डिसेबीलिटीज ऐक्ट की धारा देखी जो मैं अपने सामने रखना चाहता हूं। वह यह है :

"Section 3. Removal of disabilities. No person shall compel any person belonging to a scheduled caste to labour against the will of such person or make him to labour without wages or on inadequate wages."

यह स्पष्ट है कि इच्छा के विरुद्ध काम लेना या कम मजदूरी पर काम लेना ही फोर्स्ड लेबर है और उसको काम करने के लिये फोर्स करना है। इस प्रकार का कानून सन् ४७ में बनाया गया था। इस चीज को पुनर्जीवित करने के लिये, बेगार को पुनः लाने की कोशिश फिर की गयी है। यह चीज अनुचित है। इसी प्रकार से इन्डियन पेनल कोड की दफा भी है। उसके जरिये से भी फोर्स्ड लेबर के बारे में कानून बनाया गया है। मैंने उसको देखा तो नहीं है लेकिन मैं यह जानता हूं कि उसमें फोर्स्ड लेबर डैफीनीशन दी गयी है। मैं एक बात और रख देना चाहता हूं। यह रिपोर्ट जिसे मैं पढ़ रहा हूं श्री श्रीकान्त शिड्यूल कास्ट कमिश्नर के द्वारा सन् ५१ में उपस्थित की गयी थी। उस रिपोर्ट के सफा २३ पर फोर्स्ड लेबर के बारे में चर्चा की गयी है वह इस प्रकार है :--

"At its 14th Session held in Geneva in June, 1930, the International Labour-Conference adopted a draft Convention requiring all member countries to abolish forced or compulsory labour in all its forms within the shortest possible period."

"Forced or compulsory labour" has been defined in the Convention a "all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily"'

इस तरीके से उस कन्वेंशन में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि फोर्स्ड लेबर वह है जिसको। कोई मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता है, वही बेगार है। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस बात को तस्लीम किया है अपने एक रिज्योल्यूशन के जरिये से। वह रिजोल्यूशन यह था:--

As required by the I. L. O. Constitution, the Convention was placed before the Legislature in 1931 and both the Houses adopted it as in the following resolution:—

> "While considering that the Draft Convention on forced labour could not be ratified until Article 2 thereof is modified so as to exclude labour exacted under the Criminal Act, the Good Conduct Prisoners' Probational Release Act and other similar social legislation in force in India"

यह रिजोल्यूशन उस वक्त की कौंसिल में पास हुआ था। इसको स्वीकार किया था गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ; यथा--

"The resolution was accepted by the Government of India and in order to give effect to it, the State (then Provincial) Governments were requested to : (i) take steps to abolish at the earliest possible opportunity forced or compulsory labour for the benefit of private individuals, companies or associations;"

दूसरा यह था--

"(ii) modify any enactment of tl.e local legislature which permitted the use of forcedour for public purposes within the labeur or compulsory lab

[श्री जयपाल सिंह]

transitional period of five years allowed by Article I of the Convention : and,

तीसरा यह था--

"(iii) issue such executive orders as might deem advisable to secure the objects in view."

इस तरीक़े से वे सब स्टेप्स सरकार को अख्तियार करना चाहिये। जिसमें फोर्स्ड लेबर कम्पलीट तरीक़े से कम से कम ५ साल की अवधि में ख़त्म हो जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज़ को देखते हुये प्रदेश की सरकारों को आदेश दिया गया कि वह फोर्स्ड लेबर को हटाने की कोशिश करें। दि क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट, १९२४, इसको रिपील किया गया है, सदन में सभी को मालूम है कि दि बंगाल रेगुलेशंस ११ आफ १८०६ ऐण्ड ६ आफ १८२५, इसको भी रिपील किया गया है। इसी प्रकार से मद्रास कम्पलसरी लेबर ऐक्ट, १८५८.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि एक ही विषय पर घंटों लग सकता है और दुनिया भर की जितनी बातें हैं कही जा सकती हैं। आप जरा भाषण संक्षेप में कीजिये, आपने सिद्धांतों के ऊपर तो कह ही दिया है।

श्री जयपाल सिंह--मैं बतला रहा हूं कि उड़ीसा कम्पलसरी लेबर ऐक्ट, १९४८ की तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने कानून में संशोधन करने के लिये वचनवद्ध है। किस तरह से वह वचनवद्ध है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं :--

"The Northern India Canal and Drainage Act, 1873. The Special Officer suggested the deletion of Section 65 of the Act, which empowered the State Government to obtain forced labour for carrying out usual annual repairs, as this involved the use of forced labour for public purposes, not covered by Article 2 of the I. L. O. Convention"

इससे स्पष्ट है कि

"Both the Governments of Uttar Pradesh and Punjab (in which States the Act is in force) have agreed to the action proposed."

इस प्रकार पब्लिक परपजेज के लिये ऐसी कोई चीज नहीं है कि उनसे जबरदस्ती काम कराया जाय। मैं समझता हूं कि यह कानून के खिलाफ है और कानून के खिलाफ उतना नहीं हो तो कम से कम इस वक्त जो समाज की व्यवस्था है उसके खिलाफ है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने जो रिकमेंडेशंस किये हैं उनको मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--आयन्दा आप किताब से कोई उद्धरण न पढ़ें। जो आपका विचार हो उसे ही आप प्रकट करें।

श्री जयपाल सिंह--इस तरीके से जहां तक जनता के कल्याण का सवाल है, समाज का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उसके विपरीत है। हमारे उत्तर प्रदेश के गालिबन सभी मनुष्यों ने इस बात की भूरि भूरि प्रशंसा की है कि हमारे प्रदेश में श्रमदान से बड़ा काम हुआ है और लोगों ने पूरी मशक्कत से अपनी इच्छानुसार दिल खोल कर पिछले दो तीन सालों में बड़ा भारी काम किया है। ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ सरकार इस बात को मानती है कि यहां के बाशिन्दों ने दिल खोल कर काम किया है, और श्रमदान के द्वारा गांव की सड़कें और बड़ी बड़ी सड़कें भी बनायी गयी हैं तो फिर दूसरे शब्दों में जबरदस्ती काम कराने का प्रोविजन लगाना, मैं बेहतर नहीं समझता हूं। जहां तक दूसरी जातियों

का संबंध है देहातों के अन्दर आज भी वे जबरदस्ती काम लेती हैं। कारण यह है कि अधिकारी भी उन्हीं का पक्ष लेते हैं और श्रमदान का काम ठाकुर और दूसरे लोग जमींदारों के मोटिव को लेकर ही हमेशा शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों से ही कराते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि डंडा मार मार कर उन गरीबों से क्यों रुपया वसूल किया जाता है जब कि जबरदस्ती काम कराने का कोई नियम हमारे विधान में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक फोर्स्ड लेबर का सवाल है कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर की मजदूरी का सवाल है उसको जल्दी से जल्दी लागू न करके देर करने की नीति से जितना भी हो सके उसे पीछे ही ढकेलने की कोशिश की जा रही है। हर शख्स की मजदूरी कम से कम एक रुपया तो सुरक्षित रहनी ही चाहिये। ऐसी अवस्था में सरकार ने उस वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा है और इस तरह की बात सरकार को मेरी राय में नहीं करना चाहिये और मैं तो यहां तक निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस तरह का कानून सरकार को लाने का अधिकार नहीं है क्योंकि इस तरह का कानून लाकर तो उनसे जबरदस्ती काम लेने की व्यवस्था की जा रही है। मेरा निवेदन तो यह है कि जबतक उनको पूरे तौर पर इम्प्लायमेंट न दिया जाय तब तक इस तरह का कानून वहां लागू न किया जाय। सरपंचों की क्वालिफिकेशन का भी सवाल हमारे सामने है। इस संबंध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें लिखने पढ़ने और ईमानदारी की क्वालिफिकेशन रखी है। मैं बतला सकता हूं कि ऐसे भी सरपंच हैं जो बिलकुल पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं उनका नाम भी बता सकता हूं लेकिन उन्होंने बहुत योग्यता और ईमानदारी से काम किया है हालांकि वह बिलकुल अनपढ़ हैं और वह ज्यादातर ठीक ही फैसले मौके पर ही करते हैं। मेरे खयाल से एक केस भी ऐसा नहीं है कि वह जिस में भरसक न्याय न करते हों। कुछ चोरी वगैरा के केसेज को छोड़कर बाकी सब केसेज करीब करीब वहीं तै होते हैं। वहां के जिला मैजिस्ट्रेट भी उनसे प्रसन्न हैं और सब लोग खुश हैं और ऐसी मिसालें जिले में नहीं मिलेंगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना गलत है कि पढ़े लिखे लोग ही ईमानदार हो सकते हैं, पढ़ा लिखा होना ही कोई ईमानदारी का सबूत नहीं है। अनपढ़ आदमी भी ईमानदार हो सकता है उस का कोई मोटिव खराब नहीं होता। इसलिये मैं तो यही निवेदन करूंगा कि ईमानदारी भी क्वालिफिकेशन होना चाहिये और पढ़े लिखे होने की कोई खास क्वालिफिकेशन न होना चाहिये। सरकार को इस तरह से छोटी जात वालों को जो बेपढ़े लिखे होते हैं उनको इस तरह की क्वालिफिकेशन रख कर डिसक्वालिफाई करने की कोशिश न करना चाहिये। इस तरह की चीजों में सरकार को निम्न वर्ग का हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष—आपका निवेदन समाप्त हो गया हो तो.....(हंसी)

श्री जयपाल सिंह—इसके अतिरिक्त मुझे यह भी निवेदन करना है कि सरकार जो इन संस्थाओं की अवधि ३ साल के बजाय ५ साल तक बढ़ा रही है वह भी ठीक चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि ३ साल की अवधि ही बहुत काफी है और उसमें ही काफी कार्य हो सकता है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि.....

श्री अध्यक्ष—(एक सदस्य से) क्या आप कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर लाना चाहते हैं यदि नहीं तो आप बैठ जायं।

श्री जयपाल सिंह—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार को इस अवधि को ३ साल से ५ साल का न करना चाहिये और यह उचित कदम नहीं है। सरकार ने अनलिमिटेड पावर लेने के लिये प्रबन्ध इस बिल में रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर बात के लिये अनलिमिटेड पावर रखना उचित नहीं है। जैसे केसेज के बारे में है वहां भी अनलिमिटेड पावर रखी जा रही है। हम लोग आखिर यहां मौजूद हैं उनके सामने यह चीजें आ जाया करें तो ऐसे पावर सरकार को न मिलें लेकिन ऐसा न करके सरकार अपने हाथों में अनलिमिटेड

[श्री जयपाल सिंह]

पावर रखना चाहती है। यह मुनासिब नहीं है इस पर रेस्ट्रिक्शन होना चाहिये जिससे सरकार अधिक पावर न ले सके।

न्याय पंचायतों में भी बाल की खाल निकालने की कोशिश की गई है। कोशिश यह की गई है कि गांवों में भी वहां की पंचायती अदालतों में भी कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का प्राविजन रखा जाय। ऐसी बातें रखना गांवों के लोगों पर गजब ढाना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानून चाहे कितना अच्छा क्यों नहीं लेकिन आज जो गांवों के लोगों की हालत है और जैसी पंचायतों की हालत है उसके मुताबिक यह शोभा नहीं देता कि वहां पर कंटेम्प्ट आफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज शुरू हुआ करे। इससे वहां के लोगों को दुश्मनी निकालने का मौका मिलेगा। गांवों में आपस में लोगों गांव सभाओं के प्रधानों और पंचों से भी दुश्मनी होती है। अब इस कंटेम्प्ट आफ कोर्ट को निकालकर दुश्मनी निकालने का जरिया न बनाया जाय। मेरा सजेशन है कि सरकार इस पर विचार करे।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि हाथ उठाने का प्राविजन यद्यपि इस समय नहीं है लेकिन जब रूल्स बनेंगे तो यह बात जरूर रखी जायगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिना बैलट के न्याय जनता के साथ नहीं हो सकता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य विषय के बाहर बहुत सी बातें कह रहे हैं। इसको बन्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष—विषयान्तर नहीं है लेकिन माननीय जयपाल सिंह जी अब बैठने वाले ही हैं।

श्री जयपाल सिंह—इसके अतिरिक्त डाइरेक्ट एलेक्शन होना चाहिये। इनडाइरेक्ट एलेक्शन नहीं होना चाहिये। नामजदगी के तरीके को बिल्कुल हटा देना चाहिये। अगर यह सब नहीं किया जायगा तो गांवों में वहां के समाज में एक कोलाहल मच जायगा और उसका नतीजा बड़ा भयानक होगा जिसको हम बरदाश्त नहीं कर सकेंगे। जैसे दूसरे कंट्रीज में कुछ ही समय में कुछ का कुछ हो जाया करता है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी उथल पुथल होने की संभावना हो जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन अंतिम रूप से यही है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर जनता की आकांक्षाओं के अनुसार ठीक नहीं किया जायगा तो उसके नतीजे बहुत खराब होंगे।

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने दो सुझाव हैं। एक श्री वीरेंद्रशाह जी का १० मिनट का है और दूसरा नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ का है १५ मिनट का। मैं अब यह सदन से पूंछना चाहता हूं कि क्या अब भाषणों का समय निर्धारित करना उचित होगा।

कुछ सदस्य—जरूर होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—तो मैं यह समझ लूं कि समय निर्धारित करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि १५ मिनट हो या १० मिनट। जो माननीय सदस्य १० मिनट के पक्ष में हों वह कृपा करके अपनी अनुमति हाथ उठाकर दे दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, अगर १० मिनट और १५ मिनट के बजाय १२ मिनट कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि सभी तैयार हो जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है, तो फिर १२ मिनट का समय ही रहा।

*श्री सीताराम शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, बहुत देर तक व्याख्यान हुये मगर हमारे ही जमाने में टाइम लिमिट कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं अपने माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि बहुत मेहनत करके और बहुत परिश्रम करके इस बिल को सामने पेश किया। इसके साथ ही साथ मैं आपके (मंत्री जी के) विभाग को भी जिसने बड़े परिश्रम के साथ इस बिल को पेश किया, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही अपने विरोधी दल के नेता को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कल बहुत अच्छी तरह से एक श्लोक सुनाया जिसे सुनकर जी खुश हो गया। आपने श्लोक सुनाकर के दलील भी दी। मुझे खुशी हुई यह देखकर कि जहां आपको अंग्रेजी से प्रेम है वहां संस्कृत से भी मुहब्बत है। दलील जो हुई बहुत मजेदार हुई, मुझे भी बहुत पसन्द आई वह यह है कि हमारे दोस्त ने फरमाया कि आपकी स्पीच निस्सार रही और कुछ दम नहीं रहा मगर मैं उनसे सहमत नहीं हूं। आपने बहुत से प्वाइन्ट्स कहे। एक बार आप कहते हैं कि काम बड़ा अच्छा हुआ पंचायतों का, इतनी अपीलें दाखिल हुई और इतनी मंजूर हुई। हुजूरवाला फिर अमेंडमेंट लाने का क्यों सवाल पैदा हुआ। मैं एप्रोशिएट करता हूं कि आपका बहुत अच्छा तर्क था और तहेदिल से मैं आपको मुबारिकबाद देता हूं लेकिन वह जो श्लोक पढ़ा आपने उसे मैंने फौरन लिखा और वह मुझे बहुत ही पसन्द आया। इस ढंग का एक श्लोक भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है।

"व्यावसायात्मिकाबुधिः रे कः

कुरुनन्दन, बहुशाखा ह्यजन्ताश्च बुद्धे अबवसाइनाम।"

जिसकी बहुशाखा बुद्धि होती है वह कभी कुछ कभी कुछ बोलता रहता है। इसी तरह की चीज मैंने नोट की। बहस इस बात पर है कि वह मंत्री जी पर फिट होता है मगर श्लोक बहुत अच्छा है, इसमें दो रायें नहीं हैं। बहु बुद्धि, एक बुद्धि हजार बुद्धि, जरा गौर फरमाइये कि इधर है या उधर। कह देना बड़ा आसान है मगर सबूत देना चाहिये। यहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, यहां पर शिक्षित वर्ग बैठा है इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि दोनों को तौल कर देखा जाय। हमारे माननीय मंत्री जी कांग्रेस में आये क्योंकि गुलामी जानी चाहिये, तकलीफ हो या आराम हो मगर आजाद होना चाहिये। गिरफ्तारी भी हुई लेकिन वतन आजाद हुआ। लेकिन आप कांग्रेस में शरीक हुये तो टोपी सफेद थी और उसके बाद आप सोशलिस्ट पार्टी में गये तो टोपी लाल हो गई। उसके बाद .....

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह कुछ विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—मैंने अर्ज किया कि उन्होंने श्लोक पढ़कर आपको बताया कि बहुबुद्धि वाले हैं। इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो कांग्रेस में रहे वह सोशलिस्ट हुये..

श्री अध्यक्ष—उन्होंने सिर्फ उसकी ओर इशारा किया था लेकिन आप तो विश्लेषण कर रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसका फैसला आप खुद करें। एक संस्कृत का श्लोक है :—

"दिवान्धाः प्राणिनः केचित्,
रात्रावन्धास्तथापरे।
केचित् दिवा तथा रात्रौ,
प्राणिनस्तुल्य दर्शन :

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

कुछ लोगों को दिन में नहीं दिखलाई पड़ता, कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनको रात में दिखलाई नहीं पड़ता, कुछ लोगों को दिन और रात दोनों में बराबर दिखलाई पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन को न दिन में दिखलाई पड़ता है और न रात में दिखलाई पड़ता है। अब इसका फैसला वह खुद करें कि फिधर हजार बुद्धि है और फिधर एक बुद्धि है।

बहुत जोरदार शब्दों में कहा गया है कि यह 'न्याय' शब्द क्यों लाया गया, 'अदालत' शब्द ठीक है, 'अदालत' शब्द बहुत प्रचलित है, मगर यह भूल जाते हैं कि अदालत शब्द जो है वह बदनाम हो चुका है, लोग कहते हैं कि यहां झूठ क्यों बोलते हो, यह अदालत थोड़े है, अदालत में झूठ बोलना, यहां झूठ क्यों बोलते हो। तो झूठ बोलने की जगह अदालत जायज मानी गयी है ऐसी दशा में अगर बदनाम शब्द 'अदालत' को हटा करके 'न्याय' शब्द रखा गया, तो क्या हो गया, ठीक किया गया।

एक और जोरदार शब्द फरमाया गया कि अगर यह सभी अच्छा था, तो फिर बिल लाने की क्या जरूरत है। मैं अर्ज करता हूं कि अच्छे को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। एक काम अच्छा है तो वह वहीं नहीं खत्म हो जाता है, वह और अच्छा बनाया जा सकता है। आप मोटर का सौ वर्ष पहले का इंजन देख लें और इस साल का देख लें। हर साल कुछ न कुछ सुधार हुआ करता है, अगर अच्छे को और अच्छा बनाया गया तो कोई गलती नहीं की गयी, अच्छा ही किया गया। एक तरफ यह फरमाते हैं कि चुनाव जल्दी करना चाहिये, शीघ्रता करनी चाहिये, पोस्टपोन करना ठीक नहीं है और जब बिल लाया गया कि कानून जल्दी बन जाय, तब यह फरमाया जाता है कि नहीं साहब इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाय, डिले कर दी जाय। तो एक तरफ जल्दी करते हैं और एक तरफ डिले करते हैं। जनमत को मालूम है, पढ़े लिखे लोग हैं, अखबार में बिल छप गया है, गजट में निकल गया है, लोगों ने चिट्ठी भेजी है, खत भेजे हैं और आप जन प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं, तो फिर देर करने की क्या जरूरत है।

एक बात बड़े जोरदार शब्दों में कही गयी कि श्रमदान लेना ठीक नहीं है। भाई जयपाल सिंह चले गये, मैं बड़े ध्यान से उनके व्याख्यान को सुनता था और गौर करता था। इसमें कोई शुब्हा नहीं कि जबरदस्ती काम लेना ठीक नहीं होगा। मैं सहमत हूं इससे।

श्री जयपाल सिंह—मैं बैठा हूं।

श्री सीताराम शुक्ल—आप बैठे हैं, बड़ा अच्छा है। मैं यह कह रहा था कि जब आजादी मिली है तो बेगार जानी चाहिये। पुलिस की बेगार थी वह गई, तो अब दूसरी बेगार आनी ठीक नहीं है। हर एक माननीय मेम्बर चाहेगा कि बेगार न हो और इसमें कोई शुबहा नहीं है कि नहीं होनी चाहिये। मगर मेरी गुजारिश यह है कि श्रमदान की जो दुहाई दी गयी वह इसपर नहीं लागू होती। इसमें यह शर्त है कि अगर गांव सभा के दो-तिहाई लोग चाहें तब काम लिया जा सकता है और वह काम उन्हीं के गांवों में होगा। उन्हींके गांवों में सड़कें बनाना, स्कूल बनाना और उन्हीं के गांव में किसी गरीब का मकान बनवा देना, यह बेगार नहीं हुई। हुजूरवाला, एक चपत मारता है दुश्मन और एक चपत मारता है मास्टर, दोनों ने चपत मारी मगर मकसद में जमीन व आसमान का फर्क हुआ करता है। बेगार वह है कि एक आदमी अपने काम के लिये बेगार कराता है, सख्ती करता है। लेकिन अगर कोई काम पब्लिक के लिये किया जाता है तो वह बेगार नहीं हुई और खासकर के जब गांव सभा पास करती है, उसी के चुने हुये उसके दो तिहाई मेम्बर बहुमत से पास करते हैं तो वह बेगार नहीं हुई। आप जानते हैं कि हमारे यहां पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, शिक्षित लोग नहीं हैं और यह कहा गया है कि :

विद्याविहीनं पशुः

जो विद्या नहीं जानते हैं, वह पशु हैं, और पशु डंडे से मानते हैं बात से नहीं मानते हैं, समझ ने से नहीं मानते हैं।

'शठेशाठयं समाचरेत'

वह समझाने से नहीं मानता है। जो भला आदमी है वह बात से मान लेता है लेकिन बुरा आदमी जो मूर्ख है वह डंडे से मानता है। इसीलिये डंडा दिया जाता है। अब विदेशी हुकूमत नहीं है, अब अपनी हुकूमत है, अपनी सरकार है, अपने दोस्त हैं। एक बात हमारे दोस्त ने फरमाया जोरदार शब्दों में कि अल्लाह अल्लाह कहते कहते राम राम कहने लगे और दोनों में पड़ कर बीच में डूब गये। मेरा यह कहना है कि बिना मेल के काम नहीं होता। गंगा और यमुना जहां मिलता हैं वहीं संगम होता है। इसलिये दोनों का समन्वय किया गया है। अलग अलग चुनवाने से उनको फायदा नहीं होगा लिहाजा समन्वय किया गया है। अब लाल रोशनी हो गई है लिहाजा हमको जल्द ही खत्म करना चाहिये। हुजूरवाला, सिर्फ एक प्वाइन्ट आपकी नोटिस में और लाना चाहता हूं कि हमारे पंच और सरपंच गरीब होंगे, पैसे वाले नहीं होंगे। चुनाव जब होगा तो भागेगा आदमी पंच और सरपंच बनने से। अगर उनको कुछ दे दिया जाय तो काम अच्छा होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर ध्यान दें कि जो रुपया जुरमाने वगैरह के रूप में मिलेगा, फीस मिलेगी उस पैसे को अगर ईमानदार पंच और सरपंच को दिया जाय जो लेना चाहे, न लेना चाहे तो मत दीजिये, तो मैं आशा करता हूं कि काम बहुत अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको बधाई दे कर अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से इस विधेयक पर माननीय सदस्यों के व्याख्यान सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने इस प्रदेश की १,११,७२२ इकाइयों में सर्वप्रथम प्राचीन पंचायत प्रणाली का पुनरुद्धार किया और जैसा स्वतंत्रता प्राप्ति के मौके पर कहा जाता था कि हमारी आजादी का प्रादुर्भाव पंचायतों द्वारा गांवों से होना चाहिये उस निश्चय के अनुसार १५ अगस्त, १९४९ में पंचायती राज्य का कानून लागू किया गया और उस समय से साढ़े चार साल के इस मौजूदा प्रबन्ध को देखते हुये जो जो आवश्यक संशोधन उसमें मुनासिब समझे गये उनको इस हाउस के सामने प्रस्तुत किया गया। मैं यह समझता हूं कि इस दौरान में साढ़े चार साल के जो एक नई जिम्मेदारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण भाइयों के ऊपर डाली गई थी और जैसा कि उस समय जबकि पंचायत राज ऐक्ट को पास किया गया था और उसको लागू किया गया था उस समय हमारे बहुत से गांव के भाई अथवा उस भूतपूर्व सदन के माननीय सदस्यगण को यह भय था कि शायद पंचायत राज्य कामियाबी के साथ जनता की सेवा न कर सके। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है यह बतलाते हुये कि इन साढ़े चार साल के तजुर्बे के बाद मैं यह कह सकता हूं कि हमारे इस पंचायतीराज ने आशातीत सफलता प्राप्त की है। जहां तक शिकायत का सवाल है कि गांव सभाओं के अन्दर ये शिकायतें हैं या पंचायती अदालतों ने न्यायपूर्ण कार्य नहीं किया है तो शिकायत तो इस सदन की भी जाती है, इस सरकार की भी की जाती है जिस सरकार ने अपने प्रदेश को समूचे देश में ऊंचा करने के लिये कोई दकीका बाकी रखा हो। जितने ऊंचे और श्रेष्ठ कार्य विकास के इस प्रदेशीय सरकार ने किये हैं वे आज किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन यह सब होने के बाद भी आज इस प्रदेशीय सरकार की आलोचना करने वाले इस सदन में और बाहर भी बहुत से लोग हैं। अच्छा काम करने के बाद भी त्रुटियां रह सकती हैं। जहां सरकार के सामने इस प्रदेश का विकास करने का एक गम्भीर प्रश्न है तो वहां कौन कहता है कि जो विकास कार्य इस सरकार ने किया है वह विकास की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुका है लेकिन फिर भी शिकायतें की जाती है तो मैं समझता हूं कि हममें से बहुत से आदमी जो प्रौढ़ हैं, जो शिक्षित हैं और जो पढ़े-लिखे हैं और जिनको जीवन का एक तजुर्बा है और वह आदमी यहां पर सफलता के साथ कार्य कर रहे हैं और जहां इकाइयों में गांव सभाओं में जहां कि अधिकांश आदमी बगैर पढ़े लिखे होते हैं उन्होंने उस जिम्मेदारी

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

को जिस खूबसूरती से निभाया है जो उनके सुपुर्द की गई थी वह एक संतोष की वस्तु है, और हमारा प्रदेश उस पर गर्व कर सकता है।

हमारे प्रदेश में पंचायतराज की स्थापना के बाद दूसरे प्रदेशों में भी इसी प्रकार के पंचायती राज्य कानून बने और वहां पर सफलता के साथ कार्य चल रहे हैं यहां पर कुछ संशोधनों का जिक्र है जो कि संशोधन इस हाउस के सामने प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें बहुत से अत्यन्त आवश्यक थे और जिनको लाना निहायत जरूरी था लेकिन उनमें से कुछ से मैं सहमत नहीं हूं जैसे कि प्रधान और उपप्रधान के चुनाव का प्रश्न है। प्रधान के लिये जहां तक योग्यता और आयु का प्रश्न है, हमारे कुछ भाइयों ने जिनमें श्री जयपाल सिंह जी भी हैं, कहा है कि योग्यता और उसको आयु को नियुक्त करना न्यायपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूं कि जहां तक योग्यता का प्रश्न है, कल भी माननीय मंत्री जी ने बतलाया था, और मुझे पर्सनल नालिज भी है, जाती तजुर्बा है कि जहां हम गांवों में जाते थे तो गांव वाले हमसे शिकायत करते थे कि गलत टैक्स लगे हैं। मैंने कहा कि गांव सभा के प्रधान जी की जिम्मेदारी है, आप उनसे पूंछिये। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम सेक्रेटरी ने रजिस्टर पर मेरा अंगूठा जरूर लगवाया था।

ऐसी परिस्थिति में गांव सभा के प्रधान जिनके पास कुछ अधिकार भी हों टैक्स लगाने के और टैक्स लगाने के बाद निर्माण के कार्य करने के, अगर वह अनपढ़ हों तो हमारी तसल्ली हो सकती है कि हमारा एक अनपढ़ भाई भी गांव सभा का प्रधान हो गया। लेकिन वह असल माने में प्रधान नहीं है बल्कि प्रधान तो असल में पंचायत का सेक्रेटरी ही रहेगा और वह जिस प्रकार से चाहेगा उसी प्रकार से कार्य होगा हां, सीधे हाथ का अंगूठा वह जिस स्थान पर चाहेगा लगवा लेगा।

श्री अध्यक्ष—आप अपने भाषण को बाद में जारी रखेंगे। पांच मिनट हुये हैं, सात मिनट बाकी हैं। अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी तशरीफ नहीं लाये?

श्री उपाध्यक्ष—पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। अगर आरम्भ हो जाय तो समय बच जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि गांव सभा के प्रधान के लिए कम से कम कुछ तो योग्यता जरूरी होनी चाहिये, क्योंकि बगैर योग्यता के मेरा ख्याल है कि कुछ कठिनाइयां कार्य-संचालन में हुई और और गांव सभा के सेक्रेटरीज ने गलत कामों के ऊपर भोले-भाले गांव के प्रधानों से हस्ताक्षर भी करा लिये। यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षा हमारे प्रदेश में चूंकि बहुत कम है इसलिए शिक्षित प्रधान मिलने कठिन होंगे। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन शिक्षा का प्रसार अब इतना हो चुका है कि जो आदमी खड़े होने में दिलचस्पी रखता है, तो अब भी ६ महीने शेष ह, वह थोड़ा बहुत अवश्य सीख सकता है।

जहां तक आयु का प्रश्न है उस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि जो ३० साल की आयु रखी गयी है वह बहुत ज्यादा है और जब एक वोटर की आयु २१ साल रखी गयी है, एक बालिग की आयु १८ साल मुकर्रर की हुई है तो मेरी राय में २१ साल के वोटर को, जिसे वोट देने का अधिकार है उसे खड़े होने का भी अधिकार होना चाहिये।

जितने भी हमारे नये नये आदमी हैं वह पढ़े-लिखे हैं, तो २१ वर्ष की आयु का सम्भव है कोई मिल जाय, ३० साल की आयु वालों के लिये कठिनाई जरूर उत्पन्न हो सकती है।

गांव सभा के उपप्रधान के चुनाव के सिलसिले में जो संशोधन आया है उसमें बताया गया है कि सालाना उसका चुनाव होना चाहिए, तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। क्योंकि प्रत्येक वर्ष चुनाव होता रहा, गांव में दलबन्दी उत्पन्न होती रही और निर्माण और ग्राम सुधार के सब काम ठप होते रहे, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांव सभा के प्रधान के साथ ही साथ उप-प्रधान का भी चुनाव उसी समय तक के लिए किया जाय, जिस समय तक के लिए गांव सभा, गांव पंचायत, अदालती पंचायत आदि के किये जावेंगे।

जहां तक कार्यकाल का सम्बन्ध है, संशोधन में ५ वर्ष रखा गया है,। मेरी राय में ५ वर्ष न रखा जाकर ३ वर्ष जो वर्तमान ऐक्ट में है वही रहना चाहिये, क्योंकि हमारा एक नया तजुर्बा है और इस नये तजुर्बे में जहां बहुत सी हमारी गांव सभाएं सफलतापूर्वक अपने कार्यों को करती हैं किन्तु कुछ में से ऐसे अकर्मण्य आदमी भी आ जाते हैं कि जो उसमें असफल रहते हैं। इसलिए ३ साल का समय ही फिलहाल रखा जाय और तजुर्बे के बाद उसको बढ़ाया जा सकता है।

जहां तक गांव सभा के सदस्यों का सवाल है गांव सभा के मौजूदा ऐक्ट में ३५ आदमियों से लेकर ५१ आदमियों तक की उनकी संख्या है, लेकिन इतनी अनबोलडी उनकी कमेटी और पंचायत बन जाती है कि उसका कोरम कभी पूरा ही नहीं होता है। और ऐसी दशा में लोग निरुत्साह हो जाते हैं जब लोगबाग इकट्ठे नहीं होते अपने गांव सुधार के कार्यों के लिए भी साथ ही जब हमारी म्युनिसिपैलिटीज में जिनकी आबादी २०, २० हजार के करीब है उनमें १५, १७ के करीब मेम्बर रखे जाते हैं, हमारी टाउन एरियाज में जिनकी जनसंख्या ९ हजार तक है, उनमें ९ या १० मेम्बर रखे जाते हैं तो मेरी राय में किसी भी हालत में गांव पंचायतों के सदस्यों की संख्या नौ से अधिक नहीं होनी चाहिये। चूंकि आगे गांव समाज और गांव सभायें एक होने जा रही हैं और २५० से कम की जनसंख्या के जितने भी ग्राम हैं वह निकटवर्ती दूसरे ग्रामों में मिला दिये जायेंगे, इसलिये २५० के ऊपर कम से कम तीन सदस्य और अधिक से अधिक नौ सदस्य ग्राम पंचायतों के होने चाहिए। चूंकि एक ग्राम सभा का प्रधान और एक उपप्रधान होगा, इस प्रकार से अधिक से अधिक ११ आदमी और कम से कम पांच आदमी आपके हो जायंगे। समय कम है। कहना तो बहुत चाहता था। लेकिन अब न्याय अदालतों के बारे में थोड़ा सा कहूंगा। बहुत से आदमियों ने यह कहा कि न्याय अदालतों में बहुत सी शिकायतें हैं, उनका कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है। तो क्या यह शिकायतें बहुत से हमारे जो आज तहसीलदार हैं उनके खिलाफ नहीं है, बहुत सब अदालतों और छोटी मोटी कोर्ट्स के खिलाफ क्या ये शिकायतें नहीं हैं। यह तो हमारा एक नया तजुर्बा है और उस नये तजुर्बे को सफलता के साथ आगे बढ़ाया है। जनता की बड़ी सेवा उसने की है, कितना बड़ा कार्य उसने किया है, कितने रुपये का शोषण जनता का उसने बचाया है, कितना एक्सप्लायटेशन जोकि अदालतों में उनका होता था वह कितना बचाया है, कितना आपस में मिल जुलकर, पारस्परिक तरीके पर उनके फैसले हुए हैं, यह आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए पंचायती अदालतों का रहना तो आवश्यक ही है। लेकिन जो उसमें चुनाव की व्यवस्था थी, उसमें जो संशोधन आया है मैं समझता हूं वह न्यायपूर्ण है। गांवसभावाले पंचों को चुनते हैं तो चुनने के बाद वह न्याय नहीं कर सकते, पार्टीबन्दी के ऊपर ही लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिये मेरी राय में यह ठीक ही रखा है कि पंचों के पैनेल का चुनाव सभी आदमी करेंगे। जिन तीन आदमियों को चुनने चाहिए उनको वह चुनेंगे लेकिन उस पैनेल में से जिसको कि गांववालों ने चुना है जिलाधीश को पंच चुनने का अधिकार होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कि यह विधेयक जनमत संग्रह के लिए घुमाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके लिए किसी कमेटी ने, ऐसी कमेटी ने जिसने नैनीताल में महीनों रहने के बाद, सुझाव दिया था, उस सुझाव के मुताबिक यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अफसोस है कि जो सुझाव कमेटी ने दिये, उसके मुताबिक भी पूरे अंशों में यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि इतना रुपया खर्च करने के बावजूद नैनीताल में किये गये निर्णय के खिलाफ जब सरकार विधेयक प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो सकती है तो मुझे यह भी विश्वास है और कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि जो प्रवर समिति सरकार बनाने वाली है और उसे सिपुर्द करके वह विधेयक फिर सदन के सामने लाना चाहती है। वह प्रवर समिति भी वैसी ही साबित होगी जैसी कि कमेटी साबित हुई थी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस विधेयक के स्कोप को बढ़ाना है और सही माने में इस निष्कर्ष पर दो दिन की बहस के बाद यह सदन पहुंचता है कि इस विधेयक की खराबियों को दूर करना है तो उसका यही तरीका हो सकता है कि इसे जनमत के लिये घुमाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामलखन जी ने कल यह कहा था कि यह विधेयक जनमत के लिए अगर घुमाया जायगा तो धराशायी हो जायगा। धराशायी शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग जनमत शब्द के लिये उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन सबको बोलने की स्वतन्त्रता है। माननीय रामलखन जी ने जो चाहा कहा।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के बाहर भी बहुत से ऐसे माननीय नेता हैं, विद्वान हैं, मैं समझता हूं, जिनकी राय की उपेक्षा जनमत न लेने से होगी। मेरा विश्वास है कि ग्राम पंचायतों को एक लाख की जो इकाई है जिसके ऊपर गांव की तरक्की और गांव सरकार बनाने की जिम्मेदारी है उससे भी अगर राय नहीं ली जा सकेगी अगर इसको प्रवर समिति में भेज दिया गया। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को जनमत के लिए अवश्य घुमाया जाय। इससे इसका स्कोप बढ़ेगा और सही मानो में जनता राय दे सकेगी जिसके कंधों पर यह विधेयक लादा जाने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के सम्बन्ध में जैसे असेम्बली और पार्लियामेंट में चुनाव की पद्धति संविधान में रखी गयी है वैसे ही इस विधेयक में भी बतायी गयी है चुनाव में भी प्रधान के लिए तीस वर्ष की पाबन्दी और खासकर पढ़ा-लिखा होने की जो शर्त है यह तो ऐसा लगता है कि गांव के वह लोग जो बड़ी तादाद में अनपढ़ हैं वह इस विधेयक की वजह से उसमें न आ सकेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि सरकार ने जो विधेयक बनाने की चेष्टा की है, उसके खास मानी यह हैं कि पिछले चुनाव में सरकार को मालूम हो गया था कि हमारे पैर से जमीन खिसक रही है। पिछले चुनाव के नतीजों से यह सरकार परेशान है इसलिए चाहती है कि ऐसे लोग गांवों में जो पढ़े लिखे कम हैं, जिनकी तादाद ज्यादा है, और पिछले विधेयक से जो अधिकार उनको प्रधान, उपप्रधान और सरपंच बनाने और बनने का मिला था उसको छीन लिया जाय और ऐसे लोगों को प्रधान बनाया जाय जो अब तक गरीबों का शोषण करते रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि पेटीशन के सम्बन्ध में भारतीय संविधान में जो शर्तें हैं वह इस विधेयक में रख दी गयी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विधेयक से इसको हटा देना चाहिए। पेटीशन सिर्फ उसी हालत में होना चाहिए कि एक तो अगर नामिनेशन में गलती हो गयी है तो पेटीशन किया जाय। दूसरे अगर रूल या ऐक्ट के खिलाफ अगर कोई चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो पेटीशन किया जाय। लेकिन जैसे पेटीशन पार्लियामेंट और असेम्बली के दायर होते हैं वैसे ही पेटीशन दायर करने का अधिकार यदि दिया गया तो पेटीशन वही करेगा

जिसके पास पैसा होगा और अदालतों में पहुंचने की शक्ति होगी। तो गरीब और अनपढ़ आदमी पेटीशन से फायदा नहीं उठा सकेंगे।

तत्पश्चात् आप देखेंगे कि पांच साल के बाद चुनाव करने का विधेयक में बन्दोबस्त किया गया है। मैं इसका विरोध करता हूं। तीन साल ही बहुत ज्यादा था। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि सरकार वहां पर प्रधान को निकाल सकती है तो यह दो परस्पर विरोधी बातें हैं। एक तरफ सरकार इस विधेयक में कहती है कि दो-तिहाई बहुमत से प्रधान निकाला जा सकता है। ऐसी दशा में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि दो तिहाई बहुमत जिस प्रधान के खिलाफ हो जायगा तो असली मानो में जनहित वही है और उसे निकाला जा सकेगा, पर सरकार किस जनहित के लिये स्वयं निकालने का अधिकार लेना चाहती है। सरकार को ऐसी शक्ति नहीं लेना चाहिये कि ऐसे प्रधानों को भी निकालने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले जिनके पक्ष में जनता हो। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव पद्धति के सम्बन्ध में विधेयक में कोई चर्चा नहीं है। पिछली बार चुनाव प्रत्यक्ष वोटों द्वारा हुआ, उससे बहुत नुकसान हुआ। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रत्यक्ष चुनाव के बजाय अप्रत्यक्ष चुनाव होने से सही मानी में पंचायतों का निर्माण हो सकता है।

विधेयक में श्रमदान को भी अनिवार्य कर दिया गया है। श्रमदान की जो पद्धति रही है वह बहुत अच्छी है। हर आदमी को अपने मन के मुताबिक श्रमदान देना चाहिये लेकिन अनिवार्य करने के मानी हो जाते हैं बेगार। श्रमदान में लोगों को जो दिलचस्पी नहीं होती है उसके बहुत से कारण होते हैं। जिन लोगों का पेशा मजदूरी है, जिनकी जिन्दगी केवल मजदूरी करने से बीतती है उनसे श्रमदान लेना उनके साथ ज्यादती होगी। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अनिवार्य श्रमदान की पद्धति को विधेयक से खत्म कर देना चाहिये।

टैक्स के बारे में भी मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे प्रदेश में टैक्स का बोझ गरीब लोगों पर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि मसलन गांव के रहनेवाले इक्केवान जो होते हैं उनको इक्के का टैक्स गांव में रहा तो गांव पंचायत को देना पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क से निकला तो जिला बोर्ड को टैक्स, टाउन एरिया से निकला तो टाउन एरिया का टैक्स और म्यूनिसिपैलिटी रोड से निकला तो म्युनिसिपैलिटी का टैक्स पड़ जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार मैंने हिसाब लगाया है साल भर में ४१ रु० ९ आ० एक इक्केवान पर टैक्स पड़ता है। जो तरीका टैक्स का विधेयक में बताया गया है मैं उसकी सख्त मुखालिफत करता हूं। सही मानी में पंचायतें स्वावलम्बी हों तो उसका एक ही तरीका हो सकता है, जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी वर्षों से कहती चली आ रही है कि ग्राम पंचायतों को मालगुजारी का चौथाई हिस्सा मिलना चाहिये। मैं इसकी पुरजोर शब्दों में ताईद करता हूं।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि न्याय पंचायतों में नामजद करने का अधिकार लेकर सरकार ने, बेईमानी और पक्षपात के इल्जाम को लेने का रास्ता अख्तियार किया है। सरकार ने जो यह अधिकार लेने की इच्छा जाहिर की है इससे ऐसा मालूम होता है कि सरकार को यह भय है कि अब गांव पंचायतें या न्याय पंचायतें हमारे हाथों में नहीं रहेंगी। सरकार अब तक उन्हीं आदमियों को नामजद करती रही है जो सरकार के चापलूस होते हैं और न्याय पंचायतों में ऐसे आदमियों को नामजद करके सरकार न्याय पंचायतों को अपने हाथ में लेना चाहती है। सरकार ने जो यह कदम उठाया है उसको देख कर मैं दावे से कह सकता हूं कि न्याय पंचायतें नहीं रहेंगी बल्कि सरकार की चापलूसी करने वालों की संस्थायें होंगी जो सरकार के खिलाफ पार्टियां होंगी उनको न्याय पंचायतों के जरिये दबाने का यत्न

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

किया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक में जो नामजदगी की व्यवस्था की गई है उसे सरकार फौरन उठा ले।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि सरकार ने सरपंच को इस विधेयक के द्वारा नोटिस देने का अधिकार प्रदान किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे जो ५ पंचों का मंडल, प्रत्येक मुकदमों का निर्णय करने के लिए बनता है उसके अधिकार को छीना जा रहा है। यह भी धारा विधेयक से उठा ली जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, आप यह भी देखेंगे कि गांव और न्याय पंचायतों के प्रबन्ध में सरकार का जो अब तक रुख रहा है वह यही कि अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों में लेने की कोशिश, और इस विधेयक से रही सही कमी पूरी हो जायेगी, जिससे ऐसे लोग न्याय पंचायतों में अधिकारी होंगे जो पार्टीबन्दी और राजनैतिक भावना से ओत-प्रोत रहेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार नहीं जाना चाहिये और सही मानों में वही सरपंच जनता के चुने हुये हो सकते हैं जो कि जनता के द्वारा चुनाव के जरिये आते हैं।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री राजनारायण जी ने जो संशोधन रखा है जनमत जानने के लिये, उसका विरोध करता हूं। इस विधेयक को यदि हम इस देश का जो घटना चक्र पिछले वर्षों में रहा है अगर उसको पृष्ठभूमि में इस अमेंडमेंट ऐक्ट को देखते तो मेरा विश्वास है कि हम एक सही नतीजे पर पहुंच जाते। हमको आजादी मिली और आजादी के मिलने पर हमने विधान बनाया। विधान हमने जिस आधार पर बनाया वह सामग्री इस देश में मौजूद थी। दूसरे देशों के विधान हमारे सामने थे। दूसरे देशों के प्रजातन्त्र के आधार पर जितने संविधान बनते हैं उनमें से प्रेरणा ली। लेकिन इसके साथ-साथ जब हमने उस प्रजातंत्र को अपने यहां सब से नीचे की इकाई में लाना चाहा तो उसके लिये हमारे पास यहां पर कोई भी मैटीरियल नहीं था, कोई भी सामान नहीं था। हमारे पास केवल हमारे कुछ अनुभव थे। कांग्रेस कार्यकर्ता, समाजवादी कार्यकर्ता और समस्त सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के चाहे वह किसी भी दल के हों उनके व्यक्तिगत अनुभव थे और सामूहिक अनुभव थे जिनके आधार पर हमने पंचायत राज यहां पर बनाया। इसलिये श्रीमन्, जब कि केन्द्रीय शासन और प्रदेश का शासन ठीक चला और अच्छा चला क्योंकि उसके पिछले कुछ आधार थे, कुछ प्रेरणा थी और कुछ रोशनी थी। वहां पर यह स्वायत्त शासन विभाग के सब से छोटे इकाई में दिक्कत पैदा हो जाय यह स्वाभाविक था। इसलिये उसको अपने यहां कार्यान्वित करने में दिक्कत हुई। तो यह भी स्वाभाविक था कि यहां पर स्वायत्त शासन मंत्री कुछ संशोधन लाते जिससे उन खामियों को दूर किया जाता। मैं यह विश्वास करता था कि जब स्वायत्त शासन मंत्री इस बात को कहेंगे कि इस पंचायत राज को कार्यान्वित करने में हमको यह दिक्कत आयी है, यह खामियां आयी हैं, उनको हम दूर करना चाहते हैं तो विपक्षी दल के नेता और उनके सहयोगी उनको बधाई देते अथवा कहते कि हम इस संशोधन का स्वागत करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं और अपनी खामियों को प्रकट करने के लिये आपको बधाई देते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस भावना से उस संशोधन को नहीं लिया। उन्होंने उसका विरोध किया और सख्त मुखालिफत की। मैं समझता हूं कि विपक्षी दल के नेता जो सम्भवतः यों तो वह उस सारी चीज को बहुत गहराई को नहीं देख रहे हैं अथवा देख रहे हैं तो

शायद वह समझते हैं कि हर एक चीज जो इस सदन में आये उसका विरोध होना ही चाहिये। जब मैंने यह देखा कि उनका यह ख्याल है तो उस वक्त मुझको एक किस्सा याद आता है, जो आज से ३५ वर्ष पूर्व इंगलैण्ड की पार्लियामेंट में हुआ। ईराक़ के विरोधी दल के नेता जी वहां के सम्राट् का विरोध करते थे इंगलैण्ड घूमने गये। जब वह वहां गये तो वहां पर हाउस आफ कामन्स को भी देखने के लिये गये। ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य ने उनको हाउस आफ कामन्स दिखाया। तब उन्होंने कहा कि श्रीमान् जी, यहां पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं जो इस सदन के नेता हैं.. और दूसरी तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि ठीक उनके सामने विरोधी दल के नेता बैठते हैं। इस पर उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि क्या वाक़ई एक ही छत के नीचे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर और विरोधी दल का नेता बैठ सकते हैं? मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं जानता कि हमारे विरोधी दल के नेता इस भावना से प्रेरित हैं या नहीं, मैं समझता हूं कि नहीं हैं। लेकिन मैं यह जानता हूं कि जब किसी विधेयक पर चाहे वह ठोस और रचनात्मक ही हो, वह अपने विचार प्रकट करते हैं तो कुछ न कुछ उसका आभास जो ईराक़ के विरोधी दल के नेता का था, उनके रवैये में भी आ जाता है। यदि वह इस आभास को न आने दें तो ज्यादा अच्छा हो। इस विधेयक को कार्यान्वित करने में जो दिक्कतें हुईं उनको दूर करने के लिये यह संशोधन लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह मानवता और प्रजातांत्रिक उसूलों के विरुद्ध है। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो शासन प्रजातंत्र को इतनी गहराई में ले गया है कि लाखों और करोड़ों आदमियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिला है तो वही शासन यह कैसे कर सकता है कि दूसरे हाथ से उस आत्मनिर्णय को वापस कर ले? यह नहीं हो सकता।

श्रम की बात कही गई। मैं जानता हूं कि पिछले दिनों में जो श्रमदान हुआ उसकी मुखालिफत हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने की। उन्होंने कहा कि यह बेगार है। मैं नहीं जानता कि बेगार के क्या मानी वे समझते हैं। मैं उनके एक महान् नेता का लेख जो निकला है, ट्राट्स्की का, वह पढ़ कर आपकी आज्ञा से सुनाना चाहता हूं। जब वह एग्जाइल में थे उस समय का नहीं बल्कि जब वह डिफेंस मिनिस्टर यानी मिनिस्टर आफ़ इंटीरियर थे—

"We are now heading towards the type of labour that is socially regulated on the basis of an economic plan, obligatory for the whole country, compulsory for every worker. This is the basis of Socialism. The militarisation of labour in this fundamental sense of which I have spoken is the responsible basic method for the organisation of our labour forces. It is true that compulsory labour is always unproductive. Is it true that compulsory labour is always unrpoductive ? This is the most wretched and miserable labour prejudice. Compulsory self-labour did not grow out of the feudal lords' ill will. It was a progressive phenomena."

ट्राटस्की का यह कहना है कि इट वाज ए प्रोग्रेसिव फीनौमीना। मैं नहीं समझता कि यदि दो तिहाई लोग यह तय करें कि यह रचनात्मक कार्य होना चाहिये तो वह इसलिये नहीं किया जाय कि एक-तिहाई उसका विरोध करते हैं। मैं यह कहता हूं कि हमारा विरोधी दल इस दशा को पनपा रहा है। वह समाजवाद या प्रजातन्त्र को नहीं पनपा रहा है। अगर इस प्रदेश और देश को ऊपर उठाना है तो मैं निवेदन करूंगा अपने विरोधी दल वालों से, कि यह केवल शासन के या सरकार के ही सहारे से ऊपर उठ कर उन्नति नहीं कर सकता है और प्रत्येक आदमी को सहयोग करना पड़ेगा। हां, यह हर्गिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि जबरदस्ती काम लिया जाय, लेकिन अगर एक गांव का बहुमत इस बात को महसूस करता है कि हमको निर्माण करना है तब किसी भी हालत में जैसे

[श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा]

अल्पसंख्यकों को देश की प्रगति को रोकने की कभी भी सुविधा नहीं दी जा सकती उसी तरह से किसी देश की इकाई की प्रगति को रोकने के लिये किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया जायगा कि वह उसको रोक दे। यही इसका मतलब है।

दूसरी बात मैं आपके द्वारा पंचों पंचायतों की नियुक्तियों के बारे में कहना चाहता हूं कि मैं नहीं समझ पाया कि इतना शोर क्यों है। इलेक्टेड पंचों के संबंध में इस दल को शिकायतें थीं और जो उस तरफ बैठे हैं उनको भी शिकायतें थीं। यदि हम उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर विरोध क्यों होता है? हम जानना चाहते हैं कि क्या पंच इसी तरह से चुने जायं? जाहिर है कि बहुत सी शिकायतें गवर्नमेंट को मिली थीं। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सी बातों को जानता हूं तो अगर हमने उसका बीच का रास्ता निकाल लिया तो इसमें कौन सी एतराज की बात है क्योंकि जो नियुक्ति होगी वह इलेक्टेड लोगों में से ही होगी। हां, यह जरूर होना चाहिये कि ऐसी नियुक्ति का अधिकार कलेक्टर को न होना चाहिये। मैं आपके जरिये से स्वशासन मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसका हमको कटु अनुभव है। हम समझते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में जिले का पूरा शासन न सौंप देना चाहिये। यदि शासन इसको स्वीकार करे तो उसके साथ एक दो नान आफीशियल सदस्य और रख दिये जायं। मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं कि प्रेसाईडिंग अथोरिटी कलेक्टर हो और मैं समझता हूं कि इस सदन में चाहे कोई सदस्य इस तरफ का हो या उस तरफ का, इसका पूरी-पूरी तरह से विरोध करेगा।

श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो निर्विवाद है कि यह जो विधेयक सदन के सामने है उसका गांवों में रहने वाली जनता पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। सन् ४७ में यह मूल विधेयक पारित हुआ था और पूरे पांच साल तक हम इसकी कार्यविधि को देखते रहे। हमने यह महसूस किया कि इसमें संशोधन करना है। कुछ लोगों ने अपने सुझाव भी सरकार के पास भेजे। अखबारों में भी इसके बारे में कुछ लिखा गया। इन सब चीजों को विचार करके सरकार ने यह विधेयक सदन के सामने रक्खा है। मैं भी यह मानता हूं कि इस पर अभी और विचार की जरूरत है। माननीय मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रक्खा है कि इसको प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय, लेकिन हमारे विरोधी दल के नेता चाहते हैं कि उसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सरक्यूलेट कर दिया जाय। हममें से अधिकांश लोग गांवों के ही रहने वाले हैं वहां के लोगों के विचारों से परिचित हैं वहां के लोग क्या चाहते हैं और उनके मनोभाव क्या हैं, इनसे हम परिचित हैं। हम उन विचारों को प्रवर समिति में रखेंगे और मुझे आशा है कि उस प्रवर समिति में सभी विचारों के लोग होंगे। वे सब अपने-अपने विचारों को रखेंगे। जो भी उचित संशोधन होगा उसको करेंगे। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सरक्यूलेट करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

इस बिल में दो किस्म की व्यवस्था है। एक तो गांव पंचायतों को और दूसरी न्याय पंचायतों की। जहां तक गांव पंचायतों का सम्बन्ध है सदन में दो रायें नहीं हैं। इसकी उपयोगिता को सभी लोग मानते हैं और इसकी रूप रेखा में भी बहुत मतभेद नहीं है। दो चीजों के ऊपर सदन में मतभेद मालूम पड़ता है। एक तो श्रमदान की प्रणाली, जो इस बिल में एक नयी चीज रखी गयी है, इसको जो लोग बुरा कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उनकी राय कुछ अच्छी सी नहीं है। श्रमदान का कार्य हम आगे बढ़ा सकते हैं तो हमको बढ़ाना चाहिये, लेकिन श्रमदान कैसे हो? एक चीज जो विरोधी दल ने उठायी थी और कुछ इस तरफ के सदस्यों ने भी कहा है, उस पर भी गौर करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं साल में २४ दिनों का श्रमदान अधिक समझता हूं, वह कम कर देना चाहिये। श्रमदान के साथ-साथ हमें अर्थदान की भी व्यवस्था इस विधेयक में करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे गांवों में जिन लोगों के पास ३ एकड़ से अधिक भूमि है उनको किसी न किसी किस्म का टैक्स देना चाहिये और वह उन लोगों में वितरित किया जाना चाहिये जिनके पास ३ एकड़ से कम भूमि है या जिसके पास भूमि नहीं है यदि वे निर्धारित श्रमदान करते हैं। इस तरह श्रमदान अर्थदान को मिला कर हम समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे गांव सभापतियों का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनकी पोजीशन सरकारी अधिकारियों के सम्मुख कुछ अच्छी सी हो और उनके काम में सरकारी अधिकारी अधिक सहायता करें। जब तक यह नहीं होता, हमारी गांव सभायें और गांव के सभापति बहुत काफी काम नहीं कर पाते। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक न्याय पंचायतों का सम्बन्ध है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। जब यह बिल सन् ४७ में पेश हुआ तो दो रायें थीं। एक राय के मुताबिक तो बिल पेश हुआ और दूसरी राय यह थी कि हमारी न्याय प्रणाली एलेक्टेड सिस्टम की नहीं होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी उसी किस्म की दो रायें हैं। आज भी काफी लोगों की यह राय है कि हमारी न्याय प्रणाली एलेक्टेड सिस्टम पर नहीं होनी चाहिये। उनकी तादाद क्या है इसके बारे में ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सदन में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बहुत काफी लोग इस पक्ष में हैं कि न्याय प्रणाली एलेक्टेड सिस्टम पर नहीं होनी चाहिये लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का जो मिल कर विचार है उनके सम्मुख नतमस्तक होता हूं। अगर सदन यह तय करता है कि न्याय पंचायतें रहनी चाहिये तो रहें, लेकिन इस पर गौर कर लेना चाहिये कि वह किस तरह से रहें। ५ साल की कार्यशैली ने और उनके कार्यों ने हमें बतला दिया है कि हमको ज्यादातर सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं तो समझता हूं कि जहां तक न्याय पंचायतों के पावर का सम्बन्ध है उसमें बहुत कुछ काटछांट होनी चाहिये और माल और अर्थ सम्बन्धी अधिकार उनको कतई नहीं होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे केसेज भी हुए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि हमारे रुपये फलां के जिम्मे चाहिये। रुपये नहीं चाहते थे लेकिन डिग्री हो गयी। इसलिये हमें काफी सतर्क होने की जरूरत है। जहां तक क्रिमिनल केसेज का सम्बन्ध है उनको ऐसे पावर दिये जायं जिससे गांव का भला हो जैसे कैटल ट्रेस पासेज, पब्लिक न्यूसेंस, ऐसे केसेज के सम्बन्ध में उनको अधिकार दिया जाता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके आगे जाने के लिये तैयार नहीं हूं कि उनको इससे अधिक पावर दिया जाय। यह सबसे बड़ी भूल होगी अगर उनको इससे अधिक पावर दिया जाय। अगर इस क्षेत्र में वे सफलता पूर्वक काम करते हैं तो उनका पावर बढ़ाया जाय और उन अदालतों को पावर ज्यादा दिया जाय जो ईमानदारी से काम करती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम सतर्कता के साथ नहीं चलते तो बड़ा धोका सा होगा। जिस समाज की न्याय प्रणाली गलत उसूलों से बनेगी वह समाज अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। न्याय पंचायतों के विषय में दो रायें नहीं होनी चाहिये। न्याय पंचायतें ऐसी होनी चाहिये जिनसे हर आदमी समझे कि उसको उनसे न्याय मिलेगा। ऐसी न्याय प्रणाली हमें कायम करना चाहिये। इस विषय पर हम समझते हैं कि प्रवर समिति को विशेष ध्यान देना चाहिये।

जहां तक अदालती पंचायतों के सदस्यों के नामिनेशन का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि सरकार नामिनेशन के पक्ष में है। पिछले अनुभव ने बताया है कि एलेक्शन से जो लोग आये उन्होंने ठीक न्याय नहीं किया और इसीलिये उस तरीके में परिवर्तन की आवश्यकता है परन्तु इसमें सरकार जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है उसको उसे न लेना चाहिये। अब तक तो सरकार कह सकती थी कि यह तुम्हारे ही चुने हुए आदमी हैं लेकिन ऐसा करने से सारी जिम्मेदारी सरकार पर ही आ जायगी, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस

[श्री लाल बहादुर सिंह]

पर फिर से विचार करें कि नामिनेशन का तरीक़ा सरकार और जनता के लिये कहां तक हितकर होगा। मैं समझता हूं कि हमें किसी ऐसी प्रणाली का आविष्कार करना चाहिये जिससे न्याय लोगों को मिले और मैं इस विषय को प्रवर समिति के ऊपर ही छोड़ता हूं कि वह लोग किस तरह से चुने जायं। हो सकता है कि मौजूदा सिस्टम दोषपूर्ण हो लेकिन नामिनेशन भी कम दोषपूर्ण नहीं है और उसमें भी बुराइयां आ सकती हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति इस विषय पर विशेष ध्यान देगी।

इसके बाद एक सवाल टैक्सेशन का है। सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिये कि वहां टैक्सेशन की पद्धति क्या हो। मैं समझता हूं कि पंचायत सेस भूमि पर लगे और उसकी वसूली सरकारी मालगुजारी के साथ की जाय और यह वसूली का काम पंचायतों पर न छोड़ा जाय क्योंकि उनको उसके लिये अगर मेशिनरी रखना पड़ेगी और बहुत दिक्कत होगी और इस तरह से जो वसूली सरकार करे वह उसे पंचायतों को देना चाहिये। हमारे विरोधी दल के नेता ने बहुत सी चीजों की बुराई बयान की लेकिन यह नहीं बताया कि हम कौन सी प्रणाली कहां अपनायें। इसलिये मैं विरोधी दल के नेता और उस तरफ के सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि वह अपने सुझाव हमारे सामने रखें जिन पर गौर किया जाय। जहां तक इस सवाल का सम्बन्ध है कि हमारी गांव पंचायतें और न्याय पंचायतें कैसी हों, तो हम सबको मिल कर और गौर करके एक उत्तम प्रणाली को स्वीकार कर लेना चाहिये। इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है। हमें ऐसी व्यवस्था कायम करना है जिससे हमारे ग्राम समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिले।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वराज्य प्राप्ति के बाद प्रदेश के देहात की जनता को यह महसूस करा सकने के लिये कि प्रदेश के शासन में और गांव के दैनिक कार्यों के संचालन में उसका अपना हाथ है; उस समय जिस पंचायतराज की व्यवस्था तथा स्थापना की गई थी, माननीय स्वशासन मंत्री ने जनता से अपने सीधे सम्पर्क गत अनुभव के आधार पर पंचायत राज ऐक्ट में जो यह काय्र कल्प करने वाला संशोधन विधेयक उपस्थित किया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को और उनके द्वारा सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। कल से जो इस आदरणीय सदन में बहस इस प्रश्न पर हो रही है यह बिल प्रवर समिति को भेजा जाय अथवा जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने प्रस्ताव किया है, इसे जनमत के लिये भेजा जाय, उसे मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं। कोई सम्मति ऐसी तो आई नहीं कि पंचायत राज्य को नहीं रहना चाहिये, यह खराब है और जनहित के लिये आवश्यक नहीं है और न यह ही सम्मति आई कि इसमें संशोधन नहीं होना चाहिये। साधारण सी बातें इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के विरोध में आईं और उनके लिये इसको जनमत जानने के लिये भेजना मैं समझता हूं, इसके कार्यान्वित होने में देर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बहुत सी बातें इस विधेयक में हैं जैसे पंचों की योग्यता के सम्बन्ध में या निर्माण कार्य के लिये अनिवार्य श्रमदान की व्यवस्था गांव सभाओं की स्वीकृति के बाद और यह सब ऐसी हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि सरकार वास्तव में यह चाहती है कि पंचायत राज्य से जनता को वास्तविक लाभ जो हो सकता है वह हो। माननीय विरोधी दल के नेता जी ने कल एक बात पंचायती अदालत के स्थान पर उसका नाम न्याय पंचायत होने के सम्बन्ध में कही। मैं समझता हूं कि जैसे हमारी प्राचीनतम संस्कृति की द्योतक यह पंचायत प्रणाली है और उसी ही प्रकार 'न्याय' शब्द भी उतना ही उत्तम रहेगा। 'पंचायत' के साथ 'अदालत' शब्द कुछ तालमेल खाता नहीं, और "न्याय" मिलने से हमारी संस्कृति के अनुसार बहुत बड़ा प्रभाव केवल नाम का ही पड़ेगा, इन पंचायतों की कार्यप्रणाली पर और कार्यों पर।

इसी तरह से टैक्सेशन के सम्बन्ध में कल माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने कहा था कि टैक्सेशन जनता पर बहुत ज्यादा हो जायगा। यह तो ठीक है कि नहीं होना चाहिये और जैसा कि माननीय बालेन्दुशाह ने कहा था कि टैक्सेशन तब संतुलित हो सकता है जब जितने स्थानीय निकाय हैं उन सबका एक संगठित लेजिस्लेशन हो और उसके अनुसार ऐसा हो सके कि कहीं पर दुहरा टैक्स न हो जाय, वह तो ठीक है लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक यह कहना कि टैक्स किसी तरह का लगे ही नहीं और कार्य सब हो जाय तो यह कुछ "न नौ मन तेल होगा" वाली बात होगी और यह विरोध तो केवल विरोध के लिये ही प्रतीत होता है।

पढ़े-लिखे हुये लोगों का ही प्रधान आदि होने पर आपत्ति की गई कि यहां की जनता बहुत बे पढ़ी हुई है और पढ़े-लिखे की बात कह कर उन बेपढ़ों को उनके अधिकारों से वंचित किया जायगा। मैं समझता हूं कि यह भी विद्या और शिक्षा का जो महत्व है उसके प्रति अन्याय करने की बात है। जनता पढ़ी लिखी नहीं है उसके लिये अतः यदि यह पाबन्दी लगाई जाती है कि यह डिग्री हो या इस लेविल तक पढ़ा हो तब तो आपत्ति की बात होती किन्तु जब साधारण ज्ञान हो ऐसा रखा गया है तब तो आपत्ति न होनी चाहिये। अगर गांव के प्रधान या पंच या सरपंच अपढ़ हों तो अब तक जितनी कार्यवाही जिस प्रकार की हुई है उसको रोका नहीं जा सकता। आयु की बात भी विशेष महत्व की है। अधिक आयु के आदमी ही सरपंच होने पर जनता को ठीक ठीक उसकी सेवायें मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो साम्प्रदायिक आधार पर गांव सभाओं के सदस्यों के रिजर्वेशन की बात दूर की गई है यह भी मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये बहुत ही आवश्यक था और एक अच्छा कदम है। इसमें एक दूसरी बात जो माननीय राजनारायण, नेता विरोधी दल ने कही वह थी नामिनेशन की कि इसमें नामजदगी नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में नामजदगी का जितना अंश है वह एक प्रकार से सेलेक्शन है। एक पैनेल प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सामने आता है उसमें से वह कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं यह तो नामिनेशन नहीं बल्कि एक प्रकार का सेलेक्शन हुआ और जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने वांचू कमेटी की रिपोर्ट के एक अंश को प्रस्तुत करके सिद्ध किया था कि न्याय का कार्य निर्वाचित लोगों के द्वारा ठीक-ठीक नहीं हो पाता, मैं भी यही समझता हूं कि यह बीच की बात उचित है और यह एक ऐसी विधि है जो उस कमी को पूरा कर सकती है।

इसके अलावा जो गांव सभा या पंचायत के सदस्यों की योग्यता या अयोग्यता की कुछ बातें आई हैं कि जो लोग १०९ या ११० के होंगे उनको अयोग्य समझा जायगा वह भी उचित है। मुझे पता है कि कुछ पंचायतों और गांव सभाओं में ऐसे भी लोग चुनकर आ गये थे और वह अवांछनीय होते हुये भी उसमें थे। लेकिन इस तरह से बुरे आदमियों को पंचायतों और गांव सभाओं में जाने से रोकने का यह एक अच्छा साधन हो सकेगा।

हां, एक बात जरूर है कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से हो तो उससे जो वहां लोगों में चुनाव लड़ कर बुरी भावनायें पैदा हो जाती हैं वह नहीं हो सकेंगी और उनके आपस का भाई चारा ज्यों का त्यों बना रहेगा। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति में इस पर भी विचार किया जायगा क्योंकि वास्तव में यह ग्रामीण जनता के लिये एक लाभ की बात होगी।

इसी प्रकार से श्रमदान जो कि निर्माण के लिये अति आवश्यक है उसे कम्पलसरी करके ही हम पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं। विधेयक में जो थोड़ी सी ढील दी गई है कि जो स्वयं श्रमदान न करें वह एक रुपया या दो रुपया दें, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं

[श्री कृष्णशरण आर्य]

होना चाहिये। इससे जो धनी लोग हैं वह श्रमदान से वंचित रह जायंगे और श्रमदान का जो महत्व है वह इससे पूरा नहीं हो पायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, आजकल के प्रजातन्त्रवाद की प्रणाली की इस परिस्थिति में जब कि सरकार पावर को पूरी पूरी डिसेन्ट्रलाइज करने की सोच रही है, मैं समझता हूं कि अपने गांव की एकोनामी और सोसायटी में पंचायत से अधिक महत्वपूर्ण स्थान शायद ही कोई और योजना रखती हो। श्रीमन् पंचायतराज विधेयक में संशोधन करने के लिये यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है किन्तु मेरा विचार है कि जैसे-जैसे हमारी त्रुटियां सामने आती जायेंगी और हमारी पंचायत राज की योजना का अनुभव बढ़ता जायगा, शायद एक ही नहीं बल्कि अनेक ऐसे संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने पड़ेंगे और शायद अन्त में हमको एक नया ही विधेयक बनाना पड़ेगा। पंचायत राज की आलोचना श्रीमन् इस भवन में और इस भवन के बाहर पब्लिक प्लेटफार्म और प्रेस से काफी हो चुकी है परन्तु मुझे खेद यह है कि उन आलोचनाओं के पढ़ने से और उनके सुनने से कम से कम मैं जब कि उस कमेटी में बैठा था, मुझे कोई उत्साह नहीं मिला क्योंकि दुर्भाग्य से आलोचना यही थी कि पंचायतराज खत्म कर दिया जाय। समाप्ति तो श्रीमन् इसकी हो नहीं सकती थी क्योंकि इस तरफ सरकार ने अपना बहुत बड़ा कदम उठा लिया था और यह सोचना भी असंभव था कि क्या हम इसको समाप्त कर दें। परन्तु हां वहां की त्रुटियां देख कर और अनुभव से यह जरूर आवश्यक समझा गया कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिये और उसके फलस्वरूप यह विधेयक उपस्थित है। श्रीमन्, पंचायतराज या पंचायत राज की योजना में जो त्रुटियां हैं, क्षमा किया जाऊं यदि मैं यह निवेदन करूं कि उसका दोष पंचायत राज की योजना पर नहीं, उसका दोष पंचायत राज के विधेयक पर नहीं, उसका दोष पंचायत राज के लोग यानी हमारे देहातियों पर नहीं, जो कुछ भी त्रुटियां हैं उसका दोष श्रीमन् सरकार पर है, हम पर है और हमारी जनता पर है, वह जनता जो कि लिखी पढ़ी जनता शहरों में रहती है और आलोचनाएं किया करती है। श्रीमन् मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि प्रजातंत्रवाद में कोई भी इस प्रकार की सरकारी योजना सफलतापूर्वक चल नहीं सकती जब तक कि देहात में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट न की जाय और यह भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रजातन्त्रवाद में पब्लिक ओपियन क्रिएट हो नहीं सकती जब तक कि स्थानीय लीडरशिप वहां पर न कायम न रहे। दुर्भाग्यवश, श्रीमन्, स्थानीय लीडरशिप तो हमारे देहात में खत्म हो चुकी है, स्थानीय लीडरशिप तो हमारे देहात से उड़कर शहरों में आ गयी है और अब वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके द्वारा वह देहाती जो कि अपढ़ हैं, बहुत दिनों से पददलित थे, बहुत दिनों से गुलामी की जंजीर में जकड़े हुये थे, बहुत दिनों से अपने पैरों पर खड़ा होना भी भूल गये थे। उनको समझाया जाय, उनको बताया जाय और उनसे यह कहा जाय कि किस तरह से पंचायत राज की सुन्दर योजना सफलीभूत हो सकती है।

इसके आगे, श्रीमन्, मैं खेद के साथ आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जितनी महत्वपूर्ण यह योजना है, उतना महत्व सरकार ने भी इस योजना पर नहीं दिया है। आप ही देखें, श्रीमन्, कि शुरू-शुरू में इस प्रकार की बड़ी योजना लागू करना और अपढ़ लोगों पर, जैसा मैं बतला चुका हूं कि जो अपढ़ हैं और जो दबे हुये थे, उन पर लागू करना और उनके ऊपर पंचायत सेक्रेटरी के वेतन का भी भार डाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देना, उसका नतीजा क्या हुआ? श्रीमन्, उसका फल वही हुआ जो हो सकता था, ऊटपटांग टैक्स लगाये गये और उस पर भी पंचायत सेक्रेटरी का वेतन न दिया जा सका और सरकार को फिर अपनी तरफ से देना पड़ा। परन्तु इतना ही नहीं, जब सरकार ने पंचायत सेक्रेटरियों का वेतन देना शुरू किया तो वह सोचा कि अब इनको वेतन हम देते हैं, इसलिये इनसे कुछ और काम लिया जाय और फिर उनसे वह काम लिया गया जिसका उनको वेतन नहीं दिया जाता है। उनका सारा टाइम प्लानिंग की योजना में लगाया गया, प्लानिंग आफिसर के नीचे यह पंचायत राज के सेक्रेटरी रहते हैं, प्लानिंग का काम इनको करना पड़ता है। उसका फल यह होता है कि जिसके लिये उनको तनख्वाह मिलती है और वह पंचायत राज के सेक्रेटरी कहलाते हैं, उस पंचायत राज का कोई काम यह नहीं कर पाते।

इसके साथ ही साथ, श्रीमन् आप देखें कि ऊपर डाइरेक्ट्रेट में भी कोई आर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा पंचायत राज का नहीं है। करीब ४७ हजार पंचायत राज संस्थाएं अपने सूबे में हैं और उसके लिये सिर्फ पांच अपने यहां डाइरेक्टर या असिस्टेंट डाइरेक्टर या जो कुछ समझिये वह हैं। दो शायद डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं, दो असिस्टेंट डाइरेक्टर्स हैं और एक ज्वाइंट डाइरेक्टर है। पता नहीं वह ज्वाइंट किसके साथ है लेकिन ज्वाइंट डाइरेक्टर कहा जाता है और जब कि आप ऐग्रीकल्चर में देखें, प्लानिंग में देखें, कोआपरेटिव में देखें, न मालूम कितने डाइरेक्टर और बड़े-बड़े लोग काम कर रहे हैं और यहां पर सिर्फ इन पांच को काम संभालना पड़ता है। इसका श्रीमन्, फल यह होता है कि पंचायत राज की ऐसी उत्तम योजना और इतना अच्छा विधेयक होते हुये भी, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है। जहां पर इस विधेयक के द्वारा जनता के बहुत से कष्ट दूर होने चाहिये थे, वहां पर उनके कष्ट बढ़ गये हैं और ऐसा होगा ही, श्रीमन् क्योंकि चाहे जितनी अच्छी योजना हो लेकिन अगर उसकी खास तौर से देखभाल न की जा सके, उसका ठीक से ऐडमिनिस्ट्रेशन न हो सके, तो उसमें खराबियां आना स्वाभाविक है, जैसा कि एक राजनीति के पंडित ने लिखा है कि —

"Good laws badly administered may create greater havoc than bad laws well administered."

श्रीमन् हमारे लिये यह काफी नहीं है कि हम लोग यहां पर बैठ कर अच्छे-अच्छे कानून बनायें, हमारा कर्तव्य सिर्फ यहां पर बैठ कर कानून बना कर उसके बारे में बिल्कुल भूल जाना नहीं है बल्कि कानून बनाने के बाद हमारा कर्तव्य यह है कि हम देखें कि उस कानून का देहात में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है और अगर वह कानून हमको पसन्द है तो उसके लिये पब्लिक ओपीनियन क्रिएट करें। जब तक एक तरह का कोआर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक यहां के माननीय सदस्य और अन्य जनता जो कि इस काम में दिलचस्पी रखते हैं एक तरह से गवर्नमेंट के लिए जोंक की तरह से काम नहीं करेंगे और वाच-डाग से नहीं हो जायेंगे यह देखने के लिये कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो रहा है या नहीं, तब तक उसका इम्लीमेंटेशन ठीक से हो नहीं सकता। श्रीमन् मुझे खेद है कि जो कमेटी बैठाई गई थी उसके ये दो बड़े महत्वपूर्ण सुझावों से सरकार सहमत नहीं है और उसके तमाम सुझावों की अवहेलना की गई। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं उस कमेटी में सर्व करूं और मुझे अच्छी तरह याद है कि कई घंटे इस बात का वादविवाद होने के बाद शायद ही उसको कोई सदस्य ऐसा हो जो कि इससे सहमत न हो जो कि कमेटी ने पास किया था कि नामिनेशन को हटा देना चाहिये। श्रीमन् यहां पर रखा यह गया है कि अगर ३० या ३५ की जरूरत है तो उससे ५ ज्यादा चुने जायंगे और उन ३५ या ४० की सारी लिस्ट, एक पैनेल सा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाय और यह ५ व्यक्तियों की नियुक्ति करे पंचायत के लिये। श्रीमन् बहुत ही आसानी से माननीय सदस्यों को यह पता लग सकता है कि इस वर्किंग में कई कठिनाई खराबी और त्रुटियां हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हर एक पंचायती अदालत के सदस्यों का नामिनेशन करने के लिये यह हीं बैठक

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

कर स्वप्न तो देखेगा नहीं कि उनमें कौन आदमी उपयुक्त है उसको तो जांच ही करनी पड़ेगी और वह जांच चाहे पटवारी के द्वारा कराये, या थानेदार के द्वारा कराये या एस० डी० ओ० के द्वारा कराये इसमें जो खराबी पैदा होने का अंदेशा है वह किसी से छिपा नहीं रहना चाहिये और मुझे मालूम नहीं माननीय सदस्य इसको कैसे पसन्द करते हैं जब कि उनकी तरफ साफ़ मालूम हो सकता है कि इस कारण उन पर बहुत आफ़त आने वाली है। अपने-अपने क्षेत्र से हजारों आदमी आयेंगे और उनसे कहेंगे कि डी० एम० के पास चलो और कहो कि इन पांच व्यक्तियों में मेरा नाम हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य इस झंझट में पड़ना कैसे पसन्द करेंगे।

दूसरी चीज बैलट है। उसके लिये हमारी कमेटी में यह पास तो नहीं हुआ था लेकिन सब लोग यही चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार बैलट रखा जाय। सरकार की ओर से कहा गया कि उनके सामने ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज बहुत हैं इसलिये सरकार बैलट नहीं रख सकेगी। मेरा विचार है कि बैलट से जितना फायदा होता उसको देखते हुये किसी न किसी प्रकार से जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज हैं उनको दूर करना चाहिये। मैं इसमें कुछ ऐसी डिफिकल्टीज नहीं पाता कि जिनकी वजह से बैलट सिस्टम इंट्रोडयूस न किया जा सके। हां, अब अगर यह समझा जाय कि उसके लिये भी गाडरेज के बक्से बनाये जायं और हजारों रुपये खर्च किये जायं तो वह तो ठीक नहीं है लेकिन जैसा गांव का चुनाव होगा उसको देखते हुये घड़े रखे जा सकते थे, टीन के पीपे रखे जा सकते थे और वहीं पर पर्चे बांटे जा सकते थे। कम से कम मैं मजबूर हूं ऐसा समझने में कि कोई ऐसी कठिनाई थी जिसकी वजह से बैलट सिस्टम न रखा जा सकता। मैं आशा करता हूं कि सरकार ध्यान देगी और सिलेक्ट कमेटी में या यहां पर तीसरे स्टेज में भी यदि सरकार यह समझे कि बैलट को वहां इंट्रोडयूस करना ठीक होगा तो वह उसको करेगी और जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज हैं उनको दूर करेगी और बैलट सिस्टम को इंट्रोडयूस करेगी।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जौनसार)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सदन के इतने माननीय सदस्य दिलचस्पी ले रहे हैं और बहस के लिये तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सदन का एक घंटे समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे देश के निर्माताओं ने अगर कोई सदबुद्धि से काम लिया है और जनहित के लिये अगर कोई सच्ची और सही व्यवस्था की स्थापना करने की कोशिश की है तो मैं समझता हूं कि वह यही केवल एक प्रयास है। आज हमें दिखाई देता है कि पंचायत राज विधेयक ग्रामीण जीवन से गहरा संबंध रखते हुये एक जीवन ज्योति जगमगाने के लिये सदन में प्रस्तुत है। मैं समझता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे देश के जो बड़े-बड़े विद्वान् होंगे और काबिल होंगे तो वह जानते होंगे कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विदेशी वैभवशाली साहित्य में आज भी हमारे बहुत पुराने जमाने की पंचायतों की अमर कीर्ति अभी तक मौजूद है और ग्रीक इतिहास में आज भी इसका अमर संदेश उसी प्रकार घोषित करते हुये चला आता है जो उस जमाने में दिया गया था ।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ग्रीक लिटरेचर में बतलाया गया है कि 'VOX POPULAI VOX DAI" (The voice of the people is the voice of 'God.) यह उसूल है जिस पर देश में पंचायत राज्य खड़ा किया जा रहा है और जितने भी आक्रमणकारी हमारे यहां आये हैं उनके सामने अगर कोई अड़चन पैदा करने वाली चीज आई है तो वह यही पंचायतें थीं और जो एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में भारतवर्ष में सत्तायें मौजूद थीं और आक्रमणकारियों की जीत नहीं हो सकती थी। भारत की संस्कृति और सत्ता की अजेय गढ़ इन्हीं पंचायतों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कायम रखा। दुनिया में बड़ी-बड़ी संस्कृतियां पैदा हुयीं लेकिन उनका तख्ता उलट गया और वह सब मिट गयी। लेकिन भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता ऐसी है जिसका उज्वल यश आज भी दुनिया में मौजूद है और बड़े फख्र और नाज के साथ वह उसी प्रकार चला आता है ।

इसमें कोई शक नहीं है कि विदेशी हुकूमत ने पंचायतों को खत्म करने की कोशिश की लेकिन इनके हाथ में सदैव जीवन आता रहा है। पंचायतों की ईमानदारी और मानवता ऐसी रही है जिन्होंने आज तक हमारे देश के अन्दर जागृति रखी है। यह हमारे देश का ऊंचा प्रयास है कि आज हम इन पंचायतों को फिर से रिजुविनेट करने जा रहे हैं और इसी पर हमारे भावी भारत की सत्ता की क्षमता और भविष्य निर्भर है।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारा यह महान् प्रदेश इन पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिये आज तैयार है। हम आपको बतलाना चाहते हैं कि रूस के अंदर सोवियट जैसी छोटी-छोटी संस्थायें होती है । उसी प्रकार हम इन पंचायतों को हिन्दुस्तान के कोने-कोने में कर देना चाहते हैं जो ऐटम बम की क्षमता रखती होंगी और उनका कोई जीत नहीं सकता। अगर हमारी हुकूमत खत्म भी हो जायगी तब भी हमारे देश के अन्दर हजारों हुकूमतें मौजूद होंगी कि कोई भी आक्रमणकारी हमारे देश को खत्म नहीं कर सकता है।...इस उसूल को मानते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इसमें हमने पूरा-पूरा प्रयास नहीं किया तो हमारे उस महान् उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बार जब आप, "वाक्स पापुलाई वाक्स डे" (वाइस आफ दि पीपुल इज दि वाइस आफ़ गाड) को मानते हैं, एक बार एक उसूल को अप्रोबेट करते हैं तो आप उसी ब्रेथ में, उसी सांस में उसे डिस्अप्रोबेट नहीं कर सकते। अगर एक बार इस उसूल को मान जाते हैं कि जनता चुनाव से हुकूमतें खड़ी करेगी, देहली, की हुकूमत चुनाव से खड़ी होती है, यू०पी० की हुकूमत चुनाव से खड़ी होती है, क्या वजह है कि आपके उसूल के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी और नोटिफाइड एरिया में चुनाव होते हैं तो उस चीज को आप हमको कैसे डिनाई कर सकते हैं। अगर आप इस उसूल को पंचायतों में ठुकराते हैं तो आप उस फंडामेंटल प्रिंसिपल से डाईवर्ज होते हैं जिसको आपने इस देश के अन्दर बड़ी से बड़ी हुकूमत कायम करने के लिए अपनाया है। इसलिये नामिनेशन को इसके अन्दर रखना इस आपकी सत्ता की जो फाउंडेशन है उस को आप खत्म कर देंगे, क्योंकि उस फाउंडेशन पर वह ऐक्सेप्ट किया गया है कि वह चुनाव खड़ा कर दिया जायगा।

अब चन्द बातें हैं जिनको मैं इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं ताकि जितनी भी गड़बड़ी हमारी पंचायतों के अन्दर है वह दूर की जा सके। मैं बार-बार इस

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

सदन में कहता आया हूं और यह हमारा तजुर्बा है और यह मैंने अदालतों में देखा है कि जितनी जल्दी आप कानून बनाना चाहते हैं, कानून रश-अप करना चाहते हैं उतने ही अमेंडमेंट उसके अन्दर आते हैं। दूसरी बात जो मद्देनजर रखनी है और जो देखनी है वह यह कि आज शासन किस प्रकार चल सकता है और जनता किस हद तक हमारे साथ आगे चलने के लिए तैयार है। अगर जनता बड़ी तादाद में और मैजारिटी में उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनता ऐसे आदर्शवादी कानूनों को फौरन ठुकरा देगी। आज भी जनता कानूनों को नहीं मानती और मैं चैलेंज करता हूं कि आप उस जनता को कानून की अदालतों में चालान कर दें, उनके ऊपर मुकदमे चलाएं में देखना चाहता हूं कि क्या सरकार उस कानून की पाबन्दी करा सकती है? इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कानून, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उससे बहुत आगे नहीं बढ़ने चाहिये वरना किंग अमानुल्ला जो कि अफगानिस्तान को ऊपर उठाना चाहता था उसका पतन हुआ और उसको अफगानिस्तान को छोड़ कर भाग जाना पड़ा। इसलिए मैं आपसे निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि यह पंचायतों के लिए जहां तक आप क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर और बड़े-बड़े कोड बनाते हैं हमें उनको देख कर अफसोस होता है। हमारी जो बड़ी-बड़ी अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वह भी आज प्रोसीजर में और कानून के चक्कर में पड़ कर बड़ी-बड़ी गलतियां करती हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि बे पढ़ी-लिखी गांव की अदालतें, पंचायतें उस कानून को समझ सकेंगी कि उनका क्या अर्थ है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे इस सदन में बहुत से वकील भाई हैं जो एक ही कानून को कई प्रकार से समझते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कानून के इस जाल को खत्म कर देना चाहिये। कोई भोला और प्रोसीजर गांव की न्याय-पंचायतों के सामने नहीं रख देना चाहिये और हमें न्याय पंचायतों पर एक तरह से न्याय की व्यवस्था छोड़ देनी चाहिये जैसा कि हमारे बुजुर्गों के जमाने में होता था। उसके लिए आपको उनको दफायें देनी होंगी, जुर्मों को डिफाइन करना होगा, उसके बाद पंचायतें सच्चाई और झूठ को आसानी से जान सकती हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि वह बिना पढ़े लिखे हैं, इसलिये इन्साफ नहीं कर सकते। मेरा दावा और तजुर्बा है कि लिखे पढ़े और कानून के चक्करों में पड़ कर लोग बेइन्साफी कर सकते हैं, लेकिन मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि बे-लिखे पढ़े लोगों में इन्साफ का माद्दा इनबार्न है और वह बहुत अच्छा इन्साफ कर सकते हैं। क्योंकि जो जाल और जुर्म करने वाले लोग अपनी पोजीशन का फायदा अदालतों में उठा सकते हैं जिन्हें कानून की दफाओं के अन्दर कोई रन डाउन नहीं कर सकता, मेरा दावा है कि गांव के बे पढ़े-लिखे आदमी उनके नकेल डाल कर घसीट सकते हैं और कानून के चक्कर में लाकर उनको फांस सकते हैं।

हमने देखा, गांव के अन्दर बहुत से इस प्रकार के लोग हैं जिनको कानून के अन्दर पुली कहा जा सकता है। कानून तो एक गधा होता है। उस गधे को जो चाहे जिधर खींचकर ले जा सकता है। इसी प्रकार का कानून का डेफीनीशन फ्रांस में दिया है "Law is a donkey" इसलिये मैं समझता हूं कि गांवों के लोग बहुत अच्छी कानून की व्यवस्था कर सकते हैं और जो एक नामिनेशन की नीति है हमें इसको बिलकुल डिस्कार्ड करना चाहिये। भारतवर्ष जैसे देश को यह शोभा नहीं देता, जबकि आप के जिला बोर्डों के प्रेसीडेंट बिना पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं तो पंचायतों के प्रधान और उपप्रधान भी बिना पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं हो सकते?

*श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं जिस समय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह रिपोर्ट मुझे मिली थी, उस समय तो यह कांफिडेंशल थी, अब मालूम नहीं कि कांफिडेंशल है या नही, छप गई है या नहीं। (कुछ आवाजें—छप गई है।) मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सुन्दर रिपोर्ट मैंने बहुत कम पढ़ी है। इसकी भाषा बहुत ही सुन्दर और अच्छे ढंग की है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—ज्वाइन्ट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनाथ काटजू भी शायद उस कमेटी के मेम्बर थे। वह कमेटी जिसकी वह चर्चा कर रहे हैं, वह कोई ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी नहीं थी। ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में तो अब यह जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—वह उसी कमेटी को कह रहे हैं जिसके वह मेम्बर थ।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमन् मेरा निवेदन है कि मेरा वक्त जो माननीय मेरे मित्र ने लिया वह मेरे समय में से काट दिया जाय।

पंचायत राज का विषय बहुत ही गम्भीर है और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विचार में किसी प्रकार की पार्टी बन्दी का लिहाज या पार्टी का दृष्टिकोण नहीं रखा गया है। स्टैंडिंग कमेटी में जब बहस या विचार हो रहा था तो मुझे कोई भी मौका याद नहीं है जिसमें कि किसी अवसर पर वोटिंग की नौबत आयी हो या मेजारिटी और माइनारिटी का ख्याल करके निर्णय किये गये हों। इसके अन्दर सभी दल के प्रतिनिधि थे और हम सब इसकी महत्ता को समझते हुये इस पर विचार कर रहे थे। श्रीमन्, इस विधेयक का संबंध हमारे प्रान्त के देहाती हिस्सों में स्वशासन लाने और उसका प्रसार करने से है। हमारे यहां जब पराधीनता के काल में डेमोक्रेसी आयी तो उसका श्रीगणेश सेल्फ गवर्नमेंट से हुआ। वह सेल्फ गवर्नमेंट भले ही किसी अंश में हो लेकिन उसी के द्वारा डेमोक्रेसी का यहां प्रवेश हुआ और जब भारत स्वाधीन हो गया तो यह स्वाभाविक ही था कि उस स्वशासन को हम देहाती क्षेत्र में भी फैलायें। आज पिछले पांच वर्षों से यह कार्य हमारे प्रांत में चल रहा है और हमारे यहां जिस कार्य को शुरू किया गया वह हमारे ही सूबे में नहीं बल्कि हमारी देखादेखी, हमारे तजुर्बों से आज देश के दूसरे सूबे भी फायदा उठा रहे हैं और मैं कुछ जानकारी से कह सकता हूं कि बहुत से अन्य प्रांतों की आंखें हमारे इस विधेयक पर लगी हुई हैं और जब इस सदन से हमारा यह विधयक संशोधन के रूप में विचार के बाद पास होगा तो जिस तरह का नक्शा हम रखेंगे, संभवत: उसी प्रकार का नक्शा और दूसरे सूबों से भी आये। इस विधेयक के अन्दर एक ओर तो संशोधन का चित्र है। गांव सभा गांव समाज और उसी के साथ-साथ न्याय पंचायत और न्याय अदालतों का संबंध है। जहां तक कि ग.व समाज का संबंध है मैं यह निवेदन करूंगा और अब भी इसके बहुत सारे अंग स्पष्ट नहीं हो सके। आप इस विधेयक में देखेंगे कि जहां तक टैक्स का संबंध है इसमें बताया गया है कि किन-किन चीजों पर गांव समाज टैक्स लगा सकता है क्योंकि गांव समाज का काम उतना ही रहे ा जितना कि आजकल टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के अन्दर होता है। तो उनके लिये कर संग्रह करना स्वाभाविक ही है। उसी के ऊपर उनका कार्य निर्भर करेगा। लेकिन प्रश्न यह आ जाता है कि आज हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के काम में और गांव समाज के काम में ओवरलैपिंग हो रही है। और जिस समय हम टैक्सेशन के संबंध में विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने यह भी नक्शा है कि जहां तक हो सके टैक्सेशन का डुप्लोकेशन न हो। अगर गांवों से गांव समाज भी टैक्स लेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी टैक्स लेगा और सरकार का टैक्स है ही, तो यह बोझ बहुत ज्यादा हो जायगा और इसमें यह विचार करना पड़ेगा कि टैक्स की कितनी सीमा गांव समाज की रहेगी और कितनी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रहेगी। मेरा अपना विचार है कि हम को गांव समाज के कार्य को देखते हुये सम्भवत: बहुत ही थोड़े समय में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अगर गांव समाज का काम बढ़ता गया तो उसमें ओवरलैपिंग न हो इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त मैनेजमेंट कमेटीज का भी सवाल उठता है कि

[श्री शिवनाथ काटजू]

जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के अन्दर जो लैंड मैनेजमेंट कमेटीज बनी हैं उनके कारण गांव समाज के कार्य में जो बहुत सी बाधायें और रुकावटें हो रही हैं क्योंकि बहुत कुछ जिम्मेदारियां जो गांव समाज की थीं वह आज मैनेजमेंट कमेटीज के हाथ में चली जा रही हैं और उसकी वजह से इस पर भी रेवेन्यू विभाग को सोचना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट कमेटीज की क्या रूपरेखा रखी जाय। जहां तक न्याय पंचायत और न्याय अदालत का सवाल है मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न भी बड़ा गम्भीर है और इसके अन्दर भी इस सदन के सामने भी मतमतान्तर आये हैं। और इस सदन के सदस्य जो इस प्रांत की भावनायें हैं उससे भी परिचित हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब से पंचायतें बनीं, पंचायती अदालतें बनीं कुछ ऐसा वातावरण यहां बन गया जिसके अन्दर पंचायतों का विरोध होने लगा। वकीलों के हलके में इसका विरोध हुआ। वहां यह समझा गया कि इस के बनने से हमारे काम में खलल होगा और सिद्धांतों को लेते हुये भी इस का विरोध किया गया। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जो कार्य पंचायतों द्वारा पिछले पांच वर्षों में हुआ है जिसके अन्दर नौ लाख से ज्यादा मुकदमे तय हो चुके हैं, जिसके अन्दर केवल दो प्रतिशत रिवीजन में गये और उनमें हस्तक्षेप हुआ। यह एक सा काम है जिसको देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता है कि पंचायती अदालतों द्वारा उचित काम नहीं हुआ। यह भी देखना पड़ेगा कि इसकी वजह से करोड़ों रुपया बच गया। मुझे एक मिनट और दे दिया जाय।

अब एक जटिल प्रश्न यह है कि पंचायती अदालतों को किस प्रकार से चुना जाय। इस संबंध में भी मेरे सामने कई प्रकार के नकशे आये और कमेटी ने उन पर बहुत गौर किया कि पंचायत के सदस्य चुने जायं या उनकी कलेक्टर द्वारा नामजदगी हो। मैं निवेदन करूंगा कि मुझे दुख हुआ कि जिस प्रश्न को लेकर हमने कमेटी में यह निश्चय किया था, सब पहलुओं को देखते हुये हमको सारी जिम्मेदारी गांव वालों पर ही डाल देनी चाहिये उस निर्णय को इस विधेयक ने बदल दिया। अभी यह सिलेक्ट कमेटी में जायगा। यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है देखना यह है कि किस तरह से न्याय पंचायतें अच्छी तरह से चल सकती हैं। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि जिम्मेदारी पूरे तौर से गांव वालों पर डाल दी जाय। उन्हीं के द्वारा लोग चुने जायं और कोई कारण नहीं जब पूरी जिम्मेदारी उन पर पड़ेगी तो वे अच्छी तरह से उचित आदमियों को क्यों न चुनेंगी। समय अधिक नहीं है नहीं तो मैं कुछ अधिक प्रकाश डाल सकता।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपको धन्यवाद अदा करता हूं क्योंकि बहुत परिश्रम के पश्चात् आज यहां बोलने का अवसर आपने मुझे प्रदान किया। उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक माननीय स्वाशासन मंत्री द्वारा प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का जो प्रस्ताव किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो प्रस्ताव माननीय राजनारायण जी द्वारा पेश हुआ है मैं उससे सहमत नहीं हूं। कारण यह है कि एक तरफ तो हमारी गांव पंचायतें और पंचायती अदालतें अपने कार्य में शिथिल सी हो गयी हैं, उनका चुनाव अतिशीघ्र होना आवश्यक है, इसलिये उसमें बिलम्ब न होना चाहिये और माननीय राजनारायणजी के प्रस्ताव को मानने से उसमें देर होगी, इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

दूसरे माननीय मंत्री जी ने जो इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्तुत किया है उस पर माननीय सदस्यों ने जो अपने-अपने विचार यहां प्रकट किये हैं या करेंगे उन पर गम्भीरता से प्रवर समिति विचार करेगी और जो गम्भीर बातें इसमें कही गई हैं उनमें जो जनता के हित में होंगी उनको पास किया जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं जिसने पंचायत राज्य द्वारा अपने अधिकारों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की और यह ध्यान में रखते हुए कि

हमें गांवों को स्वर्ग बनाना है और गांव वालों की आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक उन्नति करनी है। आज गांव वालों को पंचायती अदालतों के जरिये सस्ता न्याय मिल जाता है जो कि पहले उनको नहीं मिलता था। इन बातों के लिये इनको कायम किया गया। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक के अन्दर कुछ ऐसी बातें हैं जो जनहित के लिये उपयुक्त नहीं हैं। मैं सुझाव के रूप में आपके सामने उनको पेश करूंगा और आशा करता हूं कि उन पर विचार होगा।

इसमें आपने प्रधानों की योग्यता निर्धारित की है कि व हिन्दी पढ़े लिखे होने चाहिये जबकि हमारे देश में ८७ फीसदी जनता अनपढ़ है और विधान सभा और पार्लियामेंट में सदस्यों के लिये कोई योग्यता के प्रतिबन्ध नहीं है। जब विधान सभा और पार्लियामेंट में अनपढ़ सदस्य आ सकता है तो गांव सभा के प्रधान पढ़े लिखे हों यह कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं यह समझता हूं कि हमारी जनता यह समझती है कि जो भी काबिल आदमी हों उनको अच्छे पद पर भेजा जाय। आज यह जाहिर है कि हमारी विधान सभा में यह कानून होते हुये भी कि यहाँ पर योग्यता का कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि पढ़ा हो या अनपढ़ हो तब भी यहां पर उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को भेजा है। मेरा यह मत है कि अगर यह प्रतिबन्ध न भी होगा तब भी वहां से अच्छे आदमियों को आने की कोशिश होगी। इस ख्याल से इस प्रतिबन्ध को हटा दिया जाय तो अच्छा होगा। इससे ८७ प्रतिशत जनता को मौका होगा कि जनता उनको भी जगह दे।

जहां तक उप-प्रधान के चुनाव का संबंध है कि उसका चुनाव सालाना हुआ करेगा और वह पंचों द्वारा हुआ करेगा तो मैं चाहता हूं कि इसको हटाकर यह किया जाय कि जिस तरह से प्रधान का चुनाव होता है उसी तरह से उसका चुनाव हो क्योंकि ऐसा करने स पार्टी बन्दी के होने की और कार्य बढ़ाने की मुझे सम्भावना है।

दूसरी बात जो यहां पर श्रमदान के बारे में कही गयी और उसको लाजिमी करार दिया गया कि अगर कहीं पर २,३ पंच यह तय कर दें कि श्रमदान दिया जाय तो वहां पर श्रमदान लिया जा सकेगा। तो मैं यह समझता हूं कि यह तो इस प्रकार की बात है कि हमने आजकल के गांवों को अध्ययन नहीं किया है। गांव में मजदूर कितनी मजदूरी पाते हैं इसका ज्ञान हमको मालूम नहीं होता है। इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती ह कि वह भरपेट भोजन कर सक। आज यह देखने की बात है कि जो हाली मजदूर किसानों के यहां काम करते ह उनको १५, १६ रुपया महीना मिलता है जिससे वह अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकते ह। तो फिर हर महीने ४ रोज तक लाजिमी तरीके से किस प्रकार वह काम कर सकगे क्या उनके पास इतना धन हो जायगा जिससे वे इतने दिनों तक अपने बच्चों का पेट भर सकें और उनका पालन कर सकें? अगर वह किसी तरह से काम नहीं करेंगे तो उस बंदिश में आ जायेंगे और अदालत में उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। उससे उनकी दशा और भी खराब होगी। आज तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम गांवों की आर्थिक सामाजिक और बौद्धिक उन्नति करें। यदि आज हम उनकी आर्थिक दशा की उन्नति नहीं करते हैं तो उनकी समस्या हल नहीं कर सकेंगे। इसलिये यह जो उनसे लाजिमी तौर पर काम लिये जाने का प्रश्न है यह उचित नहीं मालूम होता है। आज हमारे यहां इस प्रकार के कार्य हुये कि पाबन्दी के न होने पर भी लोगों ने काम किया। अपने देश के उत्थान के लिये लोगों ने कार्य किये हैं और सराहनीय काम किये हैं। मैं आशा करता हूं कि उनमें इस प्रकार का प्रचार यदि किया जाय और भावना पैदा की जाय कि हमको अपने देश की उन्नति के लिये कार्य करना चाहिये तो वह उसी तरीके से उतना कार्य करेंगे। जब तक हम किसी कार्य की महत्ता को नहीं समझते हैं और उसको यह नहीं समझते हैं कि वह देश और गांव के लिये हितकर होगा और उसको गांवों वालों के सिर पर लादते हैं तो वह हितकर नहीं होगा। इन सब बातों को सामने रखकर मैं यह समझता हूं कि लाजिमी तरीके से श्रमदान नहीं होना चाहिये बल्कि सद्भावनी के साथ होना चाहिये और देश की उन्नति के लिये काम करना चाहिये।

[श्री रामदास आर्य]

इसके अलावा मैं तीसरी बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो टैक्सेशन की बात है टैक्स तो दोहरा वसूल किया जाता है। जैसा कि अभी शिवनाथ जी काटजू ने बतलाया कि उनसे आज गांव सभा की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से और केन्द्रीय सरकार की तरफ से गांवों में टैक्स लिया जा रहा है। उनको कितनी आमदनी हो रही है इसका किसी को पता नहीं है। मुश्किल से वह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज उनके पास रहने के लिये स्थान नहीं है। आज उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। उन गरीब मजदूरों की ३०० रुपये साल की आमदनी का अन्दाजा लगाकर उन पर टैक्स आयद कर दिया गया है। यह उनके लिये एक तरीके से अन्याय है जबकि आज वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। आज उनके बच्चे रोटी के लिये मुहताज हैं। तो फिर वह कैसे आपका टैक्स दे सकते हैं? उनकी आमदनी को आपने किस तरह से निर्धारित किया है? किस तरीके से इस प्रकार की बातें हुईं यह मेरी समझ में नहीं आया। जब तक उनकी आर्थिक समस्या को हम नहीं सुलझाते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना निवेदन करूंगा कि वह एक ही टैक्स लगावें। चाहे वह गांव सभा का हो चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो। कई तरीके से नहीं होना चाहिये। यदि उनसे टैक्स ही न लिया जाय तो ज्यादा उचित होगा। चूंकि समय समाप्त होने वाला है और बातें बहुत सी हैं। मैं समय कम है अन्त में इतना जरूर कहूंगा कि जो भी काम किया जाय वह गांव की भलाई के लिये किया जाय और जो कुछ भी किया जाय वह चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो सब की सहूलियत को देखकर ही किया जाय। आज जो जनता हमारे देहातों में रहती है वह आशा करती है कि वर्तमान सरकार हमारी भलाई और हमारा उत्थान करेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी और प्रवर समिति इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और ऐसे उपाय निकालेंगे कि जिससे गांव की जनता का उत्थान हो और गांव के लोगों को भी ऊपर उठने का अवसर मिले।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजनारायण जी, नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। इस के पहले कि मैं उनके पक्ष में कुछ कहूं मैं पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को जिसमें माननीय मंत्री जी भी शामिल हैं, बधाई देता हूं इसलिये कि उन्होंने हम सब सदस्यों को यह रिपोर्ट इस विधेयक के आने से पहले दी है। जितने भी अमेंडमेंट पंचायत राज कानून में हुये और जो विधेयक आ रहा है वह और जो भी पहले जो कमेटी बैठी थी उसकी राय थी वह सब एक जगह हमें इस रिपोर्ट में मिल गया और इस से हमें अपनी राय कायम करने में बड़ी मदद मिली।

मैं माननीय रामनारायण जी के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये करता हूं कि इस विधेयक में जो बातें लिखी हुई हैं अगर वह पास हो जायं तो जिस तरह से पंचायत राज कानून शुरू में बनाया गया था ठीक उसके उल्टी बातें इसमें हो जायं। पंचायत राज कानून जिस तरह से बना था, मैं इतना जानता हूं कि उसमें सबसे प्रधान बात यह थी कि गांव के शासन की सत्ता हम वहां के लोगों को देना चाहते थे और एक विकेन्द्रीकरण की भावना उस समय शासन के दिमाग में थी। महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुसार हम गांव के लोगों को वह सत्ता देना चाहते थे और यही बात सोचकर यह पंचायत राज कानून बनाया गया था। पंचायत राज के कानून की तारीफ करना और फिर उसके बाद, पंचायत राज को, मैं क्षमा चाहूंगा नौकरशाही कहने के लिये, हालांकि नौकरशाही और पंचायतों को मजबूत करने की बात परस्पर विरोधी मालूम होती है। मैं जब देखता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री ने अपने बजट के भाषण में स्वीकार किया था कि वह पंचायतों के कार्य को देखकर बहुत संतुष्ट हुये। ५ करोड़ ४४ लाख का काम श्रमदान से हुआ और वह भी जबकि किसी प्रकार का दबाव किसी पर नहीं था। और पंचायतों ने २ करोड़ २९ लाख के करीब कर लगाया वगैर किसी दबाव के यह सब सफलता के लक्षण बताये गये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने लाखों मुकदमे फैसले किये, यह तमाम काम किये इन न्याय पंचायतों ने जो पहले अदालत पंचायतें कहलाती थीं उन्ही ने यह सब कुछ किया। तो जब आजतक यह राय थी कि उन्होंने ठीक काम किया और जब माननीय स्वशासन मंत्री और कुछ दूसरे माननीय सदस्य जिनमें माननीय काटजू साहब भी हैं जिन्होंने अभी भाषण दिया और जब उन की यह राय थी कि नामजदगी की गुंजाइश कम रखी जाय तो फिर नामजदगी करने का क्यों ख्याल किया जाता है ? दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं ? अदालती पंचायतों का नाम बदल कर न्याय पंचायत कर दिया गया और उसीके साथ-साथ उस न्याय पंचायत को किसी प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के हाथ में बिलकुल सुपुर्द कर देना कि वह उसके लिये नामजद करे ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमको बिलकुल उल्टी सी मालूम होती हैं। मैं न्याय के नाम पर माननीय सदन और माननीय स्वशासन मंत्री जी से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि खतरा मोल लेना पड़ेगा और खतरा उठाना पड़ेगा। लेकिन वह खतरा उठाना चाहिये जैसा कि माननीय काटजू साहब ने कहा कि लोगों को न्याय के लिये भी मौका देना चाहिये। मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी से यहां पर इत्तिफाक कर सकता हूं। न्याय पंचायतों ने जिनका नाम पहले अदालती पंचायतें था उन्होंने कोई संतोषजनक काम नहीं किया है। अगर मुझसे जाती तौर पर पूछा जाय तो मैं बतला सकता हूं कि इन अदालती पंचायतों के बारे में बहुत शिकायतें हैं। बहुत कम पंचायती अदालतें ऐसी हैं जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है। ऐसा होने के बाद उन अदालती पंचायतों को न्याय पंचायतों का नाम देकर फिर नामजदगी का अधिकार लेना यह उनको बनाने की बात नहीं सोची जाती है। बल्कि बिगाड़ने की बात हो जाती है। इसलिये मैं इसका बड़ा भारी मुखालिफ हूं और बहुत सख्त मुखालिफत करता हूं कि इस नामजदगी की परिपाटी को चलाया जाय। हमारे शासन विधान में बतलाया गया है कि हम एक्जीक्यूटिव को न्याय विभाग से बिलकुल अलाहदा कर देंगे और यहां हम एक्जीक्यूटिव के हाथ में इस काम को सुपुर्द करके जो हमारी बुनियाद है गांव पंचायतों की, न्याय पंचायतों की उसे किसी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में देकर, आखिर उसमें कौन लोग आयेंगे, मैं समझता हूं कि उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी आयेंग तो ऐसी हालत में यह ठीक बात नहीं है कि एक्जीक्यूटिव के हाथ में यह अधिकार दिया जाय।

दूसरी तरफ मैं गांव सभाओं की कुछ बात कहना चाहता हूं। मुझे इस रिपोर्ट से मालूम हुआ और थोड़ा-थोड़ा मैं पहले से भी समझता था कि पंचायत राज विभाग और माननीय राजस्व मंत्री के विभाग में कुछ खींचतान है। राजस्व मंत्री का विभाग यह चाहता है कि पंचायत राज विभाग को जहां तक गांव पंचायतों का प्रबन्ध है, उसको पूरी ताकत न हो। जमींदारी अबालीशन बिल पास करा लेने के बाद घुमा फिरा कर उसका मानमाना अर्थ वह विभाग लगाता है कि इस तरह का प्रबन्ध पंचायत राज विभाग को नहीं करना चाहिये। यह तो जो मेरे मन की बात थी उसे मैंने अर्ज कर दिया लेकिन इस रिपोर्ट के अन्दर बहुत स्पष्ट बात कही गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में जरा डर सा लगता है कि आखिर इस रिपोर्ट की खबर मंत्रि मंडल तक है या नहीं। अगर मंत्रिमंडल तक खबर है तो माननीय राजस्व मंत्री और रेवेन्यू सेक्रेट्री के इंतजार में शायद कमेटी को उठना भी पड़ा लेकिन उस कमेटी के उठ जाने के बाद भी वे दोनों महानुभाव कमेटी के सामने नहीं आये जिससे उनके विचार कमेटी को नहीं मालूम हो सके। जब सरकार की तरफ से सवाल पूछने पर कह जाता है कि पंचायतों का काम बड़ा अच्छा रहा, गांव समाज का काम बड़ा अच्छा रहा तो आखिर फिर वसूली का काम उनके सुपुर्द क्यों नहीं कर दिया जाता है ?

(इस अवसर पर ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

सवाल यह है कि हम गांव सभाओं की आर्थिक ढांचे को कैसे दुरुस्त करें। फिर गांव सभाओं के आर्थिक ढांचे को दुरुस्त करने के लिये टैक्स लगाने की बात सोचता हूं तो मालूम

[श्री गेंदा सिंह]

पड़ता है कि बहुत से टैक्स लगाने चाहिये। इसका परिणाम यह होता है कि गांव सभाएं काफी बदनाम होती हैं और गांव सभा के सभापतियों की हालत तो यह है कि हमें अपने यहां के गांव सभापतियों के बारे में मालूम है कि अगर उनका फूस का घर है तो उसे छोड़कर उनको बीच गांव में आकर बसना पड़ता है। कारण यह है कि जब गांव सभा का सभापति टैक्स लगाता है तो गांव वाले नाराज होंगे और नाराज होने के बाद हो सकता है कि उसके फूस के घर में आग लगा दें। इसलिये मैदान छोड़कर वे गांवों में जाकर बसते हैं। इस तरह से उनको अलोकप्रियता का शिकार होना पड़ता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि मद्रास में, मध्य भारत में, बिहार में या उड़ीसा में जहां-जहां भी गांव सभाओं के सुपुर्द यह काम किया गया और उन्होंने अपना काम शुरू किया, वहां पर कुछ न कुछ सरकार की तरफ से मदद हुई फिर वह मदद यहां क्यों नहीं जी जाती है ? आप यहां की गांव सभाओं को टैक्स कलेक्टिव बाडी न बना दें। लोग गांवों में जायं तो कुछ मांगने के लिये जायं। इससे उनकी लोकप्रियता न बढ़ेगी बल्कि अलोकप्रियता बढ़ेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि गांव सभाओं को टैक्स कलैक्टिव बाडी न बनाया जाय बल्कि उसके बजाय लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का काम उनको सुपुर्द कर दिया जाय। अगर इस काम को गांव सभाओं से कराया गया तो और दूसरे जो काम हैं जैसे खेती की तरक्की करना, अन्न के उत्पादन का बढ़ाना, और सफाई करना आदि उससे करा लें बशरतें कि आप उनसे टैक्स की वसूली का काम न लें। चन्दा लेने के लिये कोई मना नहीं करता है। चन्दा लेने का काम गांव सभायें करें। मैं वसूली के काम के लिये बराबर जोर देता रहा हूं। वसूली का काम भी उनको दिया जाय लेकिन इस विधेयक में हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस बात की जरूरत थी। उसके करने से गांव सभाओं को फायदा हो सकता था।

एक और जरूरी बात थी। माननीय मंत्री जी इस विधेयक में खंड १२–जी० को देखें उसके जरिये से वे एक्स्ट्राआर्डिनरी पावर्स लेना चाहते हैं। उसके अनुसार वे चाहते हैं कि उनको यह अधिकार रहे कि वे स्टेट में या उसके किसी हिस्से में गांव पंचायतों आदि के जनरल इलेक्शन्स करा सकें। यदि अधिकार उनको है कि अगर कोई पंच नालायक साबित हो जाय तो वे उसको हटा सकते हैं। फिर यह पावर क्यों ली जा रही है ? अन्त में मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में न ले।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष श्रीमन्, कल से इस भवन में पंचायत अधिनियम के ऊपर बहस चल रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम हमारे प्रदेश के लिये होने जा रहा है। मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं और उनकी भावनाओं की सराहना करती हूं कि इस अधिनियम के सिलसिले में माननीय सदस्यों द्वारा जो भी विचार प्रकट किये जायेंगे, उनके सभी पहलुओं पर विचार करते हुये वे उन सब बातों पर पूरा-पूरा ध्यान देंगे। यह अधिनियम हमारी ८७ प्रतिशत जनता से संबंध रखता है। हम एक ऐसा बिल बनाने जारहे हैं जिससे प्रदेश का बहुत भारी कल्याण हो सकता है और जिसके कारण हमारा प्रदेश एक कल्याणकारी राज्य कहला सकता है। इस विषय में मैं सबसे पहला जो अपना सुझाव देना चाहती हूं वह यह है कि पंचायतों के जो भी इलेक्शन्स हों वे बाई बैलेट हों। नामिनेशन की प्रथा एक दोषपूर्ण प्रथा है। इसी के साथ-साथ मैं एक बात और कह देना चाहती हूं वह यह कि हम एक महत्वपूर्ण बिल को बनाने जा रहे हैं, हमें बड़ी गम्भीरता पूर्वक और सोच विचार कर ही अधिकार देने चाहिये। हम उसी मात्रा तक उनको अधिकार दें जिस में कि वे लोग स्वतंत्रतापूर्वक कार्य को भली प्रकार कर सकें जिससे वे अपनी बुद्धि का विकास करके, अपने कल्याण को अच्छी तरह समझ कर काम कर सकें।

एक सवाल यह भी उठता है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा गांव सभाओं और पंचायतों के कार्यों में रुकावट न डाली जानी चाहिये क्योंकि गांव के रहने वालों का जिसमें उनका

फायदा है वे उसको भली भांति जानते हैं । इसलिये उन्हें ही यह मौका देना चाहिये कि वे अपने कार्य का निरीक्षण करके उसके लिये नियम भी अपने आप ही बनायें । इसके बाद एक और दोष जो मेरी दृष्टि में है वह यह है कि यह विधेयक अंग्रेजी में छपा है । इसका हिन्दी में छपना जरूरी है और विशेष कर उस दशा में जो जनता इससे संबंधित है वह हिन्दी ही जानती है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि जब यह विधेयक सेलेक्ट से विचार होने के उपरान्त आये तो इस भवन के सामने अंग्रेजी का बिल भी हिन्दी में ही छपकर आना चाहिये ।

अब प्रधानों और उपप्रधानों के चुनाव का प्रश्न उठता है । प्रधान की अवधि पांच वर्ष और उपप्रधान की एक वर्ष । मेरे विचार से प्रधानों और उपप्रधानों दोनों की ही एक ही अवधि होनी चाहिये और जो उपप्रधानों का चुनाव प्रतिवर्ष होता है उससे कटुता हो जाने की संभावना हो जाती है ।

इसके बाद एक विचार और भी महत्व का है कि जो केसेज न्याय पंचायतों से निर्णय किये जायेंगे उनके लिये भी फिर इधर उधर दौड़ना पड़ेगा । इसके लिये मेरा सुझाव है कि पांच गांव पंचायतों में से एक प्रतिनधि प्रत्येक पंचायत से चुनकर एक न्याय मंडल ५ व्यक्तियों का बनालें जिसके पास अपील के केसेज जाने चाहिये । इस तरह से अगर एक अपील निर्णीत की जाय तो बहुत सा रुपया गरीब भाइयों का जो इधर उधर जानें में खराब हो जाता है उनके पास रहेगा और उनका अच्छा उपयोग हो सकता है ।

इसके अतिरिक्त जो रुपया गांव सभाओं से इस न्याय मंडल के व्यय को लिया जाता है वह सरकारी कोष में न जाना चाहिये । इन न्याय मंडलों का खर्चा तो गांव सभायें वहन करती हैं तो जो अपील के केसेज से आय हो वह गांव सभा फंड में ही पहुंच जाना चाहिये ।

इसके बाद बजट का प्रश्न आता है । उसमें किसी सरकारी कर्मचारी का हस्तक्षेप न होना चाहिए और अगर किसी सरकारी कर्मचारी को नियुक्त कर दिया जाता है तो वह अधिकारी गांव सभाओं के प्रतिनिधियों से सलाह ले कर ही बजट बनावें ।

गांव पंचायतों के सदस्यों की संख्या कम से कम ११ से कम और २१ से अधिक नहीं होनी चाहिये । तथा इस संबंध में एक सुझाव जो मुझे देना है वह यह है कि हरिजनों का रिजर्वेशन इसमें रखा गया है । ऐसा ही औरतों का रिजर्वेशन भी इसमें होना चाहिये क्योंकि औरतों की भी बहुत बड़ी संख्या है आधे से ज्यादा है जो इसमें आ जाती है और उनके प्रश्नों को भुलाया नहीं जा सकता । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि इस प्रश्न को हंसी और मजाक में न उड़ाया जाय बल्कि इस पर पूरा ध्यान रखा जाय ।

सालाना अधिवेशनों के संबंध में मुझे यह कहना है कि उसके लिये जो नियम बनाये गये हैं उनमें यह होना चाहिये कि १ से १५ नवम्बर तक और १ से १५ जून तक पहले पखवारे में उसको रखा जाय । इसमें खरीफ और रबी की फसल का समय यदि निर्धारित नहीं होता, उसका विचार नहीं किया जाता, तो उससे गड़बड़ हो जाने का आशंका है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की तरफ से जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख आया है कि यह संशोधन विधेयक रिफ्रैन्डम के लिये भेज दिया जाय उसका मैं विरोध करता हूं । एक तरफ तो यह मांग की जाती है कि पंचायत के चुनाव शीघ्र हों और सरकार उसमें देर कर रही है और दूसरी तरफ यह मांग की जाती है कि प्रस्तुत विधेयक रिफ्रैन्डम के लिये भेज दिया जाय । ऐसा करने से समय और अधिक लगेगा । दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं । क्योंकि हमको शीघ्र चुनाव पंचायतों का करना है इसलिये जल्द से जल्द यह विधेयक हाउस के सामने लाया गया । जनमत की बात करने से देर होगी, चुनाव कराने में । हमारे विरोधी दल के सदस्य खुद जनता के प्रतिनिधि हैं तो वह खुद जनता की मांग तथा जो सुझाव देना चाहें दे सकते हैं । जहां तक इस अधिनियम की खराबियों की बात है, इसमें

[श्री नेकराम शर्मा]

जो कुछ कमियां थीं उन पर एक कमेटी ने विचार किया और अच्छी तरह हर पहलू पर विचार किया गया। अब यह संशोधित विधेयक सदन के सामने मौजूद है। यहां पर भी आप इसपर सुझाव दे सकते हैं और इसके बाद यह प्रवर समिति के सामने जायगा वहां पर भी आप इसपर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई खराबियां रह सकती हैं तो उसके लिये एक सुधार बिल लाया जा सकता है। लेकिन इसको रेफरेंडम के लिये इस समय भेजना मैं समझता हूं कि कोई मानी नहीं रखता।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण बात न्याय पंचायतों के संबंध में है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हमारी जनता द्वारा चुनी हुई अदालती पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया और पंचायत राज पत्रिका तथा सदन में भी और बाहर भी प्रशंसा की जाती है तो फिर दूसरी तरफ क्या आवश्यकता पड़ी कि उन अदालती पंचायतों का चुनाव जनता द्वारा न करा करके नामिनेशन की व्यवस्था कायम की जाय। स्वीटजरलैन्ड में एक व्यवस्था है, वहां फेडरल असेम्बली जुडिशियरी को चुनती है लेकिन चुनाव का विरोध किया गया है। अभी श्री के० सी० शर्मा जी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार न दिया जाय कि वह नामिनेट करे। मैं भी इस बात का हामी हूं कि डी० एम० पर नामिनेशन न्याय पंचायतों का न छोड़ा जावे। जो गांवसभा न्याय पंचायत का चुनाव करे वही उसमें से कुछ पंच मुकर्रर करदें। जो वादी हो वह २ पंचों को मुकर्रर करदे और जो प्रतिवादी हो वह २ पंचों को मुकर्रर करदे और एक पंच सबकी राय से मुकर्रर हो जाय। और वह पांच पंच जो फैसला दें वह बहुत स्वस्थ और न्यायपूर्ण होगा। ऐसा फैसला ही मान्य होगा। यह मानी हुई बात है कि जो खुले रूप में फैसला होता है, जहां गांव के सब आदमी बैठे हुये होते हैं उनके सम्मुख जो फैसला होता है वह बहुत ही स्वस्थ और मान्य फैसला होता है। और अगर ४, ५ आदमी बैठकर कहीं कोई फैसला कर देते हैं तो उसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ता है।हमारी पंचायतों का मकसद शीघ्र सुलभ और सस्ता न्याय देने का है। इन्हीं तीन उसूलों की बिना पर हमारी पंचायतों का निर्माण हुआ था। इस संशोधन को मान लें तो इसका नतीजा यह होगा कि जनता को शीघ्र सुलभ और सस्ता न्याय नहीं मिल सकेगा। जिन उसूलों को लेकर के पंचायत राज की व्यवस्था की गई थी और इस विधेयक से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती तो जिस उद्देश्य के लिये पंचायत राज की स्थापना हुई है वह बेमानी हो जायेंगे। प्रस्तुत विधेयक में एक दूसरी बात पेटीशन को कही गई है। श्रीमन्, यह एक बहुत काम्पलीकेटेड कानून बना दिया गया है जिसका नतीजा यह होगा कि इतनी पेटीशन्स आयेंगी जिनसे काफी परेशानी बढ़ जायगी। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जहां पर नामिनेशन वगैरह में कोई गलती हो गई हो उसके लिये पेटीशन लेली जाय लेकिन वैसे आमतौर से मैं प्रैक्टिसेज करप्पेटीशन्स की धारायें निकाल दी जावें।

बलेट के द्वारा ग्राम सभाओं का चुनाव किया जाय यह मेरी निश्चित धारणा है। उसके लिये हमको कोई न कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि जिसके द्वारा चुनाव ठीक हो सके। एक तरीका यह हो सकता है कि गांव सभा में बैठ करके प्रेसाइडिंग आफिसर वहां जाकर के लोगों से स्वयं पूछ सकता है किस-किस को वोट देना है या कोई बक्स रख दिया जाय, घड़े रख दिये जायं, उस पर रंग कर दिया जाय और नाम की परचियां डाल दी जायं। हाथ उठाकर चुनाव की प्रणाली घातक सिद्ध हुई है। जिन लोगों का असर गांवों में है, उनके डर से कोई अन्य प्रस्ताव नहीं करता है और वही चुन लिये जाते हैं। कोई सिस्टम ऐसा निकाला जाय अगर यह बैलेट सिस्टम कास्टली पड़ता हो, जिसके द्वारा गुप्त रूप से चुनाव हो सके और लोग भय रहित होकर वोट दे सकें, जनता स्वागत करेगी। मैंने जो सुझाव दिया है कि हर मामले में जनता या गांव पंचायत पंच चुनले या लिटीगेंट्स स्वयम् चुन लें। इस पर सरकार गौर करे।

जहां तक रेवेन्यू के कलेक्शन का सवाल है, पंचायतों की एक तरफ बड़ी प्रशंसा की गयी कि पंचायतों ने सफल कलेक्शन किया है, लेकिन कल माननीय माल मंत्री जी ने दूसरी तरफ यह

बतलाया कि जब उनको अमीनों ने और तहसीलदारों ने मदद दी, तब कलेक्शन हुआ । मेरी राय है कि पंचायतों के सुपुर्द कलेक्शन का काम न किया जाय। इस काम के लिये अमीन रख दिये गए हैं और वह बहुत जल्दी कलेक्शन का काम कर लेते हैं। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि अगर पंचायतों को यह काम दिया जायगा तो आपस में कटुता बढ़ेगी। पारटीबन्दी और भी बढ़ जायेगी। इसके अलावा मैं यह चाहूंगा कि गांवों के कांस्ट्रक्टिव काम के लिये और न्याय के लिये पंचायतों का एक ही यूनिट होना चाहिये। दूसरे एक लैंड मैनेजमेंट कमेटी भी है। आखिर कितनी कमेटियां गांवों में होंगी। बहुत सी कमेटियां बनाने से गांवों में कनफ्यूजन हो जायगा कि जो काम हम करना चाहते हैं वह नहीं हो पायेगा ।

एक यह भी सुझाव आया कि चौकीदार, पतरौल, मुखिया या जितने भी आदमी हैं वह सब पंचायतों के सुपुर्द कर दिये जायं। यह अच्छा सुझाव है कि जो चौकीदार हैं, पतरौल हैं, और दूसरे गांव संबंधी कर्मचारी लोग हैं वह अगर पंचायतों के सुपुर्द कर दिये जायं तो व्यवस्था ठीक हो सकती है । लेकिन मुखियों का जो सिस्टम है उसको खत्म कर देना चाहिये। प्रधान ही गांव का जब कर्ता धर्ता है, तो उसी के हाथ में यह अधिकार आ जायं तो ठीक ही होगा ।

जहां तक श्रमदान की बात है, श्रमदान करना बहुत आवश्यक है । श्री के० सी० शर्मा साहब ने रसल साहब के लेख का हवाला देते हुये बताया कि कम्पलसरी लेबर होना चाहिये, क्या वह प्रगतिशील है ? चीन और रूस में भी श्रमदान होता है और हम को अपने देश को, प्रदेश को बनाना है तो यह आवश्यक है कि हम कम्पलसरी लेबर की व्यवस्था अपने यहां भी करें। इसके साथ-साथ जितना श्रमदान होगा वह गांव वालों के फायदे के लिये ही होगा, वहीं पर रास्ते, सड़कें और नालियां बनेंगी, तो यह बहुत अच्छा सुझाव है कि कम्पलसरी मैनुअल लेबर होना ही चाहिये। कौंसिल में पी० एस० पी० के एक माननीय सदस्य श्री मुकट बिहारी लाल जी ने कहा कि देश निर्माण के लिये श्रम बहुत अच्छी चीज है इसको कम्पलसरी कर देना चाहिये। मेरा पूर्ण समर्थन इस संबंध में है। इसलिये यह कहना कि श्रमदान न रखा जाय या कम्पलसरी लेबर न रखा जाय, उचित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक टैक्सेस की बात है, इसमें एक बड़ी चीज यह हो जाती है कि जिस गांव से रुपया इकट्ठा होता है, उस गांव के अन्दर खर्च नहीं हो पाता है। इसमे उस गांव के आदमी यह समझने लगते हैं कि टैक्स हम देते हैं लेकिन खर्च दूसरे गांव में होता है, टैक्स क्यों दें ? तो मेरा सुझाव इस संबंध में यह है कि जिस गांव से जिनता रुपया इकट्ठा हो, वह रुपया उसी गांव में खर्च होना चाहिये। इसका नतीजा यह होगा कि लोग बड़ी खुशी से टैक्स देदेंगे । जब वह देखेंगे कि उनके यहां सड़कें बन रही हैं, कुयें बन रहे हैं, कुओं की मरम्मत हो रही है तो जो टैक्स उनके ऊपर लगेगा उसको देने में आनाकानी न करेंगे और फिर टैक्स के वसूल करने में भी बड़ी आसानी होगी।

पहले इस अधिनियम में यह था कि गांव सभा का मेम्बर वही हो सकता है जो परमानेंन्टली गांव में रहता हो। अब "आर्डिनरिली" शब्द उसके स्थान पर रक्खा गया है। यह बहुत आवश्यक है कि गांव का स्थायीरूप से रहने वाला ही गांव सभा का मेम्बर हो। अब इस 'आर्डिनरिली' शब्द के जोड़ने से जो शहरों में रहते हैं वह भी मेम्बर हो सकते हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो पहले के शब्द हैं वह वही रहने चाहिये और "आर्डिनरिली" शब्द को विधेयक में से अलग कर देना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बार फिर इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों के विषय में तो कमेटी में काफी बहस हो चुकी है और फिर होगी। लेकिन मैं यह समझता हूं कि न्याय पंचायतों की जो एक अलग इकाई स्थापित की जा रही है, उसको न किया जाय ।

[श्री नेकराम शर्मा]

गांव की जो सभा है, वही न्याय पंचायत हो, उस में से ही फैसलों के लिए कुछ व्यक्ति चुने जा सकते हैं, रोटेशन से भी कायम कर दिया जा सकता है, या वादी या प्रतिवादी जो हों, जिसको चाहें, दो दो आदमियों को चुनकर दे दें, और फैसला हो जाय। ऐसा करने से सच्चा और सुलभ न्याय होगा। बहुत सी शिकायतें आती हैं कि सालों मुकदमे पड़े रहते हैं। लेकिन गांव के आदमी अगर पंच होंगे, और वह फैसला गांव में समस्त गांव के समक्ष देंगे, तो वह सबको मान्य होगा, और जो कटुता फैसली है, उसकी समाप्ति भी हो जायगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं समर्थन करता हूं कि यह प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से अपने सभी साथियों का जो सदन के उस पक्ष में बैठे हुए हैं, भाषण सुना। मुझे इस बात पर ताज्जुब हुआ कि मेरे मित्रों ने इस बात के लिए प्रस्ताव रखा है कि जनमत संग्रह करने के लिए यह संशोधन भेजे जायं। मैं तो यह सोचता हूं कि यदि प्रवर समिति का नाम न रखा गया होता, तो यही कहा जाता कि यह संशोधन प्रवर समिति के सामने भेज दिये जायं। लेकिन चूंकि मन्त्री जी ने इसमें सिफारिश की है, इस लिए एक कदम आगे जाना उनके लिए जरूरी था।

अध्यक्ष महोदय प्रजातंत्र यदि संतुलित नहीं है, उसमें अनुशासन नहीं है, और साथ ही साथ सद्दृष्टि नहीं है, तो वह प्रजातंत्र न रहकर मोमोक्रेसी हो जाता है, और आपके द्वारा इस बात की माफी मांगने के बाद मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव गांव सभाओं और पंचायती अदालतों के बारे में है, उसको सदन के समक्ष रखना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। इस सदन के अन्दर नामजदगी के नाम पर बहुत कुछ कहा गया है, और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया है कि पंचायती अदालतों में पार्टीबाजियां होने के कारण लोगों के साथ ज्यादतियां भी हुई हैं, और लोगों को न्याय भी नहीं मिल सका है। फिर इसकी तह के अन्दर अगर जायं कि आखिर यह पार्टीबाजी इसमें क्यों हुई, तो निश्चित है और कोई भी जो विचार करेगा, वह केवल इसी नतीजे पर आयेगा कि पंचायती अदालतों में इस लिए पार्टियां पैदा हुईं कि वहां चुनाव प्रणाली को लागू किया गया और वह निश्चित है कि जहां चुनाव प्रणाली होती है, तो चाहे ऊंचे विचार के लोग ही चुनाव में जायं, तो भी उसमें कटुता आ ही जाती है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव हम में से प्रत्येक साथी को है। इस प्रकार से चुनाव प्रणाली के कारण पंचायती अदालतों के अन्दर अगर पार्टीबाजी का जन्म हुआ और यह निश्चित है कि हुआ। अध्यक्ष महोदय, कोई कुछ भी कहे लेकिन फल जो आज हमारे सामने है कि पंचायती अदालतों द्वारा देहात की जनता ने बड़े कष्ट उठाये, कोई कुछ भी कहे लेकिन न्याय नहीं हो सका। तब फिर क्या हुआ? उसके दो ही नतीजे हो सकते थे। एक तो यह होना चाहिए था कि पंचायती अदालतों को खत्म कर दिया जाता। अगर खत्म कर दी जातीं तो बहुत अच्छा होता क्योंकि जिस समाज के अन्दर न्याय बिकना शुरू हो जाय, जिस समाज के अन्दर गरीब को न्याय न मिले, तो उसका प्रयोग करना खतरनाक होता है, चाहे वह कितनी ही सुन्दर प्रणाली क्यों न हो, चाहे कितने ही बड़े आदमियों ने उसको जन्म दिया हो। फिर भी यदि वह समाज की वर्तमान स्थिति का साथ नहीं दे रही है तो उसे अलग कर देना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय मन्त्री जी ने अलग करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और मैं समझता हूं कि वह रास्ता बहुत मुनासिब था। इसमें किसी को घबराने की क्या जरूरत थी? जिसको पार्टीबाजी पंचायतों के अन्दर नहीं करनी है, उसको इससे कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। गांव सभाओं का चुनाव होगा। गांव सभाओं में, जिनकी प्रणाली भी अपनी जगह कायम है कि २० की जगह ३० या अधिक चुन लिये गये और फिर उस प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के द्वारा, वह चाहे जो भी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, चाहे जिसको भी सरकार नियत करे, उनका एक तरीके से सेलेक्शन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके पंचायती अदालतें शुरू की जायंगी। इसके विषय में बड़े-बड़े विद्वानों की भी राय है कि अदालतों के अन्दर चुनाव की प्रणाली नहीं आनी चाहिए। एक तर्क मेरी समझ में अध्यक्ष महोदय, यह नहीं आया कि लोगों ने यद्यपि यह कहा कि दिल्ली में और लखनऊ में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में तो चुने हुए लोग काम करते हैं, तो क्या वजह है कि पंचायती अदालतों में नामिनेशन की बात आ जाय? तो मैं आपके द्वारा उनसे यह पूछना चाहता हूं कि या जो भी इसका जवाब देना चाहे कि दिल्ली की सुप्रीमकोर्ट का चुनाव किस दुनिया से होता है? कौन सुप्रीमकोर्ट के जजेज को चुनता है? किस हाई कोर्ट के जजेज का कहां चुनाव होता है? इस प्रकार से जिले की जो न्याय पंचायतें हैं, उनका कहां से चुनाव होता है? जहां कहीं, दिल्ली की पार्लियामेंट, लखनऊ की असेम्बली, किसी का सम्बन्ध है, उसी प्रकार से गांव की सभा, उसके सभापति, उप-सभापति के चुनाव की प्रणाली में जरा सा भी भेदभाव नहीं रखा गया है। वह जो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, वह न्याय प्रणाली में किया गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा, इस सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि गांव में जो लोग पार्टीबाजी नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि न्याय न्याय के रास्ते पर चलता रहे, उन्हें इस प्रणाली को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जिस पर बड़ा जोर दिया गया, वह है श्रमदान, कि श्रमदान क्यों लागू किया जा रहा है? इससे बड़ा अनर्थ हो जायगा। बड़ी मुश्किल बात है कि इसमें नुकसान कैसे हो जायगा। उनको तो यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह तय करेंगे कि और दो दिन के लिए या निश्चित समय के लिए श्रमदान करना होगा। जो लोग ऐसी बात कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, वह साथ में चीन की तारीफ करते हैं। चीन के अन्दर आज बड़े-बड़े बन्धे और बन्धियां बनीं, तो उसमें श्रमदान तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां हांक कर के लेजा करके किसानों से काम करवाया जाता है, और कुछ खाने भर को मजदूरी भी दी जाती है, लेकिन इस देश के अन्दर एक दम हांक करके नहीं, जबरदस्ती नहीं, केवल महीने में दो रोज काम कराके अगर निर्माण किया जाय तो बड़ी मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, एक दिक्कत और भी बढ़ जाती है, जब हमारे साथी बड़े जोर से कहते हैं कि विदेशों से मदद न ली जाय, अमेरीका से कोई मदद नहीं लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि देश के निर्माण के लिए सब से मदद लेनी चाहिए, जिस किसी से मिले। कुछ लोग ऐसे हैं, जो हमारे मित्र दूसरे देशों से मदद नहीं लेना चाहेंगे, रूस के नाम पर परेशान हो जायेंगे, तो विदेशों से मदद भी न ली जाय, इस देश में कोई कर भी न लगाया जाय और देश की तरक्की और बड़े बड़े निर्माण के कार्य भी किये जायं, और श्रमदान की प्रणाली भी उनकी इच्छाओं पर न लागू की जाय, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे इस देश का निर्माण हो जायगा? आखिर कैसे बनाये जायं, ये हमारे सब उजड़े हुए गांव? गांवों को बसाने के लिए सरकार क्या कर सकती है? इस लिए यदि श्रमदान से देश का निर्माण किया जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादती नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी समझ में यह जरूर आयी है कि पंचायती अदालतों के अन्दर प्रोसीजर्स की बात ज्यादा लागू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गांव के आदमी जो पंचायती अदालतों में बैठते हैं, वह कायदे कानून, चाहे जितने छाप कर उनको दे दिया जाय, वह बहुत कुछ नहीं समझ सकते हैं। यहां तक कि मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कि हजारों मुकदमों के फैसले इसलिये नामंजूर हो गये कि कहीं पर ओथ नहीं ली गयी या लिया गया, उसमें लिखा नहीं गया, उसमें यहां तक भी बात हुई है कि जरा सा हेरफेर होने पर एक नुक्ता इधर था, एक उधर होने के कारण वह मुकदमे रद कर दिये गये। तो मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसमें जो प्रोसीजर का मामला है, उसको ज्यादा से ज्यादा कम कर दिया जाय। आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, एक बात की मुझे और प्रार्थना करनी है, और वह यह है कि कहा गया कि नामिनेशन के द्वारा डीसेन्ट्रलाइजेशन, विकेन्द्रीकरण कम हो जायगा, इस सरकार की मनोभावना या मनोवृत्ति जो है, वह केन्द्रीकरण की ओर जा रही है, और यह उसकी ओर एक कदम है। मैं अध्यक्ष महोदय, समझ नहीं पाया कि किसी प्रणाली में किसी जगह पर कोई

[श्री रामनरेश शुक्ल]

सुधार करने की भावना से कैसे केन्द्रीकरण की भावना उपस्थित हो जाती है। कहां उन गांव की यूनिट्स को, गांव की इकाइयों को इस संशोधन में बिगाड़ा गया है ? केवल उसमें जो दोष थे, जो बुराइयां थीं, जो कमियां थीं, उन्हीं को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक आध उदाहरण मुझे याद हैं, एक आध सरपंच जिन्हें कि सारा गांव जानता था, सारा समाज जानता था कि उन्होंने गलती की है और गलती इस प्रकार की की है कि यदि वह कोई राजकर्मचारी होते, तो सम्भवतः अपनी जगह पर न रह सकते, लेकिन उनकी उस गलती के जानने के बाद भी, यानी जो उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उसको जानने के बाद भी, जिसको कि हर आदमी जानता था, कलेक्टर भी जानते थे, पंचायत आफिसर भी जानते थे, प्लानिंग आफिसर भी जानते थे, और और सभी भले लोग जानते थे, लेकिन उस सरपंच का कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए चाहे वह नामजदगी के द्वारा हो, चाहे डिस्मिस्ल के द्वारा हो, चाहे रिमूवल के द्वारा हो, हम समझते हैं कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति तैयार होगा। इस संशोधन में अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर जो पिछले दिनों में माननीय मन्त्री जी ने बुराइयां देखीं, उनको दूर किया है और उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करता हूं कि प्रवर समिति में और जहां तक सख्ती सम्भव हो सके, उस सख्ती को लाकर इस नयी प्रगति को और आगे लायें।

*श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पंचायती राज की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी, तो हमसे बताया गया था कि इस से हमारे प्रदेश में रामराज्य की स्थापना होगी। उस समय अति प्राचीन ग्राम पंचायती व्यवस्था का भी जिक्र किया गया था कि हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से रही है, लेकिन उस समय इस बुनियादी बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि जिस समय पंचायती व्यवस्था हमारे ग्रामों में थी उस समय ग्राम की पूरी सम्पत्ति के ऊपर पूरे ग्राम समाज का अधिकार था। गांवों में गाँव समाज में वर्ग-वैषम्य उस प्रकार का नहीं था, जैसी कि आज उसकी विभीषिका हमारे समाज में है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है माननीय मन्त्री जी के ऊपर जो किसी जमाने में समाजवादी रहे हैं। अगर उनको समाजवाद के उसूलों का कुछ भी स्मरण रह गया होगा, तो वह सोच सकते हैं कि समाज की विषमता को कायम रखकर ग्राम्य जीवन में वैषम्य की भावना को कायम रखकर के किस तरह से नागरिक अधिकार या सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जब ग्राम पंचायतें स्थापित की गयी थीं, उस समय इस सरकार का एक मंशा था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद हमारे देश में जो पूंजीवादी सामन्ती व्यवस्था कायम है और जिसकी रक्षा करने के लिए इस सरकार की स्थापना हुई थी, उस सरकार की जड़ें, समाज में बहुत गहराई तक नीचे तक ले जायी जायं, इसीलिए ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी। उसमें एक ही प्रगतिशील अंश था कि तमाम जनता को पदाधिकार दिये गये थे, लेकिन आज वह भी दूसरे हाथ से छीने जा रहे हैं। यही सबसे बड़े अफसोस की बात है। एक हाथ में अधिकार को एक बार देना और दूसरे हाथ से दूसरे समय में उसको छीनना यह चीज बताती है कि अब सरकार को जाहिर हो गया है कि जनता उसके विरोध में जा रही है। श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि सबसे शर्मनाक हिस्सा इसमें वह है जो श्रमदान को कानूनी स्वरूप देने की चेष्टा की गयी है। मैंने इस सदन में सबसे पहले आवाज उठायी थी कि श्रमदान बेगार है। यह बेगार ही नहीं, यह मानव श्रम की खुली कानूनी लूट का प्रयत्न किया जा रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, उस समय अगर मानव समाज हमारे देश के हिस्से को संगठित करके कोई श्रम कराता था, तो वह स्थिति दूसरी थी। कोई भी ऐसी शक्ति जिसके पास राजसत्ता नहीं है, वह मनुष्यों को इकट्ठा करके काम कराती है, उसकी स्थिति दूसरी है। लेकिन कोई भी पार्टी जिसके हाथ में शासन की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बागडोर है या वह राज्य स्वयं जनता से बिना कोई पारिश्रमिक दिये हुए काम कराने की कोशिश करता, तो वह सिवा बेगार के कुछ नहीं कहा जा सकता। और बगार भी ऐसी अत्यन्त निर्दय और निर्मम। पुराने जमींदार, ताल्लुकेदार या राजा जो पहले बेगार लेते थे, तो उनकी सत्ता सीमित थी। उसके खिलाफ जहां जनता एक होकर उठती थी, तो वह दब भी जाते थे। लेकिन ऐसी सत्ता के खिलाफ जिसकी जड़ें इतनी गहरी जमी हुई हैं, उसके खिलाफ जनता एक जगह कैसे खड़ी हो सकती है और कैसे मुकाबला कर सकती है? श्रीमन्, अगर गांवों में देखा जाय, और श्रमदान का दृश्य मैंने देखा है, खुद अपने इलाके में देखा है। पुराने जमींदार, पुराने ताल्लुकेदार या गांव के पुराने तिकड़मबाज लोगों को जब मैं छाता लगाये हुए सोंटा लिये हुए श्रमदान कराते देखता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखायी पड़ता, इस प्रभुता की प्रणाली में और उस प्रणाली में जो कि पहले हमारे समाज में प्रचलित थी। केवल रूप का अन्तर हो गया है। आन्तरिक तत्व दोनों का एक है और इस कानून के बन जाने के बाद होगा यह कि श्रमदान के ऊपर जिनको अधिकार होगा और अधिकार उन्हीं को होगा, जो कि समाज में आज हावी हैं, जिनके पास शक्ति है, जो बहुत दिनों से किसी प्रकार समाज पर कब्जा किये हुए हैं, उन्हीं लोगों को पंचायतों में अधिकार है और आगे भी रहेगा। वह एक दो रुपया देकर इस श्रमदान से बच जायेंगे। श्रमदान वही चमार, पासी, धोबी, काछी, कुर्मी, बारी करेंगे और माननीय मन्त्री जी यहां पर आंकड़े पेश करेंगे कि इतने करोड़ का काम हुआ। मैं समझता हूं कि यह निर्दय निर्मम बेगार उन पर लादी जा रही है, और उसको कानूनी रूप दिया जा रहा है।

इसका दूसरा पहलू नामजदगी का है, जिसको मैंने पहले कहा कि एक हाथ से अधिकार देना और दूसरे से वह अधिकार छीनना यह बिलकुल निन्दात्मक कार्यवाही है। यही एक प्रगतिशील कदम था, वह भी खत्म किया जा रहा है। नामजदगी का परिणाम यह होगा कि जो प्रतिनिधि होंगे, उनका मन बजाय इसके कि जनता की ओर हो, अधिकारियों की ओर ब्योरोक्रैसी की ओर जायगा। बिलकुल उल्टी प्रतिक्रिया हो जायगी। इस बुनियादी चीज पर माननीय मन्त्री जी को विचार करना चाहिए कि प्रतिनिधियों का पूरा मन जनता की ओर से हट कर जनता मुखी न होकर ब्योरोक्रैसी मुखी हो जाय। अगर वह यह समझते हैं कि उचित है तो यह कानून अवश्य बनना चाहिए। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस प्रकार यह कानून बनाकर बिलकुल एक अनडेमोक्रैटिक ब्योरोक्रैटिक सेन्ट्रलाइजेशन की नीति अपनायी जा रही है। कहने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनेंगी कहने के लिए अलग अलग इकाइयों में जनता को शासन देने की बात कही जाती है। लेकिन तमाम चीजें केन्द्रीयकरण की नीति पर चलायी जा रही हैं। जहां तक बेगार के सिलसिले में माननीय शुक्ला जी ने चीन की बात कही है, चीन मैंने देखा नहीं, लेकिन जो गैर कम्युनिस्ट लोग हमारे देश के चीन देखकर आये हैं, लेख प्रकाशित किये हैं, या वक्तव्य दिये हैं, वह चाहे डाक्टर अमरनाथ झा हों, या सुन्दर लाल जी हों, या कुमारप्पा हों, जिनकी ईमानदारी में कि वे गैर कम्युनिस्ट हैं कोई सन्देह नहीं रह जाता, उनसे कहीं यह नहीं मालूम होता कि वहां जबरदस्ती भेड़ की तरह से काम कराया जाता है। जो लोग काम करते हैं, खुशी से करते हैं, उत्साह से करते हैं और उनको उसका पारिश्रमिक दिया जाता है। यहां पर तो दिन भर काम करा कर मुट्ठी भर चना भी न देना यह हृदयहीनता कहां तक बरदाश्त की जा सकती है? छोटे-छोटे बच्चों से, किशोर वयस्क बच्चों से काम कराया जाता है और नाज किया जाता है कि हमारा बड़ा भारी काम होता है। दिन भर काम करने के बाद मुट्ठी भर चना भी न देना यह हृदयहीनता जनता कब तक बरदाश्त करती रहेगी? इस तरह से काम लेना तो जमींदारों के जमाने की बेगार से हद दर्जे की बुरी है। इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकती। श्री कृष्ण चन्द्र जी ने ट्राटस्की का उदाहरण देकर कहा कि उसने किसी किताब में कम्पलसरी लेबर की बड़ी प्रशंसा की है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं ट्राटस्की ने ही सोवियट यूनियन में जब इसका प्रतिपादन किया था, तो वह एक खास परिस्थिति थी। उस समय जारशाही खत्म हो चुकी थी, सामन्तशाही खत्म हो चुकी थी। पूंजीपति खत्म हो चुके थे, नौकरशाही खत्म हो चुकी थी, वहां समाजवादी राज्य,

[श्री झारखन्डे राय]

सोवियट सिस्टम का आर्थिक तंत्र कायम हो चुका था। वहां विदेशी पूंजी जब्त की जा चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में अगर वहां कम्पलसरी लेबर की बात कही गयी, तो इसमें अचरज की क्या बात है? लेकिन यह नहीं किया दिन भर काम करो और उसके पश्चात् मुट्ठी भर चना भी न दो। इसलिये मैं अपील करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से जो किसी समय समाजवाद के मानने वालों में रहे हैं और आज भी वह चीज उनमें से बिलकुल खत्म न हो गयी होगी, वह इस पर गौर करें और सोचें और इस आधार पर मैं उनसे अपील करूंगा कि बिना जमीन का बटवारा किये हुए, बिना बेरोजगारी और बेकारी की समस्या को हल किये हुए, बिना पुराने शोषक तबके को नष्ट किये हुए यह कहना कि महात्मा गांधी जी का आदर्श गांव पंचायतों के जरिये पैदा किया जायगा, वह केवल स्वप्न ही रह जायगा।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पंचायत-राज विधेयक जैसा हमारे समक्ष है और जो स्पष्टीकरण माननीय स्वायत्त मन्त्री ने कहा इसको लाने के लिए दिया है, जब हम उस पर गौर करते हैं, तो निस्सन्देह इस बात का आभास होता है कि सरकार की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और जनता का विश्वास उस पर से उठ चुका है। यह श्रीमन्, इससे विदित हो जायगा कि गांव सभाओं पर जो नियंत्रण था, बजाय इसके कि उसको ढीला किया जाता और कड़ा किया जा रहा है। बजाय इसके कि गांव सभाओं को स्वशासन इकाई में परिवर्तित करते उनके ऊपर सरकार अपना नियंत्रण और कठोर करती जा रही है। श्रीमन्, यह तरीका उस वक्त कोई सरकार अख्तियार करती है, जब वह समझने लगती है कि अब हमारे जाने के दिन दूर नहीं हैं। उस वक्त सरकार सत्ता का केन्द्रीयकरण अधिक करने लगती है। इसके पश्चात् श्रीमन्, इस विधेयक के अन्तर्गत कई बातें हैं, जो कि पहले विधेयक से बहुत भिन्न हैं। जैसा मैंने कहा हमारी सरकार ने सेन्ट्रलाइजेशन का तरीका अख्तियार किया है। सबसे पहले यहां नामजदगी का सवाल है। यह बड़ा खतरनाक सवाल है। इस नामजदगी के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां सदन में प्रकट किये हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप गांव पंचायत के सदस्यों का चुनाव करने जा रहे हैं, तो उन गांव पंचायत के सदस्यों के साथ जिस मिकदार में गांव पंचायत से न्याय पंचायत में सदस्य जायं, उनका भी चुनाव करना चाहते हैं, तो क्या आवश्यकता इस बात की हुई कि उनको पहले गांव पंचायत के सदस्य का रूप दिया जाय और तब उस गांव पंचायत में से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी न्याय पंचायत के लिए नामजदगी करे? श्रीमन्, जैसा कि स्पष्टीकरण हमारी सरकार ने दिया है कि एलेक्शन में बहुत से खराब व पक्षपातपूर्ण आदमी आ सकते हैं या उनके पास बहुत सारी शिकायतें इस सम्बन्ध में आयी हैं, तो मैं समझ नहीं पाया कि किस आधार पर उन्होंने इन पंचायतों के कार्य की सराहना की है और किस आधार पर अपनी पंचायतों के निर्णय को स्थिर बताया है। अगर कोई चन्द शिकायतें किसी पंचायत के सम्बन्ध में आयी तो उसका नतीजा यह नहीं हो सकता कि सरकार उनके अधिकार छीनकर अपने हाथ में ले ले। चाहिए तो यह था कि जो कमजोरियां हैं, उनको दूर करने की सरकार कोशिश करती। श्रीमन्, नामजदगी के सम्बन्ध में सरकार ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह समझ में आने लायक नहीं है। यह सम्भव है कि एलेक्शन में जब ३०, ३५ आदमी ग्राम पंचायत के लिए चुने जायं, तो उसमें २, ४ आदमी तिकड़मबाज आदमी या राजनैतिक हथकंडे वाले या सरकार के खुशामदी आ जायं, जो अपनी तिकड़म से नामजद करवा कर न्याय पंचायत में आ जायं। इससे एक चीज का और आभास होता है और वह यह है कि न्याय पंचायतों की नामजदगी का तरीका इसलिए अख्तियार किया गया है कि सरकार ऐसे आदमियों को उसमें चाहती है कि जो आदमी सरकार के हामी हों, अन्यथा, यह समझ में नहीं आता कि गांव पंचायत से न्याय पंचायत के लिए सही आदमी को लेने में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो गांव से दूर रहती है, कम्पिटेंट हो। हमने माना कि शायद हमारे माननीय मन्त्री जी का यह विश्वास है कि वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ज्यादा ईमानदार हो सकती है। लेकिन उनके पास क्या जरिये हैं, व्यक्तियों की ईमानदारी और

उनकी बाबत ज्यादा बातें जानने का ? इस सम्बन्ध में वह अथारिटी अपने सबार्डिनेट अधिकारियों से पूछ-तांछ करेगी, तब वह नामिनेट करेगी। ऐसे अधिकारियों के पास चारों तरफ ऐसे आदमियों की कमी नहीं है जो खुशामद करते हैं या रिश्वतखोर हैं और सम्भव है कि नालायक व बेईमान आदमी ही आगे बढ़ सकते हैं। उस जनता के दृष्टिकोण को वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी किस प्रकार से जानेगी यह हमारे माननीय मन्त्री जी बतायें। दूसरा तरीका जनता से पूछ-तांछ कर पता लगाने का है, उस दशा में सरकार की जो पार्टी है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, या दीगर कांग्रेस कार्यकर्त्ता हैं, उनकी सलाह के अनुसार उनकी ईमानदारी का निर्णय होगा और इस प्रकार राजनीति का अखाड़ा बनेगा, जिसको माननीय मन्त्री जी नहीं चाहते हैं। जब कि नामजदगी की ऐसी बुराइयां हमारे सामने हैं और उसके आधार पर आप न्याय पंचायतों का चुनाव करने जा रहे हैं, वह अन्याय पंचायत ही बनकर रह जायंगी। इसका मुझे पूरा शक है।

श्रीमन्, इसके अलावा कई अधिकार इस विधेयक के द्वारा सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं और पंचायत की ताकत को लिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि जब चाहे तब सरकार गांव सभा का एलेक्शन करने का आदेश दे। इस बात की क्या आवश्यकता थी ? जब कोई वैकेंसी हो जाय, तो सरकार खुद उसको नामजद करके भर दे। जब गांव पंचायतें वहां पर मौजूद हैं, तो क्या यह अधिकार उनको नहीं दिया जा सकता ? सरकार ने वास्तव में इस बिल को लाकर पंचायतों की ताकत को खत्म किया है।

हमारे गांवों और देहातों में छोटे और बड़े अहलकार जाते हैं। अगर वे किसी किसान या गांव की जनता को परेशान करते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, तो इसके लिए उनके ऊपर एक चेक यह था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी करप्ट हो, बेईमान हो या कोई क्रिमिनल ऐक्ट वह जनता के आदमियों के साथ करे तो पंचायती अदालतों में उसके ऊपर दावा हो सकता था। लेकिन सरकार ने जानबूझ कर अब पंचायतों का ऐसा अधिकार छीन लिया है। अब वे ऐसा मुकदमा अपनी अदालत में दायर नहीं कर सकते। यह बहुत ही अन्याय की बात मालूम होती है।

दूसरी बात मौलिक श्रमदान के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। यों तो उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। श्रमदान के नाम पर हमारे जिले में बहुत बड़ा काम हुआ है। इस श्रमदान को रियासत के जमाने में "प्रभू सेवा" कहते थे और वह प्रभू सेवा इस तरह की होती थी कि गांव के रास्ते आदि साफ करने की जिम्मेदारी गांव के लोगों की होती थी। जब आजादी की हवा चली तो सबसे बड़ा नारा यह लगाया गया कि यह प्रभु सेवा बेगार है। ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं है। यह बहुत बुरी चीज है। इसके बाद इस प्रभु सेवा का रूप श्रमदान ने धारण कर लिया। जनता ने न समझा कि कौन सी नयी बात हुई। लेकिन जब उसको कुछ स्वशासन के अधिकार दिये गये तो उसने यों सोचना शुरू किया कि हम अपने प्रभु खुद ही हैं इसलिए यह स्वयं की ही सेवा हुई। लेकिन अब इस किस्म की फोर्स्ड लेबर लाने से यह प्रभु सेवा से भी बदतर चीज हो गयी है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह बात कह देना चाहता हूं कि गांव की जनता कभी भी इस चीज को पसन्द नहीं कर सकती है। यह जाहिर है श्रीमन् कि अगर आप चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें उचित से उचित काम करें, तो सरकार को चाहिए कि वह अपनी मौजूदा नीति को छोड़ कर सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करे। सरकार उनको आमदनी के साधन दे। यह माना कि उनके पास मैनपावर है, लेकिन उनके पास धन नहीं है। वह तभी उस शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हैं, जब वे अपनी जिम्मेदारी समझेंगी और यह समझेंगी कि हमें जो भी कुछ करना है, उसमें हमारे मुल्क की और हमारी तरक्की निहित है। जब तक उनमें यह साइकालोजिकल चेंज नहीं आयेगा तब तक उनका काम ठीक प्रकार से नहीं चल सकता है। केन्द्रीयकरण के रास्ते से सरकार ठोकर ही खायगी, ऐसा मेरा ख्याल है।

*श्री राम कृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तमाम विवाद पंचायत राज ऐक्ट पर हो रहा है। इस सिलसिले में जो इस पार्टी तथा अन्य पार्टियों की तरफ से विवाद हुआ उसको मैंने बड़े गौर से सुना। सुनने के बाद मुझे भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि भारतवर्ष में गुलामी की जड़ें इतनी गहराई तक पहुंच चुकी थी कि उनको उखाड़ फेंकना मुश्किल ही नहीं असंभव हो गया था परन्तु हमारे जन बल, संगठन और महात्मा गांधी की तपस्या के बल से हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी। लेकिन यह स्वतंत्रता राजनैतिक स्वतंत्रता मिली। अभी हमारे उत्तर प्रदेश या भारत में सामाजिक और आर्थिक विषमता बाकी ही रह गयी थी। उस आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिये, शोषितों को न्याय दिलाने के लिये, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये तथा जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने सन् ४७ में पंचायत राज की स्थापना करके जो कदम उठाया वह सराहनीय है और इस पंचायत राज का स्वागत उत्तर प्रदेश की ही जनता ने नहीं बल्कि सारे भारत की जनता ने किया और यह जो एक नयी चीज थी उसका कार्य बहुत सन्तोषप्रद तो नहीं रहा लेकिन फिर भी काम अच्छा रहा। फिर आज बहुत दिनों के अनुभव के बाद हमारी सरकार के सामने यह प्रश्न उठा कि आया पंचायत राज की स्थापना के बावजूद यह कार्य जनता को अपना कार्य सम्पादन करने के लिये सफल सिद्ध हुआ या नहीं ? इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह पूर्ण रूपेण सफल हुआ क्योंकि इसके बाद ही आज यह पंचायत-राज में संशोधन करने का अवसर मिला। तो अब इस बात पर वाद विवाद हो रहा है कि आया यह पंचायत राज संशोधन विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय अथवा माननीय राज नारायण जी के प्रस्ताव पर यह जनमत प्राप्त करने के लिये घुमाया जाय। तो मैं यहां पर माननीय राज-नारायण जी के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसके बावजूद मेरे सामने यह प्रश्न उठा कि विरोध करने के पश्चात् इसको प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय इसके लिये मैं कुछ अपने सुझाव माननीय सदस्यों के सम्मुख उपस्थित करूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पंचायत राज का सवाल था यह सभी को मालूम है कि यह दो भागों में विभाजित था। एक तो प्रबन्ध के लिये गांव सभायें थीं और दूसरी तरफ न्याय के लिये अदालतें थीं। जहां तक गांव सभायें थी उनका कार्य तो ठीक था, उनका कार्य जहां तक हो सकता था सन्तोषप्रद था लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग था वह न्याय का था, वह अदालती पंचायतें थीं। मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूं औरों की बात नहीं जानता कि सबको जो यह आशा थी कि जनता को सस्ता न्याय मिलेगा, लेकिन आज जो चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है और उसके विरोध में आलोचनायें हो रही हैं वे इसलिये कि उनको सस्ता न्याय नहीं मिल सका। जो लोग यह कहते हैं कि चुनाव के कारण या पार्टी बंदी के कारण सस्ता न्याय नहीं मिला यह कुछ हद तक ईमानदारी नहीं हुई लेकिन मैं यहां तक कहने के लिये तैयार हूं और मैं इस बात को मानता हूं चाहे और लोग इसको मानें या न मानें और इसका खंडन ही क्यों न करें कि जब तक हमारे भारतवर्ष में यह वर्ण व्यवस्था रहेगी, जब तक ऊंच नीच का भेद भाव रहेगा, तब तक सच्चा न्याय मिलना असम्भव सा है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब पहली बार चुनाव हुआ तो उसमें पढ़े-लिखे लोग मेम्बर थे इसलिये गरीब आदमी वहां नहीं पहुंच सके और दूसरे लोग अपने स्वार्थ की बात लेकर वहां पहुंच गये। उन्होंने जहां कहीं देखा कि किसी चमार ने उनका कहना नहीं माना या बेगार नहीं दिया तो वह उसे परेशान करने के लिये उसके ऊपर किसी न किसी तरह से कोई मुकदमा करवा दिया ताकि वह उनकी गुलामी करता रहे अगर उन्होंने देखा कि फलां चमार उनके मृतक पशु को नहीं उठाता है और उनके एवज में चरसा मोट नहीं देता है या स्वतंत्रता के युग में साम्यवाद का नारा लगाता है और अपनी स्वतंत्रता महसूस करता है तो उसे उन्होंने दबाना शुरू किया। अगर देखा कि फलां नाई अच्छे बाल नहीं बनाता या स्वतंत्रता का अनुभव करता है या बाल बनाने के पैसे मांगता है तो उसे ठाकुर और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमींदार वर्ग के लोग दबाने की कोशिश करते हैं और उसे हर तरह से परेशान करते हैं । इन सब बातों में बहुत से लोग पिस भी गये । मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूं कि इन अदालती पंचायतों से सस्ता न्याय नहीं मिलता बल्कि वहां तो तमाम घूसखोरी चल रही है और ऐसी अदालती-पंचायतों को बहुत जल्दी खत्म कर देना चाहिये । चाहे ट्रेजरी बेंच के लोग कहें चाहे विरोधी पार्टी के लोग कहें लेकिन जो रिजनेबिल बात हो उसे कहना चाहिये । यह कहा जा सकता है कि इन न्याय पंचायतों की वजह से बहुत खर्चा बढ़ जायगा । यह बात ठीक है लेकिन इसमें कुछ न कुछ सुधार होने की गुंजायश है, तो इस प्रणाली को अवश्य अपनाने की कोशिश होनी चाहिये ।

जहां तक मेरा ख्याल है, अदालती पंचायतों में चुन कर जाने का जो तरीका है वही ठीक है लेकिन चुनाव बैलट पेपर के जरिये होना चाहिये क्योंकि जो गरीब आदमी है वे खुले आम हाथ उठा कर किसी को वोट नहीं दे सकते हैं । इस तरह से जो बेईमानी और भ्रष्टाचारी करते हैं तथा न्याय नहीं करने वाले हैं उनको सारे उत्तर प्रदेश से कान पकड़ कर बाहर निकालने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा और इसके बाद जनता को अनुभव होगा कि वास्तव में डेमोक्रेसी के क्या मानी हैं । कोई भी सरकार हो चाहे वह किसी भी पार्टी की हो किसी संस्था को हो वह बेईमानी करके टिक नहीं सकती है । जो कुछ भी किया जा रहा है वह अनुभव के बाद किया जा रहा है, वह ठीक है । लेकिन श्रमदान के बारे में मैं कहना चाहता हूं और हमारा भी अनुभव उसका है, लम्बे-लम्बे कागज पर अनेक फिगर भर दिये जाते हैं, बाकी असली श्रमदान तो श्रमिक करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं की गई है । देहात में तो आज भी मजदूर ही काम करता है और बड़े वर्ग के जमींदार लोग छाता लगाये खड़े रहते हैं और आर्डर किया करते हैं और हुकूमत करते हैं । हां, एक अन्तर जरूर हुआ है और वह यह कि कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और थानेदार वगैरा जो पहले दूर रहते थे वह अब हर समय फावड़ा चलाने के लिये तैयार रहते हैं । तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा सुधार तो हुआ है कि वह भी अब फावड़ा चलाने के लिये तैयार हो गये हैं । तो श्रमदान की जो पद्धति बनी है उसकी चाहे कोई मुखालिफत करे लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस तरह की जो समाज की कुरीतियां हैं वह अगर सरकार चाहे कि कानून बनाकर दूर कर दे तो नहीं दूर हो सकतीं । वास्तविक सुधार तो हर एक नागरिक को और हर एक भारतवासी को करना होगा और समाज में जो असभ्य हैं, जो कुरीतियां हैं उनको दूर करना होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं । जहां तक देश के उत्थान का प्रश्न है, उसमें तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सोशलिस्ट हों या कम्युनिस्ट हों, सबको एक साथ बगैर गरीब अमीर का ख्याल किये हुये जुटना होगा । क्या विरोधी नेता होने से यह मतलब हो जाता है कि हर बात का वह विरोध ही करे ? मैं इस तरह की बात को कभी पसन्द नहीं करता । अगर कोई ठीक बात है तो उसकी अच्छाई भी करना चाहिये यह नहीं कि हमेशा विरोध ही किया जाय । हालांकि मैं जब से यहां इस सदन में चुनकर आया हूं मैंने कभी भी नहीं देखा कि अगर सरकार की ओर से कोई अच्छी चीज लाई गई है तो उधर से उसकी प्रशंसा की गई हो, हमेशा बुराई ही की जाती है और अच्छी चीज को भी अच्छा नहीं कहा जाता । इस तरह का विरोध तो किसी को भी शोभा नहीं देता । अगर इस तरह की बात रही तो मैं समझता हूं कि वर्गहीन समाज की स्थापना की जो बात कही जाती है वह स्वप्न मात्र ही रह जायगी और इस तरह से बरगलाने से वह बात कभी भी पूरी नहीं हो सकती । मैं तो मिर्जापुर जिले का रहने वाला हूं वहां एक कहावत है कि —

"मारे जोम के हाथी मरिगा, सांप मरा बरिआई ।
बिना अकल के मनई मरिगा, सियार मरा चतुराई ।।"

इससे मेरा तात्पर्य राजा, कम्युनिस्ट, स्वतंत्र तथा शोसलिस्ट से है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करेंगे ।

*श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं उन शख्सों में से हूं जो यह हमेशा मानते हैं कि कोई चीज दुनिया में न बुरी होता है और न अच्छी । चीज अच्छी और बुरी तो हम उसको कहते हैं जो समाज और देश और वक्त और मौका महाल को देखते हुये हमें फायदा पहुंचाती है उसको हम अच्छा कह देते हैं और जो हमें नुकसान करने वाली होती है उसको बुरा कह देते हैं । अब जैसे एक आदमी ने पचासों आदमियों का कत्ल कर दिया तो कत्ल करना कुछ बुरा नहीं है कितने ही कत्ल अच्छे ही भी कहे जाते हैं लेकिन मौका महाल को देखकर हम एक कत्ल को बुरा भी कहते हैं । उसी एक चाज को एक पार्टी अच्छा कहती है और दूसरी उसी को बुरा कहती है । ठीक है । दोनों के नुक्ते नजर अलग अलग हैं । हम इसलिये अच्छा कहते हैं कि हमारे समाज के काम में वह व्यक्ति जो हमें हाथ पांव देते हैं काम करने के लिये उसको शहंशाहों ने या बादशाहों ने मजहब की अफीम देकर सुला दिया है जो हाथ पांव चलाते नहीं हैं, काम में उनको लाते नहीं है । लेकिन हममें से कुछ लोग ऐसे भी हो गये हैं जो यह समझते थे कि जो दुनिया के काम करें वह ऊंची जाति के लोग हैं और जो काम न करें वह नीची जाति के लोग हैं और इस तरह की खराबियां समाज में होती चली आयीं । मैं आपसे बतलाऊं वह साधु लोग हैं जो हाथ को उठाये रहते हैं और उनका हाथ सूखकर वैसा ही रह जाता है । तो हाथ पैर जितने बदन के टुकड़े हैं वह अगर काम में लाये जायेंगे तो अच्छे रहेंगे और तन्दुरुस्त रहेंगे और जितना ही आदमी बेकार रहेगा वह बीमार रहेगा। इसी तरह से जो समाज के हिस्से आज तक काम नहीं करते थे उनके लिये एक नारा आज लगा है कि" जो करेगा सो पायेगा, जो सोयेगा सो खोयेगा" । यह हमारा नारा है और बिलकुल सही है ।

हमारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भाई आज उन ताल्लुकेदार की सेवा क्या नहीं कर रहे हैं जो इस नारे का विरोध करते हैं और उस टुकड़े को वह काम में लाकर नहीं चल रहे हैं जो आज तक हाथ पांव से काम करना नहीं जानता था उसको आज वह आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और यह कहते हैं कि आज श्रमदान न हो लोग मेहनत न करें । आप उस ताकत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते कि जो हमने यह नारा लगाया है कि "जो करेगा सो पायेगा और जो सोयेगा सो खोयेगा"। आज लोग उस नारे की बदौलत जाग भर पाये हैं । हमारा मुल्क गरीब है, लेकिन हमारे पास जनशक्ति है और उसके भरोसे हम हिन्दुस्तान की तामीर करना चाहते हैं । आप जानते हैं कि हमारे पास दौलत नहीं है और अगर दौलत नहीं है तो वह जनशक्ति तो है जिसको जगाकर हम हिन्दुस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं । आज एक किसान गांवों में मदरसा खोलता है और नहर खोलता है और जिस ईश्वर, खुदा, परमात्मा के भरोसे वह बैठा हुआ था कि खुदा चाहेगा तो बदख्शां हो जायेगा, खुदा चाहेगा तो स्कूल अपने आप बन जायगा तो जब वह स्कूल को देखता है, सड़कों को बना हुआ देखता है तो वह अपने ऊपर विश्वास पाता है और फिर अपनी बिगड़ी हुई चीज को बनाने के लिये खड़ा होता है । तो उस चीज का आप विरोध करते हैं जिससे जनता अपने काम के ऊपर विश्वास करे, अपनी ताकत को जाने और आगे बढ़े तो आप इसलिये विरोध करते हैं कि यह आपके हक में आपकी मौत है । इसलिये आप इसका विरोध करते हैं कि जनता अगर जाग जायगी तो जो पार्टी आज उसको ले कर चल रही है जिसने नारा लगाया है उसको मैदान मिलेगा ।

मैं जनवरी का एक वाक्या बताता हूं। हम एक जगह श्रमदान कराने गये तो वहां पर बाजार में २५ तारीख को एक कम्यूनिस्ट भाई लेक्चर दे आये थे कि कोई भाई श्रमदान करने मत जाना । लेकिन जब मुझे मालूम हुआ मैं वहां गया और उनसे कहा भाई कायल कर दीजिये, अपना घर बनाना, अपना घर साफ करना अपने घर पर दरवाजा बनाना क्या बुरा है अपने दरवाजे पर खिड़की लगाना बुरा है ? तो देखिये सुबह हजारों आदमी फावड़ा लेकर पहुंच गये और वह खुद भी वहां तशरीफ ले आये और फावड़ा लेकर काम पर जुट गये । उन्होंने कहा कि मैं अकेले कैसे रह सकता हूं ? हमारे घर के बीबी-बच्चे, बूढ़े-जवान जब सभी निकल आये तो मेरी लीडरी कहां रह सकती है ? तो जो पार्टी आज उसका विरोध करती है वह जानती है कि अगर श्रमदान होता है तो हमारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मौत है और इसलिये आप उसको बुरा समझते हैं और इसलिये हम उसको अच्छा समझते हैं, इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी, हमारा काम मजबूत होगा और हमारा हिन्दुस्तान आगे को बढ़ेगा ।

दूसरी चीज जो मुझे अर्ज करना है वह नामजदगी के बारे में है । मैं इस बात को मानता हूं कि न्याय और चुनाव का कोई सम्बन्ध नहीं है । गांव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस हुल्लड़बाजी में एलेक्शन की आना नहीं चाहते । वह शरीफ होते हैं वह मदद देना चाहते हैं लेकिन हुल्लड़बाजी में आना नहीं चाहते । अगर गांव सभा में उनको चुना नहीं जाता और उनको अगर नामजद कर दिया जायगा तो कोई चीज नहीं है । आप जानते हैं कि आज गांव सभाओं में कुछ ऐसे लोग आ गये हैं जो गांव सभाओं में शरीक होने के लायक नहीं है । लेकिन चुनाव है, उनको राइट है कि अगर वह ज्यादा वोट पायें तो हो सकते हैं लेकिन जहांतक कि अदालत का मामला है, अदालत का चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है । चुनाव में एक डाकू भी चुना जा सकता है, लेकिन वह डाकू न्याय की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता । इसलिये जो भाई आज विरोध करते हैं कि अदालतों के लिये आदमी नामजद न हों वह इस बात को भी सोचें कि कितने ही भाई ऐसे आज गांवों में हैं जो इस एलेक्शन में आना नहीं चाहते । तो क्या उन आदमियों से काम लेना अच्छा है या बुरा, ऐसे आदमी आज छुपे हुये नहीं है । आज जिस जिले में दो ढाई साल कोई डिप्टी कमिश्नर रह जाता है उस जिले के सभी अच्छे-अच्छे आदमियों को वह जान जाता है । आज हमारी जो मशीनरी है, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर हैं अगर हम उन पर एतबार नहीं करते तो हम फिर अपनी हुकूमत को आगे चला नहीं सकते । हमको उन पर एतबार है । हो सकता है कि कोई चीज आपको बुरी लगे लेकिन हम कहेंगे और आपको मानना पड़ेगा कि आज के डिप्टी कमिश्नर में वह बात नहीं है । आज वह तमाम चीजें खत्म हो गई हैं । आज से ६ वर्ष पहले जो फौज हमारी गुलामी की वायस थी वही आज हमारी सरहद पर खड़ी होकर हमारे दुश्मनों को ललकार रही है कि तुम इस देश की तरफ बढ़ नहीं सकते । तो क्या वह खयालात जो ६ वर्ष पहले कभी थे वही आज भी कायम रह सकते हैं ? आज हमारे फौजी भाइयों ने जो कोरिया में काम किया है क्या उसके बावजूद भी हम फौज की तरफ से बददिल हो सकते हैं ? क्या आज के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और जो उनके काम हैं उनको हम उसी नजर से देख सकते हैं जोकि ६ वर्ष पहले थी ? वह हमारी मशीनरी है और हम जानते हैं कि वह अच्छा काम करते हैं । मुझे विरोधी दल के भाइयों से निवेदन करना है कि उन्हें जो बुराई लगेगी वह हमें अच्छाई लगेगी क्योंकि उनकी नुक्ते नजर दूसरी है और हमारी नुक्ते नजर दूसरी है । उन्होंने दाढ़ी रखनी शुरू की है, मैं इसे कहने के लिये माफी चाहता हूं । हो सकता है कि कोई चीज आपको बुरी लगती हो लेकिन वह हमें अच्छी लगती है । अगर आप ठीक चीजों का विरोध करें तो हम भी आपका साथ दे सकते हैं । जैसे आप यह कहते कि एम० एल० ए० होने के बाद लोग मोटे हो गये या आप यह कहिये कि मिनिस्टर होने के बाद गाल चिकने हो गये वहां पर हम आपके साथ होंगे और सिर झुकायेंगे लेकिन सही चीजों का जब आप विरोध करेंगे, जैसे श्रमदान यानी मेहनत का दान जो कि कुदरतन हर आदमी को दिया गया है, इसका आप विरोध करते हैं तो यह कहां तक सही हो सकता है ? जब आप काम ही नहीं करेंगे तो फिर क्या हो सकता है ? इसलिये मैंने जो कुछ कहा है उसे गौर से समझें ।

*श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न इस बात का है कि आया यह बिल ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय या जनमत प्राप्त करने के लिये वितरित किया जाय । मैं यह चाहता हूं कि जो उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने इस बिल को पेश करने में लिखा है, उसे जरा आपके सामने पढ़ दूं । इसमें उन्होंने लिखा है :—

"अतएव विधान मंडल क दोनों सदनों की एक समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया है और इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन उसी के अनुसार हैं ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने इस वक्त है उस कमेटी की रिपोर्ट में जो भी संशोधन दिये गये थे वह इस बिल के अन्दर नहीं रखे गये । इसलिये इस चीज का फैसला करना कि यह जो कानून आज बनाया जा रहा है, जनता पर इसका क्या असर होगा, जनता इसे चाहती है या नहीं चाहती है, जनता इस रिपोर्ट को चाहती है या इसके कानून को पसन्द करती है, यह आम जनता पर छोड़ा जाय, यह हमारी राय है और तभी इस बात का साफ फैसला हो सकेगा । अगर आम जनता की राय ली जायगी तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो कमेटी की रिपोर्ट हम लोगों को बांटी गयी है उसका समर्थन सब जगह होगा ।

कल जब माननीय राजनारायण जी बोल रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को प्रेसक्राइब्ड अथारिटी अभी से क्यों बना दे रहे हैं, हमने प्रेसक्राइब्ड अथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं माना है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान 12-A की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें लिखा है—

"For the purpose of electing members of Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from amongst its members such number as shall exceed by five the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the District Magistrate has selected five persons under section 43 for membership of Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

माननीय मंत्री जी ने इस बिल में साफ रख दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेसक्राइब्ड अथारिटी होगा । जैसा कि माननीय झारखंडेराय ने कहा, आज जनता का विश्वास कांग्रेस पर से उठ गया है । इसलिये माननीय मंत्री जी का यह ख्याल है कि जब पंचायतों का चुनाव होगा उस वक्त पंच और सरपंच वगैरा जो चुने जायेंगे वह इनके मन के नहीं होंगे, इसलिये एक नयी चीज शुरू की जा रही है । जब कमेटी कहती है कि किसी किस्म का नामिनेशन नहीं होना चाहिये तो बावजूद इतनी सिफारिश के, बावजूद इतने खर्चे के और बावजूद इतने दिन बैठने के, सरकार क्यों इस चीज को रख रही है ? जब कलेक्टर साहब के पास नाम जायेंगे तो हम ही लोगों में से उनके पास जायेंगे और कहेंगे कि इनमें से इस आदमी को सरपंच बना दिया जाय । पिछले एलेक्शन का हमें तजुर्बा है कि यह जो पंचायत राज के इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी थे, जिन पर सरकार हावी थी, उन सबने जा करके पंचों और सरपंचों से यह कहा कि तुम सरकार के बनाये हुये हो, सरकार के लोग कांग्रेस की तरफ से खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है, अगर तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो निकाल दिये जाओगे । जब कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनको नामजद करता है और कांग्रेस के लोगों के जरिये या हम लोगों के जरिये वह मुकर्रर किये जाते हैं, तो पंचायत राज के सेक्रेटरीज या इंस्पेक्टर्स का और भी हक हो जाता है यह कहने का कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने तुम को बनाया है, अब तुम कांग्रेस सरकार के आदमी हो, अगर तुम सरकार के लोगों को वोट नहीं दोगे तो निकाल दिये जाओगे । इतनी बड़ी फौज माननीय मंत्री जी इकट्ठा करना चाहते हैं आगे के एलेक्शन के लिये । इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह फैसला अब कर लिया होगा या आगे करें कि यह जो प्रथा नामिनेशन की रखी जा रही है यह किसी हालत में नहीं होनी चाहिये । इसका हम सख्त विरोध करेंगे । वह केवल सौ रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं, तो वह कौन सा जुल्म ढा देंगे अगर वह ग़लत फैसला कर देंगे । आप खुद कहते हैं कि पंचायतों ने बड़ा अच्छा काम किया है, रिवोल्यन कोई भी एलाऊ नहीं हुआ, ९८ परसेंट या कितना आपने बता दिया, तो जब इतने अच्छे फैसले पंचायतों ने किये, तो क्या कारण है कि आज उनसे कहा जाता है कि तुम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनायेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर काफी वाद-विवाद हो चुका है और इसलिये मैं और इस पर जोर देना नहीं देना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखा गया और वह है श्रमदान का । श्रमदान पर एक राय हो सकती है और मैं मान सकता हूं कि शायद माननीय मंत्री जी भी

यही कहेंगे कि जो लोग श्रमदान नहीं करते हैं आखिर उनके लिये क्या किया जाय । यह दिक्कत हमारे सामने पड़ी जब श्रमदान चला । हमने श्रमदान कराया और श्रमदान में कुछ लोग ऐसे थे जो रईस थे, इज्जतदार लोग थे । जब जनता काम करने के लिये जाती थी तो वह नहीं आते थे और उस समय गांव सभा में दिक्कत पड़ी कि किस तरह से लोगों से काम लिया जाया । अगर उनका सोशल बायकाट किया जाय तो भी कानूनन वह गलत था । इसलिये किस तरह से श्रमदान कराया जाय, यह सवाल हमारे सामने भी आया था । हम यह भी देखते हैं कि अगर उसके संबंध में कोई कानून बना दिया गया तो गांव के वह गरीब लोग जो दिन भर मजदूरी करते हैं, कोई जूते का काम करता है और चार छः आने रोज कमाता है और उसमें खुद खाता है और अपने बच्चों को खिलाता है; अगर उससे आशा करें कि महीने में वह चार दिन काम करे तो यह ठीक नहीं होगा ।

आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं है और लोगों के पास रोजगार नहीं है और लोगों के पास पैसा नहीं है । अगर आज जब लोग खुशहाल होते और सब के पास खाने-पीने का प्रबंध होता । तब तो सबसे काम कराना चाहिये था और यह ठीक भी होता । लेकिन आज की परिस्थिति में यह चीज शोभनीय नहीं है । मैं इसको बेगार कहने के लिये भी तैयार नहीं हूं । अगर सरकार इसको रखेगी तो ठीक नहीं होगा । आज जनता ने बड़े उत्साह से काम किया है जहां जरूरत थी वहां लोगों ने काम किया है । जहां सड़क की जरूरत थी वहां लोगों ने सड़क बनाई, जहां नहर की जरूरत थी वहां लोगों ने नहर खोदी । लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उनसे अगर हम कहें कि तुम जाकर जमीन खोदो या नहर खोदो और उनके साथ जबर्दस्ती की जाय तो यह गलत चीज होगी ।

इसलिये जहां पर श्रमदान आवश्यक होता है वहां पर लोग स्वयं करते हैं । कल जैसा कि मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है । इसलिये श्रमदान से काम करायेंगे । इससे जो पैसा पैदा करेंगे वह गांव के फंड में काम आयेगा । अध्यक्ष महोदय, यह चीज बहुत ही अच्छी है । फंड इकट्ठा हो सकता है और उससे काम भी हो सकते हैं । लेकिन तजुर्बा हमारा यह कहता है कि जहां-जहां गांव सभाओं ने फंड इकट्ठा किया है वहां उनको वापस मिलने में दिक्कत होगई है । हमने भी फंड का रुपया जमा किया लेकिन एक पैसा भी वापस नहीं मिल सका । इसलिये जब तक ठीक तरह से व्यवस्था नहीं की जायगी तब तक काम ठीक नहीं हो सकता है ।

जहां बात कही जाती है कि हम डिसेंट्रेलाइजेशन कर रहे हैं, गावों को हम स्वराज्य दे रहे हैं, गांव पंचायतों को राज्य दे रहे हैं, लेकिन वहां यह नहीं सोचते कि आज उनके पास एक पैसा नहीं है । उनको पैसे की इमदाद दें, उनको रुपया दें । लेकिन उसके बजाय आज उनसे कहा जा रहा है कि तुम टैक्स लगाओ और धन इकट्ठा करो । आज जब हमारे प्रान्त की हालत ऐसी है कि हम लोग टैक्सेशन के मामले में सैचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच गये हैं । ऐसी हालत में टैक्स नहीं लगाये जा सकते हैं । ग्राम सभायें जो स्वराज्य की यूनिट्स हैं । उनके पास आज पैसा नहीं है । जब अधिकारी गांवों में जाते हैं तो कहते हैं कि प्रधान जो अच्छे हो और उन्हीं के यहां खाना वगैरा खाते हैं और चाय वगैरा पीते हैं । इसलिये आप चुनाव के अन्दर वही चीज रखें । अगर आप ४-४ रुपये की बात रखेंगे तो जो ईमानदार होंगे वह पंचायतों में जाना पसन्द नहीं करेंगे । लेकिन जिनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, जिनके पास पैसा है, जो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं वह अपना नामिनेशन भी फाइल कर सकते हैं और रुपया भी इकट्ठा कर सकते हैं और जो वह अपनी मेम्बरी पर रुपया खर्च कर सकते हैं उसको बाद में वसूल भी कर सकते हैं । लेकिन आज डिसेंट्रेलाइजेशन के हामी जो तारीफ करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वह जो विकेन्द्रीयकरण की बात कहते हैं तो क्या उन्होंने कोई आर्थिक विकेन्द्रीयकरण भी किया है । क्या पैसे देने की भी कोई व्यवस्था की है ?

चौखम्भा राज्य की बात हमारे देश में चली है । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने की है और कहा है कि उनको रुपया दिया जाय, उनके ऊपर विकास के काम छोड़ दिये जायं, स्कूल का काम

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

छोड़ दिया जाय, अस्पतालों का काम छोड़ दिया जाय और सड़कों के बनाने का काम छोड़ दिया जाय और जो रेवेन्यू आती है उसके चार हिस्से कर दिये जायं । फिर आप देखिये कि गांव सभायें कैसे चलती हैं ।

इस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एक भूमि व्यवस्था प्रबंधक कमेटी बनने वाली है वह अड़चन डालने वाली है । अध्यक्ष महोदय, अगर आप पंचायतों को चलाना चाहते हैं, सचमुच डिसेंट्रेलाइजेशन करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि अगर यह भूमि का प्रबंध करने वाली कमेटी अलग हुई तो फिर बहुत से झगड़े खड़े हो जायेंगे और आपकी ग्राम पंचायतें पनप नहीं सकेंगी; वह कोई काम नहीं कर सकेंगी। मैं तो यह चाहूंगा कि भूमि प्रबन्धक जो कमेटी है वह इसके अन्दर रहे यानी ग्राम पंचायत की सब कमेटी हो।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, एक टैक्स वसूल करने की बात है कि ग्राम सभा टैक्स किस प्रकार लगायेंगी। मैं एक बात बेगार के सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं, जिसको श्रमदान कहा गया है । यह देखा गया है कि जब मीटिंग होती है ग्राम सभा की, तो कोरम नहीं पूरा होता । उसके बाद जब एडजार्नमेंट मीटिंग होती है, उसमें कोरम की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा तो हो सकता है कि हजार-दो हजार की आबादी में ८–१० आदमियों ने आकर उसी एडजर्नमेंट मीटिंग का फायदा उठाकर यह फैसला कर लिया कि श्रमदान होगा, टैक्स लगाया जायगा, तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं होगा । इसकी भी व्यवस्था सरकार को करनी होगी कि अगर ऐसे कोई फैसले किये जायं, गांव पर टैक्सेशन लगाया जाय तो दो तिहाई जो मेजारिटी रखी गयी है वहीं न रखकर फुल मीटिंग हो, एडजर्नमेंट मीटिंग न हो और जब तक फुल मीटिंग के दो तिहाई सदस्य पास न कर दें तब तक कोई टैक्स नहीं लागू होना चाहिये, श्रमदान या कोई चीज लागू नहीं होनी चाहिये, यह मेरी माननीय मंत्री जी से इस सिलसिले में प्रार्थना है । जनमत को अगर यह भेजा जायगा तो मेरा विश्वास है कि जनमत हमारे साथ रहेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस चीज पर सोचें और जो उचित चीज हो वह करें ।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से लगातार जिस प्रस्ताव पर बहस हो रही है उसको मैंने काफी ध्यान से सुना । बहुत कुछ तो इस बहस का हिस्सा ऐसा है जिसके लिये मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और उसका इस समय कोई उत्तर न देकर या उन बातों पर अपना कोई विचार न प्रकट करके केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि इन सुझावों पर मैं प्रयत्न करूंगा कि प्रवर समिति उन पर विचार करे और अपना निर्णय दे । इसलिये इस समय मेरे लिए मुनासिब न होगा कि मैं कोई ऐसी बात कहूं जो प्रवर समिति के विचार के समय मेरा कुछ कमिटमेंट समझा जाय और इसलिये मेरा ख्याल यह है कि बहुत से जो भाषण हुए और जो सुझाव पेश किये गये उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देकर और यह कहकर कि उन पर विचार होगा, प्रवर समिति के सामने, उन तमाम बातों को रखने की कोशिश करूंगा कि मैं इस समय कोई उत्तर नहीं देना चाहता ।

बालेन्दुशाह जी ने एक सुझाव दिया, बहुत अच्छा सुझाव था और मेरा भी दिमाग उस तरफ कुछ गया और वह यह था कि सारी लोकल बाडीज का एक ऐक्ट हो । पिछली बार जब म्युनिसिपैलटीज ऐक्ट में यह संशोधन पेश किया गया कि वहां वोटर की क्वालिफिकेशन क्या हों, क्या-क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो, उसके बाद कुछ पीपिल्स रेप्रेजेंटेशन ऐक्ट के मुताबिक करने की कोशिश की गयी, जो की ऐडल्ट फ्रैंचाइज के बेसिस पर था और वही बातें जब दोबारा मुझको इस सदन के सामने टाउन एरिया अमेंडमेंट ऐक्ट के सम्बन्ध में रखनी पड़ीं तो मेरा दिमाग कुछ इस ओर गया कि अगर सारी लोकल बाडीज के सम्बन्ध में जो कामन फैक्टर है, जो-जो बातें सब एक साथ हैं, वह अगर इकट्ठे एक ही ऐक्ट में हो जायं तो केवल एक ही बार अमेंडमेंट करना पड़े। और वह अमेंडमेंट तमाम लोकल बाडीज के ऐक्टस पर लागू हो जाता जैसे वोट देने वालों के अधिकार, माइनारिटीज को जो पहले रिजर्वेशन था, उसको अब हटाया गया, इस तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जो बातें हैं और जो तमाम लोकल बाडीज से सम्बन्ध रखती हैं, अगर उनको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाय तो उनका अमेंडमेंट केवल एक बार करने की जरूरत होगी और उसमें समय बच जायगा। लेकिन उसमें मुझे कुछ कठिनाइयां नजर आयीं और इस सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि यद्यपि मैंने अभी इस ओर विचार किया लेकिन कठिनाइयां यह हैं कि वह तो हिस्सा बहुत थोड़ा है जो कि कामन है। जो बाकी हिस्से हैं जैसे अगर हमारे पंचायत राज ऐक्ट की ओर अगर नजर डाली जाय तो उसमें मेरा ख्याल है कि केवल १५-२० फीसदी वह हिस्सा होगा जो कि कामन कहा जा सके, बाकी ८०-८५ फीसदी वह हिस्सा होगा जो केवल पंचायतों से संबंधित होगा, म्युनिसिपैलिटीज से उसका सम्बन्ध नहीं होगा, कारपोरेशंस से उसका सम्बन्ध नहीं होगा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से उसका कोई सम्बन्ध न होगा। इसी प्रकार से म्युनिसिपैलिटीज के सम्बन्ध में भी है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में भी है और कारपोरेशन के बारे में भी है। तो इस तरह से मोटे-मोटे जो बिल्स हैं, अमेंडिंग बिल्स जो सदन के सामने आयेंगे उनमें बहुत बड़ा हिस्सा वह होगा जो अलग-अलग रहेगा। फिर यह प्रश्न इतना गम्भीर है कि इस पर विचार करने में कुछ समय भी लगता है। उनको सबको सामने अगर एक ही में रखा जाय तो कम से कम मुझे तो सहूलियत होती है अपना दिमाग उस पर लगाने में कि एक बार में बैठकर पंचायतों के सम्बन्ध में विचार कर लिया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सम्बन्ध में भी विचार कर लिया, कारपोरेशन के सम्बन्ध में भी विचार कर लिया और म्युनिसिपैलिटीज के सम्बन्ध में भी विचार कर लिया। अगर एक बाड़ा भारी मोटा सा पोथा इस सदन के सामने तमाम लोकल बाडीज के ऐक्ट को अमेंड करने के लिए लाया जाय तो उसमें बहुत ज्यादा समय भी लगेगा। मेरे पेश करने की मजबूरियां ये हैं। कुछ लोगों को तो कम से कम जो देर एलेक्शंस के लिए होती है उसके लिए परेशानी होती है। परेशानी मुझे भी होती है, लेकिन वह एक प्रकार से व्यक्त करते हैं, मैं दूसरे प्रकार से व्यक्त करता हूं। इसलिये उसे तैयार करने में भी काफी देर लगेगी। इसलिए मैं यह समझता हूं कि पहले जितने भी ऐक्ट्स हैं उनको अलग-अलग अमेंड कर लिया जाय, एक-एक प्रश्न को अलग-अलग लेकर विचार कर लिया जाय और उसमें जो सदन की राय हो वह रख दी जाय और फिर जब ऐक्ट्स अमेंड हो जायं तब उस वक्त इस बात पर विचार किया जाय कि क्या एक ही ऐक्ट बन सकता है। लेकिन इस समय मैं कम से कम यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह विचार मेरे दिमाग से बिलकुल अलग हो गया है। यह विचार करने की चीज है और बाद में जैसा हो वह देखा जायगा। लेकिन इस वक्त इस एक ही ऐक्ट में तमाम संशोधन लाना, यह एक बहुत दिक्कत की बात हो जायगी और लम्बी बात हो जायगी।

उन्होंने एक इशारा किया कि मैं अपने डिपार्टमेंट के महत्व को समझूं। अगर महत्व समझने के माने कुछ अपने महत्व को समझने से है तो वह तो मैं नहीं समझता हूं, लेकिन जहां तक कि लोकल बाडीज के मुहकमें का सवाल है मैं कह सकता हूं कि मैं इसमें बहुत काफी दिलचस्पी ले रहा हूं और इसके महत्व को समझकर मैं इसको जितना अच्छा बना सकता हूं बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं।

अब प्रश्न यह है कि यह जो मेरा सुझाव था और उसमें अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इतना और जोड़ दूं कि यह सेलेक्ट कमेटी १९ अप्रैल या उसके बाद जिस रोज भी सदन बैठे उस रोज यह रिपोर्ट इस सदन के सामने रखे। अगर सदन बैठा रहे लगातार, तब १९ अप्रैल को और अगर बीच में उठ जाय, जैसा कि मेरा अन्दाजा है कि उठ जायगा कुछ दिनों के लिए, तब १९ अप्रैल या उसके बाद जिस दिन सदन बैठे उसी पहले ही दिन, इसकी रिपोर्ट इस सदन के सामने आ जाय। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यह प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे दे और इस सदन के सामने जब वह रिपोर्ट आ जाय तब जितना भी समय, हफ्ते दो हफ्ते का लगे वह लगातार इस बिल को यहां मंजूर कर लिया जाय जिससे कि देर न हो। सिर्फ जल्दी करने का ही मेरा इरादा है। तो इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय या पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाय। पब्लिक ओपीनियन के लिए जैसा कि एक माननीय सदस्य ने इशारा किया था, अगर यह प्रश्न होता कि पंचायतें बनायी जायं या न बनायी

[श्री मोहन लाल गौतम]

जायं, न्याय पंचायतें स्थापित की जायं या न की जायं तो इस पर लोकमत प्राप्त करना कुछ आसान भी था। इस सदन में जितने भी माननीय सदस्य बोलें और जो न भी बोलें उनकी राय भी जहां तक मुझे मालूम है, उसमें शायद कोई ही ऐसे हों जो इस तर्जुबे को बिलकुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं पंचायतों की संस्था को बिलकुल नष्ट करना, बन्द कर देना चाहते हैं। इसलिए इतनी बात तो साफ है और यदि मैं यह समझूं कि सारा सदन इस बारे में एकमत है कि पंचायतें रहनी चाहिए तो गलत न होगा। पंचायतों अदालतों, जिनको अब हम न्याय पंचायतें कहेंगे उनको खत्म करने की बात कुछ-कुछ कही गयी है। लेकिन फिर इस फार्मूले को जो कि इस वक्त संशोधन बिल में है मान कर लोगों का विरोध कुछ कम हो गया है। लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा जोर इस बात पर नहीं दिया गया कि इन को भी खत्म कर दिया जाय। तो जब यह दोनों चीजें कि गांव सभा और पंचायतें और न्याय पंचायतें रहें यह मान लिया जाय और इस सदन की राय यह हो तो प्रश्न यह है कि उनकी बनावट और कार्यक्रम क्या हो। यह सारी बातें ऐसी हैं जिन पर सेलेक्ट कमेटी विचार कर सकती है और जो संशोधन चाहे कर सकती है। क्योंकि जब फंडामेंटल्स को हमने मंजूर कर लिया, अगर यह राय होती कि ये पंचायतें नहीं रहनी चाहिए तब तो स्थिति बिलकुल दूसरी होती तब प्रवर समिति के पास भेजना शायद मुनासिब न होता क्योंकि फंडामेंटल डिफरेंस हो जाता। लेकिन जब यह बातें मान ली गयीं तो जो इसके डिटेल्स हैं उनके लिये मुझे लोकमत प्राप्त करने में शक मालूम होता है खासकर संशोधनों के ऊपर राय लेना क्योंकि लोकमत में अगर आप शहरों को लें तो यह मुनासिब नहीं होगा। शहर वाले अगर यह तय करें कि गांव वालों की पंचायतें ठीक चलीं या नहीं चलीं, इसलिए लोकमत में ज्यादा स्थान शहर वालों को नहीं दे सकते। हालांकि अखबार इसमें बहुत दिलचस्पी लें। लेकिन जो राय ली जाय वह गांव वालों से ली जाय और गांव वाले इस प्रयोग में-सब शामिल हैं और जो शामिल नहीं थे उनको शामिल किया जा रहा है। इसलिए सारे लोगों की जो कि खुद इस काम को चला रहे हैं उनकी राय लेने का महत्व कोई है नहीं। अगर संशोधनों या डिटेल्स पर आप उनकी राय लें तो कठिन हो जायगा। बल्कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भी इसीलिए भेजा जा रहा है कि सदन में भी एक-एक बात पर अच्छी प्रकार से विचार नहीं हो सकता और सेलेक्ट कमेटी में उन पर अच्छी तरह से विचार हो सकता है। इसलिए उसको जनमत के लिए घुमाना आवश्यक नहीं मालूम पड़ता है और अगर पब्लिक को कोई आवाज आये या सजेशचन आयेंगे तो उन पर पहले भी विचार किया है और अब भी विचार करेंगे। हमने काफी मैटीरियल इकट्ठा किया था जबकि इस कमेटी के सिपुर्द किया गया था। उस वक्त काफी लोगों की राय आयी थी। उस पर विचार हुआ और अब भी अगर राय आये तो उस पर विचार करने से हम इन्कार नहीं करेंगे। इसलिए पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट करना ठीक नहीं होगा और जबकि चुनाव स्थगित होने के कारण काफी लोग नाराज हों उसका प्रदर्शन इस सदन में भी किया जाता हो तो ऐसे वक्त में और देर करना मुझे बिलकुल मुनासिब नहीं मालूम होता। इसलिए मुझे अफसोस है कि मैं उसको मंजूर नहीं कर सकता और आशा करता हूं कि माननीय सदन इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर देगा और जिन बातों पर यहां विचार प्रगट किये गये उन पर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में विचार कर लिया जायगा।

इन शब्दों के साथ म उन सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय और उक्त प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन १९ अप्रैल या जिस रोज सदन प्रथम बार अबकी बार उठने के बाद फिर बैठे उस रोज तक इस सदन के सम्मुख उपस्थित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—आगे का कार्यक्रम क्या है, माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे।

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)—ये दस मिनट तो केवल इसीलिये रक्खे गये थे, जैसा कि अध्यक्ष महोदय को अन्दाजा होगा कि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता था और अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके। बाकी जो विधेयक हैं वे कल ले लिये जायेंगे और आगे का कार्यक्रम भी कल ही बतला दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—यह भी बतला दिया जायगा कि सदन फिर कब बैठेगा?

श्री मोहनलाल गौतम—हां, यह भी बतला दिया जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४८ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
३० मार्च, १९५४।

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६ पर)

कानपुर बिजली सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश सरकार

बिजली सप्लाई की दरें—जो १ फरवरी, १९४९ से लागू हैं।

क—सामान्य कारोबार तथा घरेलू कामों के लिये रोशनी, पंखे और बिजली के छोटे-छोटे यंत्र—

३ आ० प्रति यूनिट जिसमें से १२ १/२ प्रतिशत बट्टा उस दशा में दिया जायगा जबकि बिल में दी हुयी तारीख को या उससे पहले भुगतान कर दिया जाय, लेकिन शर्त यह है कि पहले का कोई हिसाब बकाया न हो।

ख—मकान सहित हातों के लिये विशेष द्वि-भागीय कर (special Two-part Tariff)—

(१) ऐसे हातों के लिए जिनका "एक ही कमरे" के रूप में कर निर्धारित किया जाय, प्रतिमास नियत किराया ९ रु० ८ आ०,

ऐसे हातों के लिये जिनका "दो कमरों" के रूप में कर निर्धारित किया जाय, प्रतिमास नियत किराया ११ रु०।

ऐसे हातों के लिये जिनका "तीन कमरों" के रूप में कर निर्धारित किया जाय, प्रतिमास नियत किराया १२ रु० ८ आ०,

और इसी प्रकार प्रत्येक अतिरिक्त कमरे के लिये १ रु० ८ आ० और अधिक, और इसके अतिरिक्त,

(२) सभी उपभुक्त (consumed) यूनिटों के लिये प्रति यूनिट १ आना के हिसाब से किराया जिसमें से ३ पाई प्रति यूनिट बट्टा उस दशा में दिया जायगा जबकि बिल में दी हुयी तारीख को या उससे पहले भुगतान कर दिया जाय, लेकिन शर्त यह है कि पहले का कोई हिसाब बकाया न हो।

ग.—फ्लड लाईटिंग, बिजली के संकेत (sign) आदि—

वास्तविक कारोबार के लिये फ्लड लाईटिंग, साइन लाईटिंग, डिस्प्ले लाईटिंग की विशेष दरें हैं। इनके ब्योरे प्रार्थना-पत्र भेज कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

घ—बिना मीटर के दी जाने वाली रोशनी (ठेका प्रणाली)—

सम्मिलित मासिक किराया ४० वाट लैम्प की दशा में पांच रुपया (५ रु०) और ६० वाट लैम्प की दशा में सात रु० (७ रु०)।

यह कर (tariff) केवल उन उप-भोक्ताओं के लिये है जिनको १-२-१९४९ तक इस प्रणाली के अनुसार बिजली दी जाती थी।

ङ—सामान्य कारोबार और घरेलू कामों के लिये, गरम करने, खाना पकाने और ठंढा करने के यंत्र और १/२ हार्स पावर से कम के मोटर [जब तक कि वे घरेलू कामों के लिये लगाये जाने वाले कर (Tariff) के अधीन सप्लाई न किये जायं।]

३ आना प्रति यूनिट ।

घटाइये—बट्टा १२ १/२ प्रतिशत ।

टिप्पणी—यह बट्टा उस दशा में दिया जायगा जबकि बिल में दी हुयी तारीख को या उससे पहले भुगतान कर दिया जाय, लेकन शर्त यह है कि पहले का कोई हिसाब बकाया न हो ।

ब.—कम पावर—लगाये गये यंत्र जिनमें एक या एक से अधिक मोटर हों और उनमें से प्रत्येक मोटर १/२ हार्स पावर से कम का न हो और जिनकी कुल क्षमता १०० हार्स पावर से कम हो।

प्रथम १, २०० यूनिट प्रतिमास या १२० यूनिट प्रति बी० एच० पी० प्रति मास जो भी अधिक हो। २ आना ३ पाई प्रति यूनिट।

घटाइये बट्टा (discount) ३ पाई प्रति यूनिट।

और उसी महीने में बिजली की सब अतिरिक्त सप्लाई १ आना ३ पाई प्रति यूनिट।

घटाइये बट्टा ३ पाई प्रति यूनिट

टिप्पणी—(१) बट्टा उस दशा में दिया जायगा जबकि बिल में दी हुयी तारीख को या उससे पहले भुगतन कर दिया जाय, लेकिन शर्त यह है कि पहले का कोई हिसाब बकाया न हो।

(२) आम तौर से मोटर बनाने वाले की रेटिंग ही मोटर की हार्स पावर समझी जायगी, लेकिन उस दशा में जबकि या तो उपभोक्ता या ऐडमिननस्ट्रेशन की यह राय हो कि यह रेटिंग इस्तेमाल की हुयी अधिक से अधिक वास्तविक बिजली को प्रदर्शित नहीं करती तो ऐडमिनिस्ट्रेशन यह जानने के लिये एक मैक्सिमम डिमांड इन्डीकेटर लगा देगा कि अधिक से अधिक कितने हार्स पावर बिजली खर्च हुयी और मैक्सिमम डिमांड इन्डीकेटर की रीडिंग से जो अंक मालूम होंगे वे ही उपर्युक्त दरों के प्रयोजनों के लिये मोटर के हार्स पावर समझे जायेंगे।

छ—सिनेमा कर (Tariff)।

सब यूनिटों के लिये	..	..	३ आ० प्रति यूनिट।
घटाइये बट्टा	..	..	१२ १/२ प्रतिशत।

टिप्पणी—बट्टा उस दशा में दिया जायगा जब कि बिल में दी हुयी तारीख को या उससे पहले भुगतान कर दिया जाय, लेकिन शर्त यह है कि पहले का कोई हिसाब बकाया न हो।

बिजली की अधिक मात्रा में सप्लाई

देखिये अगला पृष्ठ।

टिप्पणी—उपर्युक्त दरों के अनुसार प्रतिमास कम से कम जो किराया लिया जायगा वह १ रु० प्रति किलोवाट होगा और इस प्रकार कम से कम जो किराया लिया जायगा वह १ रु० से कम न होगा।

कानपुर बिजली सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश सरकार

अधिक मात्रा में बिजली सप्लाई कर (टैरिफ) जो १ अक्तूबर १९४८ से लागू किया गया

कर (टैरिफ) का हवाला	मांग सम्बन्धी किराये		यूनिट का किराया	प्रति वर्ष कम से कम
	रु० प्रति के० बी० ए० प्रति माह	के० बी० ए० ब्लाक प्रति माह	आ० प्रति किलोवाट	ब्लाक गारंटी प्रतिमाह
एच० टी० इंड–स्ट्रियल (औद्योगिक)	७.५०	०–१०००	०.५६	०–३, २०,००० ५० रु० प्रति के० बी० ए०
	६.५०	१००० २०००	०.३२	३,२०,००० १२,००,०००
१००० के० बी० ए० से अधिक	५.५०	२०००से अधिक	०.२४	अधिक–१२,००,०००
एच० टी० इड–स्ट्रियल १००० के० बी० ए० और उससे कम	७.५०	कुल	०.६४	०–२,००,००० ५० रु० के० बी० ए०
			०.३२	अधिक–२,००,०००
			२०० के० बी० ए० और उससे कम के ठेकों के लिए अधिक से अधिक दर १७५ आ० प्रति यूनिट	
एच० टी० नान –इंडस्ट्रियल	८.५०	कुल	०.८५	०–२,००,००० ६० रु० क० बी० ए०
			०.४२५	अधिक –२,००,००० ६००० रु० की कम से कम
एल० टी० बल्क	८.००	कुल	०.८०	कुल ४० रु० प्रति के० बी० ए०
इंडस्ट्रियल ए० सी०	अधिक से अधिक दर २.०० आ०			४,००० रु० की कम से कम
एल० टी० अधिक मात्रा में नान इंडस्ट्रियल ए० सी०	९.००	कुल	०.९०	कुल तदेव
	अधिक से अधिक दर २.५० आ०			
एल० टी० अधिक मात्रा में इंडस्ट्रियल डी० सी०	९.००	कुल	०.८५	कुल ६० रु० प्रति के० बी० ए०

कोयले के मूल्य में घटा-बढ़ी—बेसिक मूल्य ९ रु० ८ आना ।

मौके पर ९ रु० ८ आ० प्रति टन की बेसिक लागत से दिये गये कोयले की लागत में क्रमशः प्रत्येक रुपये पर होने वाली वृद्धि या कमी के अनुसार ०.०१६ आना की दर के हिसाब से एच० टी० पर सप्लाई किये जाने वाले कोयले के प्रति यूनिट के मूल्य में वृद्धि या कमी की जायगी । उक्त समायोजन (ऐडजस्टमेन्ट) कोयले की बेसिक लागत में प्रत्येक एक आने की घटाबढ़ी के लिये किया जायगा ।

एल० टी० ए० सी० और एल०टी०डी० सी० का तदनुरूप समायोजन (कारेसपोंडिंग ऐडजस्टमेंट) क्रमशः प्रति रुपया ०.०१७५ आना और ०.०१८ आने की दर से किया जायगा ।

आजमगढ़ बिजली सप्लाई कम्पनी द्वारा सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरों की अनुसूची

बिजली सप्लाई की निम्नलिखित दरों के अनुसार बिजली का किराया १ अप्रैल, १९५३ से लिया जा रहा है ।

(१) रोशनी और पंखे—

८ आना प्रति यूनिट की दर से । एक आना प्रति यूनिट का बट्टा उस दशा में दिया जायगा जबकि किराये का भुगतान किराये की स्केल के परिच्छेद २ में बताये हुए प्रकार से किया जाय ।

कम से कम किराया—

कोई उपभोक्ता जो उस कीमत की करेंट नहीं लेता जो कि उसके कनेक्टेड लोड के अनुसार नीचे दी गयी है तो उससे किराये की यह धनराशि हर महीने कम से कम धनराशि के रूप में उस समय तक ली जायगी जब तक उसका सम्बन्ध कम्पनी के मेन से हो और इस सम्बन्ध में इस बात का ध्यान न रखा जायगा कि उसके किसी करेंट का उपभोग किया है या नहीं ।

०.५ किलोवाट या उससे कम के बिजली के यंत्र का लगाया जाना	२ रु० ८ आ०
प्रतिमाह बिजली के ऐसे यंत्र का लगाया जाना जो ०.५ किलोवाट से अधिक हो और एक १ किलोवाट से अधिक न हो	३ रु० ८ आ० प्रति माह
१ किलोवाट से अधिक के बिजली के यंत्र का लगाया जाना	६ रु० प्रति माह

ऊपर के कम से कम किरायों में मीटर का किराया आदि सम्मिलित नहीं है । कम्पनी को सड़क के किनारे के स्टालों में बिजली की रोशनी बिना कोई मीटर लगाये पहुंचाने का अधिकार है । ऐसी सप्लाई के लिये ४० वाट की प्रत्येक बत्ती का ३ रु० प्रति माह किराया लिया जायगा । यदि कोई उपभोक्ता अपेक्षाकृत अधिक वाट की बत्ती के लिये बिजली की सप्लाई चाहता है तो ऊपर बतायी गयी मासिक दर उसी के अनुपात से बढ़ा दी जायगी ।

(२) गर्म करने और खाना पकाने के सामान, ठंडा करने के विद्युत यंत्र और अन्य घरेलू तथा नान इंडस्ट्रियल बिजली के सामान जो २०० वाट से कम न हों, १ हार्स पावर तक के मोटर, जबकि विभिन्न और पृथक् तारों वाले अलग मीटर लगायें जायं :—९ आना प्रति यूनिट की दर से ।

१ आना प्रति यूनिट का बट्टा उस दशा में दिया जायगा जब कि किराये की स्केल के परिच्छेद २ में दिये गये प्रकार से नकद भुगतान किया जाय ।

प्रतिमाह कम से कम किराया—उसी स्केल से जिस स्केल से रोशनी और पंखों का किराया कम से कम किराये या मीटर के किराये पर कोई बट्टा नहीं दिया जायगा ।

(३) सिनेमैटोग्राफ प्रोजेक्टर और बोलती चलती तस्वीर के यंत्र :—

पहले ४०० यूनिटों के लिये प्रति यूनिट ६ आना प्रति मास की दरसे और ४०० से अधिक उपभोग को हुयो प्रत्येक यूनिट के लिये ५ आना प्रतिमास की दर से ।

१ आना प्रति यूनिट का बट्टा उस दशा में दिया जायगा जबकि किराये की स्केल के परिच्छेद २ में दिये गये प्रकार से नकद भुगतान किया जाय ।

प्रति माह कम से कम किराया—१०० यूनिट ६ आना प्रति यूनिट की दर से ।

सिनेमा में उपभोग होने वाली कुल रोशनी और पंखे का भुगतान रोशनी और पंखे की दर के अनुसार किया जायगा । कम से कम किराये और मीटर के किराये पर के नकद भुगतान के लिये कोई बट्टा नहीं दिया जायगा ।

(४) उद्योग सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये सप्लाई की जाने वाली बिजली—बिजली की सप्लाई ४४० वोल्ट सीधी करेंट तक दी जायगी ।

लगाये गये प्रति बी० एच० पी० की पहली १०० यूनिटों के लिये प्रतिमास ४ आना प्रति यूनिट ।

लगाये गये प्रति बी० एच० पी० की दूसरी १०० यूनिटों के लिये प्रति मास ३ आना ६ पाई प्रति यूनिट ।

लगाये गये प्रति बी० एच० पी० को २०० यूनिटों से अधिक यूनिटों के लिये प्रतिमास ३ आना प्रति यूनिट ।

६ पाई प्रति यूनिट का बट्टा उस दशा में दिया जायगा जब कि किराये की स्केल के परिच्छेद २ में दिये गये प्रकार से नकद भुगतान किया जाय ।

प्रति माह कम से कम किराया

६ रु० लगाये गये प्रति बी० एच० पी० ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२ एल० ए०—१९५४—८५० ।